

हरियाणा विधान सभा

की कार्यवाही



11 जुलाई, 2014

खण्ड-2, अंक-1

अधिकृत विवरण



विषय सूची

शुक्रवार, 11 जुलाई, 2014

पृष्ठ संख्या

शोक प्रस्ताव

(1) 1

घोषणाएँ

(1) 7

(क) अध्यक्ष महादय द्वारा

(1) 7

(i) चेयरपर्सन्ज के भाषणों की सूची

(ii) सदस्यों के त्याग-पत्र

(iii) अनुपरिथिति के सम्बन्ध में सूचना

(ख) सचिव द्वारा

(1) 9

बिजनेस एडवाइजरी कमटी की पहली रिपोर्ट पेश करना

(1) 10

वॉक-आऊट

(1) 12

बिजनेस एडवाइजरी कमटी की पहली रिपोर्ट (पुनरारम्भण)

(1) 17

सदन की बेज पर रखे गए कागज-पत्र

(1) 77

मूल्य :

821

(ii)

पृष्ठ संख्या

विशेषाधिकार मामलों के संबंध में विशेषाधिकार समिति का प्रारंभिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाना	(1) 18
(i) श्री ओम प्रकाश चौटाला, एम०एल०ए० के विरुद्ध विभिन्न मामले उठाना	1(18)
वॉक-आउट	1(19)
विशेषाधिकार मामलों के संबंध में विशेषाधिकार समिति के प्रारंभिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाना (पुनरारम्भण)	1(19)
(ii) श्री ओम प्रकाश चौटाला, एम०एल०ए० के विरुद्ध	
(iii) श्री ओम प्रकाश चौटाला, एम०एल०ए० के विरुद्ध	
(iv) श्री ओम प्रकाश चौटाला, एम०एल०ए० के विरुद्ध	
विधान कार्य	1(24)
1. दि हरियाणा नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी हरियाणा (अमैडमैट) बिल, 2014	
2. दि हरियाणा सिख गुरुद्वारा (मैमेजमैट) बिल, 2014	
वॉक-आउट	1(63)
विधान कार्य (पुनरारम्भण)	1(63)
वॉक-आउट	1(63)
विधान कार्य (पुनरारम्भण)	1(66)
बैठक का समय बढ़ाना	1(72)
विधान कार्य (पुनरारम्भण)	1(72)
वॉक-आउट	1(74)
विधान कार्य (पुनरारम्भण)	1(75)
कार्य सूची की मद में परिवर्तन	1(81)

हरियाणा विधान सभा

शुक्रवार, 11 जुलाई, 2014

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सेक्टर-1, चण्डीगढ़ में 2.00 बजे (अपराह्न) हुई। अध्यक्ष (श्री कुलदीप शर्मा) ने अध्यक्षता की।

शोक प्रस्ताव

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now the Chief Minister will make obituary references.

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा) : अध्यक्ष भृषीदय, पिछले अधिवेशन से लेकर इस अधिवेशन के दौरान हमारे जो राजनीतिक साथी, स्वतंत्रता सेनानी और हमारे जवान शहीद हुए हैं उनके प्रति मैं सदन में शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ :—

श्री गोपीनाथ पांडुरंग मुंडे, केन्द्रीय मंत्री

यह सदन केन्द्रीय मंत्री श्री गोपीनाथ पांडुरंग मुंडे के 3 जून, 2014 को एक सड़क हादसे में हुए दुःखद एवं असामयिक निधन पर गङ्गा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म 12 दिसम्बर, 1949 को हुआ। वे 1980 से 1985 तथा 1990 से 2009 तक महाराष्ट्र विधान सभा के सदस्य रहे। वे 1992-95 के दौरान महाराष्ट्र विधान सभा में विपक्ष के नेता तथा 1995-99 के दौरान उप-मुख्यमंत्री रहे।

वे 2009 तथा 2014 में लोक सभा के सदस्य चुने गये। वे 26 मई, 2014 को केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री बने। वे एक सच्चे जन-नेता थे। उन्होंने समाज के कमज़ोर व पिछड़े वर्गों के कल्याण एवं उत्थान के लिए अथक प्रयास किये।

उनके निधन से देश एक अनुभवी राजनीतिज्ञ एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से बंधित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्री धीरपाल सिंह, हरियाणा के भूतपूर्व मंत्री

यह सदन हरियाणा के भूतपूर्व मंत्री श्री धीरपाल सिंह के 16 मई, 2014 को हुए दुःखद निधन पर गङ्गा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म 15 जुलाई, 1947 को हुआ। वे 1982, 1987, 1991, 1996 तथा 2000 में हरियाणा विधान सभा के सदस्य चुने गये। वे 1989-90 के दौरान राज्य मंत्री रहे। वे 1990-91 तथा 1999-05 के दौरान मंत्री भी रहे। वे समाज के कमज़ोर एवं गरीब वर्ग के लोगों के कल्याण एवं उत्थान के लिए सदैव समर्पित रहे।

श्री धीरपाल एक अनुभवी विधायक एवं कुशल प्रशासक रहे, जिनकी सेवाओं से राज्य बंधित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्री कटार सिंह छोकर, हरियाणा के भूतपूर्व मंत्री

यह सदन हरियाणा के भूतपूर्व मंत्री श्री कटार सिंह छोकर के 5 मार्च, 2014 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म पहली मई, 1931 को हुआ। वे 1968 तथा 1982 में हरियाणा विधान सभा के सदस्य चुने गये। वे 1982-87 के दौरान मंत्री रहे। वे एक निष्ठावान सामाजिक कार्यकर्ता थे।

श्री कटार सिंह छोकर एक अनुभवी विधायक एवं कुशल प्रशासक रहे, जिनकी सेवाओं से राज्य वंचित हो गया है। यह सदन दिखात के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्री प्रताप सिंह चौटाला, हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य

यह सदन हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री प्रताप सिंह चौटाला के पहली जून, 2014 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

उनका जन्म 15 फरवरी, 1939 को हुआ। वे 1967 में हरियाणा विधान सभा के सदस्य चुने गये। वे 1987 में हरियाणा राज्य लघु उद्योग एवं निर्यात निगम के अध्यक्ष भी रहे। वे सादगी की प्रतिमूर्ति थे और बड़े मुदुभाषी एवं मिलनसार प्रशंसित के व्यक्ति थे।

श्री प्रताप सिंह चौटाला एक योग्य विधायक रहे, जिनकी सेवाओं से राज्य वंचित हो गया है। यह सदन दिखात के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

हरियाणा के स्वतन्त्रता सेनानी

यह सदन उन श्रद्धेय स्वतन्त्रता सेनानियों के निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है, जिन्होंने हमारे देश की आजादी के संघर्ष में अपना बहुमूल्य योगदान दिया।

इन महान स्वतन्त्रता सेनानियों के नाम इस प्रकार हैं :

1. श्री हरजी सिंह, गांव मायना, जिला रोहतक।
2. श्री हरदम सिंह, गांव ओडां, जिला चिरचा।
3. श्री नेकी राम, गांव बिसौहा, जिला रेवाड़ी।
4. श्री मेहर सिंह, गांव भेड़ों, जिला अम्बाला।
5. श्री ईथोराम, गांव भोजराज, जिला हिसार।
6. श्री चन्दगी राम, गांव लितानी, जिला हिसार।
7. श्री ईश्वर सिंह, गांव ढाणाखुर्द, जिला हिसार।
8. श्री फूल सिंह, गांव कुम्भा, जिला हिसार।
9. श्री अमर सिंह, गांव राजपुरा खालसा, जिला रेवाड़ी।

यह सदन इन महान् स्वतन्त्रता सेनानियों को शात-शत नमन करता है और इनके शोक-संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

हरियाणा के शहीद

थह सदन उन धीर सैनिकों को अपना अशुपूर्ण नमन करता है, जिन्होंने हमारी भारतभूमि की एकता और अखण्डता की रक्षा के लिए अदम्य साहस और धीरता से लड़ते हुए अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया।

इन महान् धीर सैनिकों के नाम इस प्रकार हैं :

1. निरीक्षक सुभाष चन्द्र, गांव नगुरा, जिला जींद।
2. सहायक उप-निरीक्षक राजकुमार, गांव भाँखरी, जिला महेन्द्रगढ़।
3. सहायक उप-निरीक्षक, सुमेर सिंह, गांव नाहड़, जिला रेवाड़ी।
4. सुबेदार, थिरेन्द्र सिंह, गांव धोलेड़ा, जिला महेन्द्रगढ़।
5. हवलदार रामकुमार, गांव बवानिया, जिला महेन्द्रगढ़।
6. हवलदार सुरेन्द्र मोर, गांव बास बादशाहपुर, जिला हिसार।
7. लास नायक सोमदत्त, गांव कोजिंदा, जिला महेन्द्रगढ़।
8. सिपाही इन्द्रजीत, गांव दुलोठ अहीर, जिला महेन्द्रगढ़।
9. सिपाही विक्रम, गांव कसोली, जिला रेवाड़ी।
10. सिपाही अजय, गांव बालाधास जमापुर, जिला रेवाड़ी।
11. सिपाही कुलदीप कुमार, गांव जैनाबाद, जिला रेवाड़ी।
12. सिपाही अजीत सिंह, गांव पटीदी कलां, जिला भिवानी।

यह सदन इन महान् धीरों की शाहादत पर उन्हें शात-शत नमन करता है और इनके शोक-संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

यह सदन

मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह हुड़ा की भोसी, श्रीमती भान्ती देवी;

विधान सभा अध्यक्ष श्री कुलदीप शर्मा की माता, श्रीमती शारदा रानी;

सांसद श्री धर्मबीर सिंह की भतीजी, डॉ० प्रियंका बौधरी;

राज्य सभा सदस्य श्री रामकुमार कश्यप के पिता, श्री बनारसी दास;

विधायक नौहम्मद इलियास के भाई, श्री अता उल्लाह खान;

विधायक श्री देवेन्द्र कुमार बंसल के भाई, श्री सुमन बंसल;

पूर्व मंत्री श्री अमर सिंह धानक के पोते, श्री सामन धानक;

[श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा]

पूर्य भंत्री श्री करण सिंह दलाल के भत्तीजे, श्री राजेन्द्र सिंह;

पूर्य विधायक श्री नफे सिंह राठी के भाई, श्री पूर्ण सिंह;

तथा

पूर्य विधायक श्री बलबीर सिंह की माता, श्रीमती मरवन देवी; अध्यक्ष महोदय, इनके अलावा यह लदन विधायक राव यादवेन्द्र सिंह के बाचा तथा राव विरेन्द्र सिंह, भूतपूर्व मुख्यमंत्री के छोटे भाई राव शिव राज सिंह के दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।

यह सदन दिवंगतों के शोक-संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : रसीकर सर, सदन के नेता ने जो शोक प्रस्ताव अभी सदन में प्रस्तुत किया है मैं भी अपनी पार्टी कर तरफ से अपने आपको इसमें शामिल करता हूँ। मैं अपनी व अपनी पार्टी की तरफ से श्री गोपीनाथ पांडुरंग मुंडे के 03 जून, 2014 को एक सङ्कक हादसे में हुए दुःखद एवं असामिक निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूँ। उनका जन्म 12 दिसंबर, 1949 को हुआ। वे वर्ष 1980 से वर्ष 1985 तथा वर्ष 1990 से वर्ष 2009 तक महाराष्ट्र विधान सभा के सदस्य रहे। वे वर्ष 1992-1995 के दौरान महाराष्ट्र विधान सभा में विषेश के नेता तथा वर्ष 1995-99 के दौरान उप-मुख्यमंत्री रहे। वे वर्ष 2009 तथा वर्ष 2014 भी लोक सभा के सदस्य बुने गये। वे 26 मई, 2014 को केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री थे। वे एक सच्चे जन नेता थे। उन्होंने समाज के कमज़ोर व पिछड़े वर्गों के कल्याण एवं उत्थान के लिए अथक प्रयास किये। उनके निधन से देश एक अनुभवी राजनीतिज्ञ एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। मैं अपनी व अपनी पार्टी की तरफ से दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ।

रसीकर सर, मैं अपनी व अपनी पार्टी की तरफ से हरियाणा के भूतपूर्व मंत्री श्री धीरपाल सिंह के 16 मई, 2014 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूँ। उनका जन्म 15 जुलाई, 1947 को हुआ। वे वर्ष 1982 से वर्ष 2000 तक लगातार हरियाणा विधान सभा के सदस्य बुने गये। वे वर्ष 1989-90 के दौरान राज्य मंत्री रहे। वे वर्ष 1990-91 तथा वर्ष 1999-2005 के दौरान मंत्री भी रहे। वे समाज के कमज़ोर एवं गरीब वर्ग के लोगों के कल्याण एवं उत्थान के लिए सदैव समर्पित रहे। हमें भी उनके साथ काम करने का अवसर मिला। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वे सच्चे मायनों में एक बहुत ही ईमानदार और बहुत ही नेक इंसान थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन कमज़ोर एवं पिछड़े वर्ग के लोगों के कल्याण के लिए समर्पित किया। श्री धीरपाल एक अनुभवी विधायक एवं कुशल प्रशासक रहे, जिनकी सेवाओं से राज्य वंचित हो गया है। मैं अपनी व अपनी पार्टी की तरफ से दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तथा अपनी पार्टी की तरफ से हरियाणा के भूतपूर्व भंत्री श्री कटार सिंह छोकर के 5 भार्च, 2014 को हुए दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूँ।

उनका जन्म पहली मई, 1931 को हुआ। वे वर्ष 1968 तथा वर्ष 1982 में हरियाणा विधान सभा के सदस्य चुने गये। वे वर्ष 1982-87 के दौरान मंत्री भी रहे। वे एक निष्ठावान सामाजिक कार्यकर्ता थे।

श्री कटार सिंह छोकर एक अनुभवी विधायक एवं कुशल प्रशासक रहे, आज हरियाणा प्रदेश उनकी सेवाओं से बचित हो गया है। मैं अपनी तथा अपनी पार्टी की तरफ से दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तथा अपनी पार्टी की तरफ से हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री प्रताप सिंह चौटाला की पहली जून, 2014 को हुए दुःखद निष्ठन पर गहरा शोक प्रकट करता हूँ।

उनका जन्म 15 फरवरी, 1939 को हुआ। वे वर्ष 1967 में हरियाणा विधान सभा के सदस्य चुने गये। वे वर्ष 1987 में हरियाणा राज्य लघु सद्योग एवं निर्यात निगम के अध्यक्ष भी रहे। वे सांदगी की प्रतिमूर्ति थे और बड़े मृदुमारी एवं मिलनसार प्रवृत्ति के व्यक्ति थे।

श्री प्रताप सिंह चौटाला एक योग्य विधायक रहे जिनकी सेवाओं से राज्य बंधित हो गया है। मैं अपनी तथा अपनी पार्टी की तरफ से दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तथा अपनी पार्टी की तरफ से उन श्रद्धेय स्वतंत्रता सेनानियों के दुःखद निष्ठन पर गहरा शोक प्रकट करता हूँ जिन्होंने हमारे देश की आजादी के संघर्ष में अपना बहुमुल्य योगदान दिया। इन स्वतंत्रता सेनानियों के नाम इस प्रकार हैं :-

1. श्री हरजी सिंह, गांव भाथना, जिला रोहताक।
2. श्री हरदन सिंह, गांव ओढां, जिला सिरसा।
3. श्री नेकी राम, गांव विसौहा, जिला रेवाड़ी।
4. श्री मेहर सिंह, गांव भेड़ो, जिला अम्बाला।
5. श्री इयोराम, गांव भोजराज, जिला हिसार।
6. श्री यन्दगी राम, गांव लितानी, जिला हिसार।
7. श्री ईश्वर सिंह, गांव ढाणाखुर्द, जिला हिसार।
8. श्री फूल सिंह, गांव कुम्मा, जिला हिसार।
9. श्री अमर सिंह, गांव राजपुरा खालसा, जिला रेवाड़ी।

मैं अपनी तथा अपनी पार्टी की तरफ से दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तथा अपनी पार्टी की तरफ से उन थीर सेनिकों को अशुपूर्ण नमस्करता हूँ जिन्होंने हमारे देश की रक्षा के लिए, मातृभूमि की एकता और अखण्डता की रक्षा के लिए अदम्य साहस और वीरता से लड़ते हुए अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया। इन

[श्री अशोक कुमार अरोड़ा]

शहीदों में हरियाणा प्रदेश के सैनिकों का बहुत बड़ा थोगदान है। मैं इन शहिदों को नमन करता हूँ। इन सहान दीर सैनिकों के नाम इस प्रकार हैं : -

1. निरीक्षक सुभाष चन्द्र, गांव नगुरा, जिला जींद।
2. सहायक उप-निरीक्षक राजकुमार, गांव भांखरी, जिला महेन्द्रगढ़।
3. सहायक उप-निरीक्षक, सुमेर सिंह, गांव नाहड़, जिला रेवाड़ी।
4. सूबेदार, विरेन्द्र सिंह, गांव धोलेड़ा, जिला महेन्द्रगढ़।
5. हवलदार रामकुमार, गांव बास बादशाहपुर, जिला गहेन्द्रगढ़।
6. हवलदार सुरेन्द्र मोर, गांव बास बादशाहपुर, जिला हिसार।
7. लास नायक सोमदल, गांव कोजिंदा, जिला महेन्द्रगढ़।
8. सिपाही इन्द्रजीत, गांव दुलोठ अहीर, जिला महेन्द्रगढ़।
9. सिपाही विक्रम, गांव कसीली, जिला रेवाड़ी।
10. सिपाही अजय, गांव बालावास जमापुर, जिला रेवाड़ी।
11. सिपाही कुलदीप कुमार, गांव जैनबाद, जिला रेवाड़ी।
12. सिपाही आजीत सिंह, गांव पटौदी कलां, जिला भिवानी।

मैं अपनी तथा अपनी पार्टी की तरफ से दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ।

अध्यक्ष महोक्तय, मैं अपनी तथा अपनी पार्टी की तरफ से मुख्य मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह हुड़ा की मीसी, श्रीमती भास्त्री देवी, विधान सभा अध्यक्ष श्री कुलदीप शर्मा जी की माता, श्रीमती शारदा रानी, सांसद श्री धर्मदीर्घ सिंह की भतीजी, डॉ प्रियंका चौधरी, राज्य सभा सदस्य श्री रामकुमार कश्यप के पिता श्री बनारसी कास, विधायक मोहम्मद इलियास के भाई, श्री अता उल्लाह खान, विधायक श्री देवेन्द्र कुमार धनसत के भाई, श्री सुभग धनसत, पूर्व मंत्री श्री अमर सिंह धानक के पोते, श्री सामन धानक, पूर्व मंत्री श्री करण सिंह दलाल के भतीजे, श्री राजेन्द्र सिंह, पूर्व विधायक श्री नफे सिंह राठी के भाई, श्री पूर्ण सिंह, पूर्व विधायक श्री बलबीर सिंह की माता, श्रीमती मरवन देवी तथा विधायक राव यादवेन्द्र सिंह के चाचा व भूतपूर्व मुख्य मंत्री राव वीरेन्द्र सिंह के भाई राव शिवराज सिंह के दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूँ। मैं अपनी तथा अपनी पार्टी की तरफ से दिवंगतों के शोक-संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ।

श्री अनिल विज़ : अध्यक्ष महोक्तय, सदन के नेता ने दिवंगत आत्माओं के लिए सदन में जो शोक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, मैं भी अपने आपको उसके साथ जोड़ता हूँ तथा उनके दुःखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता हूँ। मैं अपनी तथा अपनी पार्टी की तरफ से दिवंगत के शोक-संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ।

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I also associate myself with the Obituary References made by the Hon'ble Chief Minister and the feelings expressed by other Members of the House.

I feel deeply grieved on the sad demise of Shri Gopinath Pandurang Munde, Union Minister; Shri, Dhirpal Singh, Shri Katar Singh Chokkar, Former Minister of Haryana; Shri Partap Singh Chautala, former Member of Haryana Vidhan Sabha; Freedom Fighter & Martyrs of Haryana; my own mother; relatives of Hon'ble Chief Minister, other MPs, MLA, Ex-Ministers and Ex-MLAs, whose names have been mentioned by the Hon'ble Chief Minister.

Shri Gopinath Pandurang Munde was born in 1949 and remained Member of the Maharashtra Legislative Assembly for two times. He was also leader of the Opposition and Deputy Chief Minister of the State. He was elected to the Lok Sabha for two times and was Union Minister of Rural Development. He was a great leader who worked hard for the upliftment and lower sections of the Society.

Shri Dhirpal Singh was born in 1947 and was also elected to this house for five times. He also remained Minister for three occasions. He was a good legislator and social worker.

Shri Katar Singh Chokkar was member of this House for two times. He was also Minister and a great Social Worker.

Shri Pratap Singh Chautala was elected to this House in 1967 and he was also Chairman of the Haryana State Small Scale Industries and Export Corporation in 1987. He was a very polite and simple person.

The Freedom Fighters and Martyrs are such great personalities who are always given highest respect in the society due to their great sacrifices. We have lost our many nears and dears and they will always be remembered by us.

I pray to Almighty to give peace to the departed souls. I will convey the feelings of this House to the bereaved families. Now, I request all of you to kindly stand up to pay homage to the departed souls for two minutes.

(At this stage, the House stood in silence as a mark of respect to the memory of deceased for two minutes.)

Mr. Speaker : Now, the House is adjourned for an hour.

(The Sabha then adjourned at 2.18 P.M. and reassemble at 3.18 P.M.)

घोषणाएँ...

(क) अध्यक्ष महोदय द्वारा --

(i) चेयरपर्सन्ज के नामों की सूची

Mr. Speaker : Hon'ble Members under Rule 13(1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly, I nominate the following members to serve on the Panel of Chairpersons :

1. Prof. Sampat Singh, MLA
2. Shri Anand Singh Dangi, MLA
3. Shri Rampal Majra, MLA
4. Smt. Kavita Jain, MLA

श्री अनिल विज़ : स्पीकर सर, आपसे निवेदन है कि इस लिस्ट में मेरा नाम भी जोड़ दिया जाये। (विधायिका)

श्री रामपाल माजरा : स्पीकर सर, बोलने की बारी तो आनी ही नहीं है लेकिन यदि लिस्ट में इनका नाम जोड़ दिया जाता है तो यह अच्छी बात ही होगी। (विधायिका)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : स्पीकर सर, आपको मानवीय सदस्य का नाम लिस्ट में जोड़ ही देना चाहिए।

(ii) सदस्यों के त्याग-पत्र

(क)

Mr. Speaker : Hon'ble Members, under Rule 58(2) of the Rules of procedure and conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly, I have to inform the House that Shri Dharambir Singh, MLA has resigned from his seat in the Haryana Legislative Assembly vide his letter dated 11th March, 2014 which was accepted by me on 18th March, 2014 (F.N.).

(ख)

Mr. Speaker : Shri Charanjeet Singh, MLA has also resigned from his seat in the Haryana Legislative Assembly vide his letter dated 16th March, 2014 which has been accepted by me on 18th March, 2014 (F.N.).

(ग)

Mr. Speaker : Shri Venod Sharma MLA, has also resigned from his seat in the Haryana Legislative Assembly vide his letter dated 2nd May, 2014 which has been accepted by me on 2nd May, 2014 (F.N.).

(घ)

Mr. Speaker : Hon'ble Members, Smt. Renuka Bishnoi, MLA has also resigned from her seat in the Haryana Legislative Assembly vide her letter dated 16th May, 2014 which has been accepted by me on 18th May, 2014 (F.N.).

(ङ)

Mr. Speaker : Hon'ble Members, Shri Krishan Pal Gurjar, MLA, has resigned from his seat in the Haryana Legislative Assembly vide his letter dated 21st May, 2014 which has been accepted by me on 22nd May, 2014 (A.N.).

(iii) अनुपस्थिति के संबंध में सूचना

(इ)

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I am to inform the House that I have received and intimation from Kumari Sharda Rathore, CPS, Home in which she has expressed her inability to attend the Sitting of the House in Monsoon Session (July, 2014) due to her ill-health.

(ii)

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I am to inform the House that I have received an intimation from Shri Rameshwar Dayal Rajoria, MLA in which he has expressed his inability to attend the Sitting of the House on the 11th July, 2014 due to personal reasons.

(iii)

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I am to inform the House that I have received an intimation from Shri Anand Singh Dangi, MLA in which he has expressed his inability to attend the Sitting of the House on the 11th July, 2014 due to personal reasons.

(ख) सचिव द्वारा

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now the Secretary will make an announcement.

सचिव : मान्यवर, मैं उन विधेयकों को दर्शाने वाला विवरण जो हरियाणा विधान सभा ने अपने फरवरी-मार्च, 2014 में हुए सत्र में पारित किए थे तथा जिन पर राज्यपाल महोदय ने अपनी अनुमति दे दी है, सासर सदन की टेबल पर रखता हूँ --

February-March Session, 2014

1. The East Punjab Utilization of Lands (Haryana Amendment) Bill, 2014.
2. The Haryana Value Added Tax (Amendment) Bill, 2014
3. The Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development (Haryana Amendment) Bill, 2014.
4. The Haryana Registration and Regulation of Societies (Amendment) Bill, 2014.
5. The Haryana Good Conduct Prisoners (Temporary Release) (Amendment) Bill, 2014.
6. The Prisons (Haryana Amendment) Bill, 2014.
7. The Haryana Right to Service Bill, 2014.
8. The Haryana Management of Civic Amenities and Infrastructure Deficient Municipal Areas (Special Provisions) Amendment Bill, 2014.
9. The Punjab New Capital (Periphery) Control (Haryana Amendment) Bill, 2014.
10. The Haryana Appropriation (No. 1) Bill, 2014.
11. The Haryana Appropriation (No. 2) Bill, 2014.
12. The Haryana Development and Regulation of Urban Areas (Amendment) Bill, 2014.
13. The Haryana Private Universities (Amendment) Bill, 2014.

(1) 10

हरियाणा विधान सभा

[11 जुलाई, 2014]

14. The Haryana Municipal Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Bill, 2014.
15. The Haryana Municipal Corporation (Amendment) Bill, 2014.
16. The Punjab Ayurvedic and Unani Practitioners (Haryana Amendment) Bill, 2014.
17. The Haryana Rural Development (Amendment) Bill, 2014.
18. The Haryana (Abolition of Distinction of Pay Scale Between Technical and Non-Technical Posts) Bill, 2014.
19. The Haryana Clinical Establishments (Registration and Regulation) Bill, 2014.
20. The Haryana Urban Development Authority (Amendment) Bill, 2014.
21. The Haryana State Legislature (Prevention of Disqualification) Amendment Bill, 2014.

बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की पहली रिपोर्ट पेश करना

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now I report the time table of various business fixed by the Business Advisory Committee.

The Committee met at 11.00 A.M. on Friday, the 11th July, 2014 in the Chamber of the Hon'ble Speaker.

The Committee recommends that unless the Speaker otherwise directs, the Assembly whilst in Session, shall meet on Friday, the 11th July, 2014 at 2.00 P.M. and adjourn after conclusion of Business entered in the List of Business for the day.

On Monday, the 14th July, 2014 the Assembly shall meet at 2.00 P.M. and adjourn after the conclusion of the Business entered in the List of Business for the day.

The Committee, after some discussion, further recommends that the Business on the 11th and 14th July, 2014 be transacted by the Sabha as follows :—

Friday, the 11th July, 2014 (2.00 P.M.)	1. Obituary References. 2. Presentation and adoption of First Report of the Business Advisory Committee. 3. Papers to be laid/re-laid on the Table of the House. 4. Presentation of four Preliminary Reports of the Committee of Privileges and extension of time for presentation of the final reports thereon. 5. Legislative Business.
--	---

Saturday, the 12th July, 2014	Holiday
Sunday, the 13th July, 2014	Holiday
Monday, the 14th July, 2014 (2.00 P.M.)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Motion under Rule-15 regarding Non-stop sitting. 2. Motion under Rule-16 regarding adjournment of the Sabha sine-die. 3. Papers to be laid, if any. 4. Legislative Business. 5. Any other Business.

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now the Parliamentary Affairs Minister will move the motion—

That this House agrees with the recommendations contained in the First Reports of the Business Advisory Committee.

Industries Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, I beg to move—

That this House agrees with the recommendations contained in the First Report of the Business Advisory Committee.

Mr. Speaker : Motion moved—

That this House agrees with the recommendations contained in the First Report of the Business Advisory Committee.

श्री अनिल विज़ : स्पीकर सर, हाउस के समय को बढ़ाया जाये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री राम पाल माजरा : स्पीकर सर, मैं यह अनुरोध करता हूँ कि दो सदस्य एक बार खड़े होकर बोल रहे हैं इसलिए पहले तो आप उनको बैठने के लिए कहो (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : I will not allow two persons to speak at one time. No, please. (Interruption). You please resume your seat and raise your hand then I will allow you to speak. (Interruption). Please sit down. O.K. Now, who want to speak.

श्री अनिल विज़ : स्पीकर सर, विधान सभा का यह लगभग अंतिम सत्र है। मुझे यह कहते हुए बहुत दुःख हो रहा है कि सरकार ने पार्लियार्मेंट सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी को लहूलुहान कर दिया है। सर, सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान हर एक साल में विधान सभा सत्र की मुश्किल से 10 या 12 सिटिंग्स की है। हिन्दुस्तान के किसी भी प्रांत की असेम्बली के सेशन की इतनी कम सिटिंग्स नहीं होती है। सर, यह जो टेन्डर्सी है, यह टेन्डर्सी * * * (शोर एवं व्यवधान)

बिजली मंत्री (केप्टन अजय सिंह यादव) : स्पीकर सर, विज जी ने जो अनपार्लियार्मेंट्री शब्द कहा है उसे निकाल दिया जाये। (शोर एवं व्यवधान)

* चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया

श्री अध्यक्ष : विज जी ने जो अनपार्लियामेंट्री शब्द कहा है उसे रिकार्ड न किया जाये।

श्री अनिल विज : सर, मैं कहना चाहता हूँ कि भरकार का यह अंतिम सत्र है। सरकार के कार्यकाल में जिस विधायक को बोलने का अवसर नहीं मिला है, उसको कम से कम अंतिम सत्र में तो बोलने का अवसर मिलना चाहिए। सर, सरकार को काम करने में कठिनाईयाँ हो सकती हैं। कुछ राजनीतिक कारण हो सकते हैं। लेकिन बोलने पर प्रतिबंध क्यों हैं। उसके ऊपर क्यों कोताही बरती जा रही है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री नरेश कुमार बादली : सर, बोलने वाले भी तो ठीक थोले। विज जी तो कभी भी सब बोलते ही नहीं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस सत्र में 85 विधायक रह गये हैं। 85 विधायक जिनमें उनको बोलना चाहें उनको बोलने का उतना अवसर दिया जाना चाहिए।

Mr. Speaker : I think that is a good suggestion I will take note of it.

श्री अनिल विज : सर, इस सत्र में भरकार कई बिल भी ला रही है। सरकार ने हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का बिल तीन बजकर तेरेस मिनट पर सदन में पेश किया है। सर, यह बिल लगभग 48 पेज का है। इस बिल को पढ़ने और विचार करने के लिए समय लगता है। अंगूठे लगाकर इस बिल को पास नहीं किया जा सकता। इस प्रकार सदन की कार्यवाही नहीं चलती है। (शोर एवं व्यवधान)

Shri Randeep Singh Surjewala : Speaker Sir, it is my humble request that whenever the Bill will come up for discussion please give Shri Anil Vij Ji enough time to speak. I know he will run away from the House because he is the only one Member who will oppose the Bill. He has political agenda to run away from the House. He is only creating ground to run away from the House so, Speaker Sir, it is my humble request that please give Anil Vij Ji enough time to speak who is a senior Member of the BJP.

श्री अनिल विज : सुरजेवाला जी तो बिना पढ़े पास हुए हैं। मैं तो पढ़ कर ही पास हुआ हूँ। (शोर एवं व्यवधान) स्पीकर सर, 3.23 बजे बिल सदन में पेश किया गया तो फिर 3.30 बजे बिल पर डिस्कशन कैसे की जा सकती है। सारी कानून व्यवस्था के साथ और सारी प्रजातात्त्विक प्रणाली के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? सर जब बिल पर चर्चा होगी तो मैं बिल पर बात रखूँगा।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि आप श्री अनिल विज जी को दो घण्टे का समय दे दें ताकि यह इस बिल को अच्छी तरह से पढ़ लें। इसके बाद साढ़े पांच बजे इनको बोलने का समय दे दें ताकि ये अपनी बात सही ढंग से रख सकें।

श्री अनिल विज : सर, बिल के लिए सभी सदस्यों को 15 दिन का समय दिया जाये ताकि सभी मेंस्यर्ज बिल को पढ़ने के बाद अपनी बात रख सकें। सर, मैं रूलिंग और अपोजिशन दोनों पार्टीज की बात कर रहा हूँ। (विच्छ)

श्री सतपाल : स्पीकर सर, आप श्री अनिल विज जी को बोलने से रोकिये क्योंकि वे दूसरे सदस्यों को भी बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं। पिछले सेशन में भी इन्होंने ऐसा ही किया था किसी सदस्य को बोलने का मौका ही नहीं देने दिया।

श्री रामपाल माजरा : खीकर सर, जिस प्रकार से पहले भी बजट अधिवेशन चलाया गया था और उस समय एक दिन में बजट प्रस्तुत किया गया और उसी दिन बजट पर डिबेट की और उसी दिन बजट को पास कर दिया। अब की बार हम सब को आपसे यह उम्मीद थी कि अब की बार आप सभी मैम्बर्ज को बोलने का ज्यादा समय देंगे और सभी सदस्य अपनी बात रख सकेंगे। सर, अगर हम प्रायः दिल्ली विधान सभा की कार्यवाही की तुलना करें तो साल में दिल्ली विधान सभा का सेशन 21 दिन तक चलता है। उसी प्रकार हमारे पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश जो छोटा सा राज्य है अगर उसकी तुलना करें तो वहाँ पर भी असैम्बली का सेशन साल में 31 दिन तक चलता है। हमारी असैम्बली का सेशन प्रायः साल में करीब एक सप्ताह में ही निपट जाता है। सर, आज के दिन जिस प्रकार से मीसम विभाग के विशेषज्ञों द्वारा (EL-NINO) अलीनी इफेक्ट की बात कही जा रही है सरकार द्वारा उसका किस प्रकार से भुकालता करना है और किस प्रकार से उसके लिए व्यवस्था की जाए और किस प्रकार से प्रबन्धन किया जाए। इसके बारे में पूरी डिबेट होनी चाहिए थी। सर, इसके लिए बहुल कम समय दिया गया है और आप तो इस बात के फेवर में होते हैं कि सभी सदस्यों को बोलने के लिए ज्यादा समय दिया जाए। परन्तु पता नहीं आपकी क्या नज़रूरी है ? सरकार द्वारा जब कोई ऐसा कानून लाना हो तो मेरे भाई रणदीप सिंह जी के जिम्मे वह कान लगा दिया जाता है जब कोई बुराई लेनी हो तो भी उनके जिम्मे लगा दी जाती है और वे विषय के सदस्यों को यह कह देते हैं कि समय नहीं है इसलिए बैठ जाइये। कई बार जब कान लगा दिया जाता है तो भाई रणदीप सिंह जी को कागज पकड़ा दिया जाता है कि किसी प्रकार से भी इस मुद्दे से सरकारी पक्ष को बाहर निकालो। यह ठीक है कि वे अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। लेकिन वे यह भी तो कह सकते हैं कि इस सदन के सभी सदस्य जनता द्वारा चुनकर आये हैं। कर्क इतना है कि सरकारी पक्ष ने किरी तरह से अपनी मैजोरिटी बना ली। किसी प्रकार से बनाई उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि अब तो सरकार को बने हुए लम्बा समय हो गया है। चाहे सरकार ने हरियाणा जनहित कांग्रेस पार्टी के सदस्यों को मिलाया लेकिन अपनी मैजोरिटी को मूरा किया क्योंकि जब चुनाव हुए तब कांग्रेस पार्टी की पूर्ण मैजोरिटी नहीं थी। अब तो सरकार का समय पूरा होने वाला है इसलिए अब इस सदन को सरकार की विदाई पार्टी कह सकते हैं क्योंकि यह सरकार का आखिरी सेशन है। सर, इसलिए अब तो आपको सभी मैम्बर्ज को बोलने के लिए समय देना चाहिए ताकि सभी सदस्य लोगों की समस्याओं को सदन में रख सकें। सर, आपने पहले भी सदस्यों को बोलने का समय नहीं दिया कभी नेम कर दिया तो कभी सर्पेंड कर दिया। सर, यह काम वैसे आपके मूह से तो नहीं हो रहा। परन्तु भाई रणदीप सिंह जी आपके सामने परवाना पढ़ देते थे कि आप दोबारा से मैम्बर्ज को नेम करो।

Shri Ranveer Singh Surjewala : Sir, it is an aspersion on the Chair and I humbly request you that these words should be deleted from the proceedings of the House.

Mr. Speaker : O.K. These words should be deleted from the proceedings of the House.

Shri Ranveer Singh Surjewala : Sir, I don't think so that Speaker of this House is be holden to anyone.

श्री रामपाल माजरा : सर, आप डिलीट तो चाहे मेरी सारी बातें कर दें लेकिन लोगों ने अपनी समझ पर रखने के लिए विद्यायकों को सदन में भेजा है। But sir, this is the mockery of the democracy. इसका सदन में मजाक उड़ाया जा रहा है। सर, आई बार सेशन के दौरान हम विपक्षी सदस्य सदन में आये और केवल सेशन के लिए सदन में बैठाया और कोई भी बात हमें सदन में कहने नहीं दी गई और हमें अपने हल्के के लोगों की समझायकों को सदन में नहीं उठाने दिया गया। सर, हर सेशन में हमने कालिंग अटेंशन मोशन का प्रस्ताव आपके सामने रखा। प्रदेश के कम्पूटर टीचर्ज और एडिड स्कूलों के कर्मचारी धरने पर बैठे हैं। किस प्रकार प्रदेश में शिक्षा का स्तर बिल्कुल निर रहा है और कर्मचारियों में किस प्रकार से अनरेस्ट है। हमने किसने ही आपको कालिंग अटेंशन मोशन और एडजर्न मोशन दिये। सी०एल०य० के मुद्दे पर, भूमि अधिग्रहण करने के बारे में और सी०डी० प्रकरण हुआ इन सभी मुद्दों पर डिस्कशन हो जाना चाहिए था। उसके लिए हमने आपको एडजर्न मोशन भी दिए। उसके बाद हमने आपको शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के लिए प्रस्ताव भी दिए। उसके बाद हमने नॉन आफिशिरल रेजूलूशन मोशन दिए। जिस प्रकार से बिजली के रेट में वृद्धि हुई है। जिस प्रकार से पंजाब के वेतनमान के समान हमारे कर्मचारियों को वेतनमान मिल जाने चाहिए थे। इस सभी मुद्दों को लेकर हम आपके सामने आये। मैं विशेष प्रकार से आपसे यह बात कहना चाहता हूँ कि सदन में प्रायः यह कह दिया जाता है कि यह सब बी०ए०सी० की रिपोर्ट भी कहती है और सरकार भी कहती है कि सरकारी कामकाज नहीं है परन्तु विधान सभा की बिलिंग बनाने वाले ली कार्बोजिथर को बुलाना पड़ेगा क्योंकि अध्यक्ष महोदय, आपने यहां भर्ती बहुत ज्यादा कर दी। अध्यक्ष महोदय, आप इधर कहते हैं कि कोई कामकाज नहीं है, उधर कहते हैं कि एम०एल०एज० के पास कोई काम नहीं है, सरकार के पास कोई काम नहीं है इसलिए मैं कहना चाहूँगा जो काम हम यहां लेकर आते हैं, चर्चा करने के लिए आते हैं उसका क्या क्योंकि उसके लिए आप कह देते हैं कि सभी नहीं हैं। अध्यक्ष महोदय, सेशन की अवधि बढ़ाई जानी चाहिए। यह सेशन लम्बे समय तक चले ताकि लोगों की तकलीफों और कठिनाइयों को दूर किया जा सके। यहां हर विषय पर डिस्कशन हो और सरकार उसका जवाब दें तो यह एक स्वस्थ परम्परा होगी। अध्यक्ष महोदय, स्वस्थ परम्परा कायन करने का आपका वायदा भी था।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मेरे द्वारा आदरणीय साथी श्री अनिल विज जी और श्री रामपाल माजरा जी ने सदन की अवधि को बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है। आदरणीय अनिल विज जी को मैं सूचित करना चाहूँगा कि उन्हीं की पार्टी की माननीय सदस्या हैं वे बी०ए०सी० की मैम्बर भी हैं और उन्होंने बी०ए०सी० की भीटिंग में अपना पक्ष रखा। (विज)

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, अनिल विज जी को यह एतराज है कि बी०ए०सी० में इनको मैम्बर क्यों नहीं बनाते।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : माजरा जी, आप यह फैसला कर लें कि आप अनिल विज जी की अदालत पक्की कर रहे हैं या कच्ची कर रहे हैं।

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, मैं अनिल विज जी की पक्की वकालत कर रहा हूँ।

(विज)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, मारतीथ जनता पार्टी की माननीय सदस्या बी०ए०सी० की मैम्बर हैं और उन्होंने बी०ए०सी० की भीटिंग में आपके सामने और बी०ए०सी० के मैम्बर्ज के सामने अपना पक्ष रखा और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के इन दोनों मैम्बर्ज

की आपस में मंत्रणा नहीं हुई है। कई बार पार्टी के मैम्बर्ज की आपस में बात नहीं हो पाती और ऐसा हो जाता है परन्तु अच्छा होता कि अनिल विज जी और माननीय सदस्या आपस में राय कर लेते। (विच्छ)

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, ****

Shri Randeep Singh Surjewala : I didn't interrupt. We heard him out. I also heard Majra Sahib out.

Mr. Speaker : Let the minister finished it.

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : अध्यक्ष महोदय, हमने दोनों मैम्बर्ज रामपाल माजरा जी और अनिल विज जी की बात सुनी लेकिन अब ये हमारी बात सुनते हुए विचलित कथों हो रहे हैं। मैंने इनकी पूरी बात सुनी और कोई दखलअदाजी नहीं की। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, *****

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, *****

Mr. Speaker : Yes, Mr. Arora, What do you want to say? (Interruption)

Shri Randeep Singh Surjewala : Speaker Sir, I thought I was on my legs.

Mr. Speaker : Mr. Arora is a senior Member, let him speak.

Shri Randeep Singh Surjewala: Ok Sir, he is my elder brother and I regard him.

श्री अशोक कुमार अरोड़ा: अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री जी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की एक सदस्या बी०ए०सी० में मैम्बर थी और ये रिपोर्ट से सहमत थी। मैं यह जानना चाहूंगा कि आगर बी०ए०सी० की रिपोर्ट से सहमति होनी है तो इसे हाउस में लाने की जल्दत क्या है। अगर हाउस में यह रिपोर्ट आनी है तो डाउस के मैम्बर्ज इस पर डिस्क्लशन करें। (विच्छ)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, अरोड़ा जी बहुत विशिष्ट मैम्बर हैं और स्पीकर भी रहे हैं तथा आपु में भी मेरे से वरिष्ठ हैं। जब ये स्पीकर थे तो थे जिन कन्वेंशन को फोलो करते थे आज उनको पता नहीं क्यों भूल रहे हैं। श्री अनिल विज जी को यह बात सुननी चाहिए थी क्योंकि मैंने तो केवल यह कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की एक सभानित सदस्या बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की आपस में मंत्रणा नहीं हुई है। रिपोर्ट तो यूनानीमस है। विधान सभा अधिवालय के पास एजेंडा क्या है। अनिल विज जी को, अशोक अरोड़ा जी को और रामपाल माजरा जी को शायद यह एतराज है कि प्रश्नकाल क्यों नहीं चलाया गया। अध्यक्ष महोदय, मैं लो यह कहना चाहता हूं कि इन्होंने क्यों आपसे इजाजत लेकर प्रश्न नहीं रखे। ये क्यों हाउस को और पूरे प्रांत को धरणलाने का काम कर रहे हैं। 16 दिन से कम नोटिस पीरियड था तो ये आपसे पूछकर प्रश्न रख सकते थे क्योंकि ऐसा बिजनैस रूलज में प्रावधान है। अध्यक्ष महोदय, ये क्यों एजेंडा लेकर यहां नहीं आते। किसी भी प्रजातंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों महत्वपूर्ण हैं। विपक्ष सत्ता पक्ष के बराबर महत्वपूर्ण है परंतु सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष को शोर गुल के अलावा अपनी नैतिक, सामाजिक और संवैधानिक जिम्मेवारी का निर्वहन करना आवश्यक है। (विच्छ)

*चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

Mr. Speaker : Any body who speaks without my permission will not be recorded.

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों को समझना चाहिए कि विपक्ष भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना सत्ता पक्ष महत्वपूर्ण है। विपक्ष की भी एक जिम्मेवारी होती है तथा हमारे मुख्यमंत्री जी ने और सत्ता पक्ष ने विपक्ष का हमेशा आदर किया है परन्तु फिर भी विपक्ष के साथी सदन की कार्यवाही में बेवजह व्यवधान डालते हैं। अध्यक्ष महोदय, सदन की जो इस्टेब्लिशमेंट ने उनका सभी को आदर करना चाहिए। बिजनेस एडवार्ड्जरी कमेटी में बीओपीओ की भी एक माननीय सदस्या मैंबर हैं जो बीटिंग के समय पूरी तरह से संतुष्ट थी लेकिन वे अंदर कुछ बात करते हैं और बाहर आकर कुछ बात करते हैं। ये लोग आपस में दिवारदिमर्श किए थे वे सदन में बात कर रहे हैं। बिजनेस एडवार्ड्जरी कमेटी की यूनानीमस रिपोर्ट आई है। इसके अतिरिक्त जो एजेंडा है वह हमारे सामने है। इसके अलावा दूसरा कोई एजेंडा नहीं है इसलिए बिजनेस एडवार्ड्जरी कमेटी की रिपोर्ट को यूनानीमसली रवीकार किया जाये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज़: सर, हमारी बात की गई है। (शोर एवं व्यवधान) I am to clear my position, अध्यक्ष महोदय, पार्लियामेंटरी अफेयर्ज बिभिस्टर हर बार यही बात सुनाते हैं कि हम बिजनेस एडवार्ड्जरी कमेटी की बीटिंग में कुछ बात करते हैं और यहां कुछ बात करते हैं। हमारी सदस्या ने अंदर जो कुछ हुआ वे सारी बातें मुझे बताई। हमारी सदस्या ने बिजनेस एडवार्ड्जरी कमेटी की बीटिंग में कहा था कि सदन की कार्यवाही लम्बे समय तक चलाई जाये लेकिन वहां उनकी बात नहीं सुनी गई। मैंने उनको कहा कि कोई बात नहीं है हम अपनी बात सदन में कहेंगे कि सदन की कार्यवाही लम्बे समय तक चलाई जाये। अध्यक्ष महोदय, हम जानता चाहते हैं कि क्या आवश्यकता थी कि इतने शॉर्ट नोटिस पर सैशन बुलाया गया जिसके कारण सदस्य व्यैश्वन भी नहीं दे पाये। (शोर एवं व्यवधान) क्या जरूरत पड़ी थी कि शॉर्ट नोटिस पर सैशन बुलाया गया?

श्री भारत भूषण बत्रा: अध्यक्ष महोदय, विज साहब काफी समय से बोल रहे हैं ये सदन के दूसरे सदस्यों को भी अपनी बात कहने का अवसर दें। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, यह इनका कोई तरीका नहीं है। बात तो ये लोग पार्लियामेंटरी फॉर्म की करते हैं लेकिन ये लोग सदन में नारे बाजी करने के अलावा कुछ नहीं करते। क्या इनको इस तरह का व्यवहार करने का लाइसेंस मिला हुआ है? इन्होंने पांच साल तक सदन में नारेबाजी के अलावा कुछ नहीं किया। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Please keep silence in the House.

श्री रामपाल माजरा: अध्यक्ष महोदय, मेरा नाम लिखा है इसलिए मुझे भी कुछ कहना है।

श्री अध्यक्ष: माजरा जी, पहले बतरा जी अपनी बात कह लें उसके बाद आप बोल लेना।

श्री भारत भूषण बत्रा: अध्यक्ष महोदय, मैंने रिकवेस्ट की थी, किसी का नाम नहीं लिया यदि लाऊड स्पीकर से किसी को कुछ और ही सुन रहा है तो मुझे मालूम नहीं है। अध्यक्ष महोदय, जो मैं कहने जा रहा हूं यह बड़ी चिन्ता का विषय है। हम सभी जानते हैं कि प्रजातंत्र और डैमोक्रेसी में विपक्ष की क्षमा भूमिका होती है लेकिन हमारे सदन में पिछले पौने पांच साल के दौरान विपक्ष का रैवथा ठीक नहीं रहा है। केवल सदन की बैल में आकर नारे बाजी करने के

अलावा इन्होंने सदन की कार्यधारी में कोई योगदान नहीं दिया। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, यह रिकार्ड की बात है। इन लोगों ने सदन भैं कभी भी गवर्नर एड्रेस और साज्यपाल के अभिभाषण पर रचनात्मक चर्चा नहीं की है। थह आत सही है कि पार्लियार्मेंट में सेशन बहुत लम्बे समय तक चलता है लेकिन हरियाणा विधान सभा कम समय के लिए चलती है। इसका कारण यह है कि हमारे यहां बिजनैस कम रहता है। स्पीकर महोदय ने सभी सदस्यों को अपनी बात कहने का पूरा अवसर देकर उदारता का परिचय दिया है लेकिन विपक्ष के साथियों ने अपनी बात कभी ढंग से नहीं रखी इसका मुझे बड़ा अफसोस है। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Everybody sit down please.

श्री अशोक कुमार अरोड़ा: स्पीकर सर, आभी हमारे साथी कह रहे थे कि इस बार सदन के सेशन का समय बहुत ही कम रखा गया है जिस पर श्री भारत भूषण बतरा जी कह रहे थे कि इस सदन की कार्यधारी को खलाने में विपक्ष का कोई भी योगदान नहीं रहा है। इस मामले में मेरा सजैशन यह है कि रूल्ज कमेटी की मीटिंग बुलाकर रूल्ज में यह प्रावधान कर दिया जाये कि इस हाउस की कम से कम इतनी बैठके होंगी।

श्री अध्यक्ष: ठीक है, अब आप बैठ जाईये।

वॉक-आउट

श्री अनिल विज़: अध्यक्ष महोदय, आप हमारी सदन के सत्र की अवधि को बढ़ाये जाने की मांग को रचीकर नहीं कर रहे हैं इसलिए इसके विरोधस्वरूप हम सदन से वॉक-आउट करते हैं।

(इस समय भारतीय जनता पार्टी के सदन में उपस्थित सभी सदस्य सत्र की अवधि न बढ़ाये जाने के विरोधस्वरूप सदन से वॉक-आउट कर गये।)

बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की पहली रिपोर्ट पेश करना (पुनरारम्भण)

Mr. Speaker : Question is—

That this House agrees with the recommendations contained in the First Report of the Business Advisory Committee.

(The motion was carried)

सदन की मेज पर रखे गये/पुनः रखे गये कागज-पत्र

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now the Parliamentary Affairs Minister will lay/re-lay papers on the Table of the House.

Industries Minister (Shri Ranveer Singh Surjewala): Sir, I beg to lay on the Table of the House—

The National Law University Haryana (Amendment) Ordinance, 2014 (Haryana Ordinance No. 4 of 2014).

Chaudhary Bansi Lal University, Bhiwani Ordinance, 2014 (Haryana Ordinance No. 5 of 2014).

Chaudhary Ranbir Singh University, Jind Ordinance, 2014 (Haryana Ordinance No. 6 of 2014).

Industries Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, I beg to re-lay on the Table of the House—

The School Education Department Notification No. 8/43-2012 P.S. (2), dated the 19th June, 2013 regarding amendment in Haryana School Education Rules, 2013, as required under section 24 (3) of the Haryana School Education Act, 1995.

The School Education Department Notification No. 8/27-2013 P.S. (2), dated the 28th January, 2014 regarding amendment in Haryana School Education Rules, 2013, as required under section 24 (3) of the Haryana School Education Act, 1995.

Industries Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, I also beg to lay on the Table of the House—

The Annual Statement of Accounts of Housing Board, Haryana, Panchkula for the year 2011-2012, as required under section 19-A (3) of the Comptroller and Auditor General's (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971.

विशेषाधिकार मामलों के संबंध में विशेषाधिकार समिति के प्रारंभिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाना

(i) श्री ओम प्रकाश चौटाला, एम०एल०ए० के विरुद्ध

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now Dr. Raghuvir Singh Kadian, M.L.A. Chairperson, Privileges Committee will present the Ninth Preliminary Report of the Committee of Privileges with regard to the question of alleged breach of privilege given notice of by Shri Kuldeep Sharma, M.L.A. (now Hon'ble Speaker) against Shri Om Parkash Chautala, MLA who made false statement on the floor of the House on 11th March, 2010 regarding imposing VAT on Salt which was made willfully, deliberately and knowingly by Shri Om Parkash Chautala, MLA thereby misleading the House and amounting to committing the contempt of the House/breach of privilege by him. He will also move that time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of next Session.

विभिन्न मामले उठाना

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : स्पीकर सर, **** (विट्ठन)

श्री अध्यक्ष : अभी बलायेंगे। (व्यावधान) You can not dictate me Mr. Arora. You can not dictate me. Let me conduct the business of the House. After this, I will tell you. (Interruption) I will tell you after this. Please resume your seat. आप थेटिए। प्लीज आप बैठिए। I am requesting you to please sit down. (Interruption) After this I will tell you. (Interruption)

*चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

श्री अचोक कुमार अरोड़ा: स्पीकर सर, ***** (विच्छन)

श्री अध्यक्ष: अरोड़ा जी, आप कृपया करके बैठ जाइये। Let me complete the legislative business first. (Interruption)

श्री अनिल विज: स्पीकर सर, ***** (विच्छन)

Mr. Speaker : Nothing is to be recorded. (Interruption) You are jumping your limit. Please sit down. (Interruption) Please sit down. विज जी, कृपया करके आप भी बैठ जाइये। Let me complete the legislative business first. (Interruption)

श्री अनिल विज: स्पीकर सर, ***** (विच्छन)

श्री अध्यक्ष: विज जी, कृपया करके आप भी बैठ जाइये। Let me complete the legislative business first. (Interruption)

श्री अनिल विज: स्पीकर सर, आप मुझे मेरे द्वारा दिये गये कालिंग अटैशन मोशंज का फेट लो बता दीजिए।

श्री अध्यक्ष: विज जी, अभी आप बैठिए। Nothing is to be recorded. (Interruption)
Mr. Vij, you are jumping your limit. Please sit down. (Interruption) Please sit down.

वाक आउट

श्री अनिल विज: स्पीकर सर, यदि आप मुझे मेरे द्वारा दिये गये कालिंग अटैशन मोशंज का फेट नहीं बता रहे हैं तो हन जमी इसके विरोधस्वरूप सदन से वॉक-आउट करते हैं।

(इस समय भारतीय जनता पार्टी के सदन में उपस्थित सभी सदस्य श्री अनिल विज द्वारा दिए गए कालिंग अटैशन नोटिसिज का माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा फेट न बताये जाने के विरोधस्वरूप सदन से वॉक-आउट कर गये)

विशेषाधिकार भागलों के संबंध में विशेषाधिकार समिति के प्रारंभिक प्रतिवेदन
प्रस्तुत करना तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाना
(पुनरारम्भण)

Chairperson, Committee of Privileges (Dr. Raghuvir Singh Kadian) : Sir, I beg to present the Ninth Preliminary Report of the Committee of Privileges with regard to the question of alleged breach of privilege given notice of by Shri Kuldeep Sharma, MLA (now Hon'ble Speaker) against Shri Om Prakash Chautala, MLA who made false statement on the floor of the House on 11th March, 2010 regarding imposing VAT on Salt which was made willfully, deliberately and knowingly by Shri Om Prakash Chautala, MLA thereby misleading the House and amounting to committing the contempt of the House/breach of privilege by him.

*चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

[Dr. Raghuvir Singh Kadian]

Sir, I also beg to move—

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of the next Session.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of the next Session.

श्री अशोक कुमार अरोड़ा स्पीकर सर..... (विच्छ)

श्री अध्यक्ष: अरोड़ा जी, आप कृपया करके बैठ जाइये। Let me complete the legislative business first. (Interruption)

Mr. Speaker : Question is—

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of the next Session.

The motion was carried.

(ii) श्री ओम प्रकाश चौटाला, एम०एल०ए० के विरुद्ध

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now Dr. Raghuvir Singh Kadian, M.L.A. Chairperson, Privileges Committee will present the Ninth Preliminary Report of the Committee of Privileges with regard to the question of alleged breach of privilege given notice of by Shri Bharat Bhushan Batra, M.L.A. against Shri Om Parkash Chautala, MLA who made false, misleading and incorrect statement on the floor of the House on 11th March, 2010 willfully, deliberately and knowingly stating that the Haryana Urban Development Authority had not acquired a single acre of land since coming into power of the Congress Government from March, 2005 till date. He has also stated that not even a single sector of HUDA had been floated during this period, whereas the Parliamentary Affairs Minister, Shri Randeep Singh Surjewala had pointed out the correct factual position but Shri Om Prakash Chautala again asserted that neither even a single sector of HUDA was floated nor a single acre of land was acquired by HUDA from March, 2005 till date. By doing so Shri Om Parkash Chautala, has tried to mislead the House willfully, knowingly and deliberately which amounts to contempt of the House/Breach of Privilege committed by him on the floor of the House. Thus, the matter of making false statement by Shri Om Parkash Chautala on the floor of the House on 11th March 2010, involves the question of Breach of Privilege/contempt of the House. He will also move that time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of next Session.

Chairperson, Committee of Privileges (Dr. Raghuvir Singh Kadian):
Sir, I beg to present the Ninth Preliminary Report of the Committee of Privileges with regard to the question of alleged breach of privilege given notice of by Shri Bharat Bhushan Batra, MLA against Shri Om Prakash Chautala, MLA who made false, misleading and incorrect statement on the floor of the House on 11th March, 2010 willfully, deliberately and knowingly stating that the Haryana Urban

Development Authority had not acquired a single acre of land since coming into power of the Congress Government from March, 2005 till date. He has also stated that not even a single sector of HUDA had been floated during this period, whereas the Parliamentary Affairs Minister, Shri Randeep Singh Surjewala had pointed out the correct factual position but Shri Om Prakash Chautala, M.L.A again asserted that neither even a single sector of HUDA was floated nor a single acre of land was acquired by HUDA from March, 2005 till date. By doing so Shri Om Prakash Chautala, M.L.A has tried to mislead the House willfully, knowingly and deliberately which amounts to contempt of the House/breach of Privilege committed by him on the floor of the House. Thus, the matter of making false statement by Shri Om Prakash Chautala on the floor of the House on 11th March, 2010, involves the question of Breach of Privilege/contempt of the House.

Sir, I also beg to move—

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of the next Session.

Mr. Speaker: Motion moved....

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of the next Session

Mr. Speaker : Question is—

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of the next Session

The motion was carried.

(iii) श्री ओम प्रकाश चौटाला, एमोड़ल०५० के विषय

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now Dr. Raghuvir Singh Kadian, M.L.A. Chairperson, Privileges Committee will present the Ninth Preliminary Report of the Committee of Privileges with regard to the question of alleged breach of privilege given notice of by Shri Aftab Ahmed, M.L.A. against Shri Om Parkash Chautala, M.L.A who made categorically incorrect and misleading statement on the floor of the House on 11th March, 2010 stating that Reliance Company has been given 1500 acres of Government land at a cost of Rs. 370 crore in garb of giving employment, particularly when HSIIDC had acquired this land for welfare of the people. He further stated that a four acres chunk of land out of this acquired land has been auctioned for Rs. 290 crore. He consequently alleged loss to the exchequer and fraud on account thereof. He further stated that land of farmers was acquired in the name of 'SEZ' and they were told that they will be given bonus/annuity of Rs. 10,000/- per acre per year. He further stated that even a rupee has not been paid till date to any farmer by way of such bonus/annuity. Whereas the above statement of Shri Om Parkash Chautala is factually and absolutely incorrect. Shri Om Parkash Chautala has made a false, misleading and incorrect statement in the House on both the afore-stated subjects. Shri Om Parkash Chautala made this statement willfully, deliberately and knowingly to mislead this august House.

[Mr. Speaker]

This constitutes a matter of clear breach of privilege of the House. Thus, the matter of making false statement by Shri Om Parkash Chautala on the floor of the House on 11th March 2010, involves the question of Breach of Privilege/contempt of the House. He will also move that the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of next Session.

Chairperson, Committee of Privileges (Dr. Raghuvir Singh Kadian) :

Sir, I beg to present the Ninth Preliminary Report of the Committee of Privileges with regard to the question of alleged breach of privilege given notice of by Shri Aftab Ahmed, MLA against Shri Om Prakash Chautala, MLA who made categorically incorrect and misleading statement on the floor of the House on 11th March, 2010 starting that Reliance Company has been given 1500 acres of Government land at a cost of Rs. 370 crore in garb of giving employment, particularly when HSIIDC had acquired this land for welfare of the people. He further stated that a four acres chunk of land out of this acquired land has been auctioned for Rs. 290 crore. He consequently alleged loss to the exchequer and fraud on account thereof. He further stated that land of farmers was acquired in the name of 'SEZ' and they were told that they will be given bonus/annuity of Rs. 10,000/- per acre per year. He further stated that even a rupee has not been paid till date to any farmer by way of such bonus/annuity. Whereas the above statement of Shri Om Prakash Chautala is factually and absolutely incorrect. Shri Om Prakash Chautala has made a false, misleading and incorrect statement in the House on both the aforestated subjects. Shri Om Prakash Chautala made this statement willfully, deliberately and knowingly to mislead this august House. This constitutes a matter of clear breach of privilege of the House. Thus, the matter of making false statement by Shri Om Prakash Chautala on the floor of the House on 11th March, 2010, involves the question of breach of privilege/contempt of the House.

I also beg to move—

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of the next Session.

Mr. Speaker: Motion moved—

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of the next Session

Mr. Speaker : Question is—

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of the next Session

The motion was carried.

(iv) श्री ओम प्रकाश चौटाला, एम०एल०ए० के विरुद्ध

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now Dr. Raghuvir Singh Kadian, M.L.A. Chairperson, Privileges Committee will present the Eighth Preliminary Report of the Committee of Privileges with regard to the question of alleged breach of privilege given notice of by Shri Kuldeep Sharma, M.L.A. (now Hon'ble Speaker)

against Shri Om Prakash Chautala, M.L.A. who made false, misleading and incorrect statement on the floor of the House on 6th September, 2010 stating that a news was being televised by some News Channels that in the car of Shri Gopal Kanda, Minister of State for Home, Haryana, a girl has been kidnapped and three men raped her. He further stated that Shri Gopal Kanda himself was driving the car and this car was owned by Shri Gopal Kanda. He also stated the number of car as HR-70L-0009. He further stated that the girl was kidnapped from Delhi and was raped in Gurgaon. Therefore, the Government should resign. Whereas, the above statement of Shri Om Parkash Chautala is factually and absolutely incorrect. Shri Om Parkash Chautala made a false, misleading and incorrect statement in the House. He made this statement willfully, deliberately and knowingly to mislead this august House. This constitutes a matter of clear breach of privilege of the House. Thus, the matter of making false statement by Shri Om Parkash Chautala on the floor of the House on 6th September, 2010, involves the question of Breach of Privilege/contempt of the House and will also move that time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of the next Session.

Chairperson, Committee of Privileges (Dr. Raghuvir Singh Kadian):
 Sir, I beg to present the Eighth Preliminary Report of the Committee of Privileges with regard to the question of alleged breach of privilege given notice of by Shri Kuldeep Sharma, M.L.A. (now Hon'ble Speaker) against Shri Om Prakash Chautala, M.L.A who made false, misleading and incorrect statement on the floor of the House on 6th September, 2010 stating that a News was being televised by some News Channels that in the car of Shri Gopal Kanda, Minister of State for Home, Haryana, a girl has been kidnapped and three men raped her. He further stated that Shri Gopal Kanda himself was driving the car and this car was owned by Shri Gopal Kanda. He also stated the number of car as HR-70L-0009. He further stated that the girl was kidnapped from Delhi and was raped in Gurgaon. Therefore, the Government should resign. Whereas, the above statement of Shri Om Parkash Chautala is factually and absolutely incorrect. Shri Om Parkash Chautala made a false, misleading and incorrect statement in the House. He made this statement willfully, deliberately and knowingly to mislead this august House. This constitutes a matter of clear breach of privilege of the House. Thus, the matter of making false statement by Shri Om Parkash Chautala on the floor of the House on 6th September, 2010, involves the question of breach of privilege/contempt of the House.

Sir, I also beg to move—

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of the next Session.

Mr. Speaker: Motion moved—

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of the next Session.

श्री रामपाल माजरा : स्पीकर सर, गीतिका शर्मा ने अपने डाइग डिक्लेरेशन में साफ लिखा है कि उनका रेप गाड़ी में नहीं दफ्तर में हुआ है इसलिए इसमें सदन को गुभराह करने वाली कौन सी बात है।

Mr. Speaker : That matter is sub-judice.

श्री रामपाल माजरा : * * * *

Mr. Speaker : That matter is sub-judice. Nothing is to be recorded. Please do not mention about it. Please don't record these remarks. This matter is already in the Court. The man is facing trial. You cannot talk about it. (Interruption) Nothing is to be recorded.

Mr. Speaker : Question is—

That the time for the presentation of the final Report to the House be extended upto the first sitting of the next Session

The motion was carried.

विधान कार्य—

1. दि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी हरियाणा (अमेंडमेंट) बिल, 2014

Mr. Speaker : Now, the Education Minister will introduce the National Law University Haryana (Amendment) Bill, 2014 and will also move the motion for its consideration.

Education Minister (Smt. Geeta Bhukkal Matanhail): Sir, I beg to introduce the National Law University Haryana (Amendment) Bill, 2014.

Sir, I also beg to move—

That the National Law University Haryana (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the National Law University Haryana (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is—

That the National Law University Haryana (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Clauses 2 to 7

Mr. Speaker : Question is—

That Clauses 2 to 7 stands part of the Bill.

The motion was carried.

* देखर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया

Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the Education Minister will move that the Bill be passed.

Education Minister (Smt. Geeta Bhukkal Matanhail): Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

श्री अशोक कुमार अरोड़ा: स्थीकर सर, आज प्रदेश के कर्मचारियों की किसी दुर्दशा हो रही है। उसके साथ ही कम्प्यूटर टीचर कितने दिन से धरने पर बैठे हुए हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज: स्थीकर सर, बिल जो अभी सदन में प्रस्तुत किए गए हैं। हम इनको पहले पढ़ेंगे फिर उन पर अपने विचार व्यक्त करेंगे। आप इन बिलों को इसीजियेटली पास क्यों करता चाहते हो? (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Anil Vij you are not standing even on the road. You are in the House. Behave yourself please. You cannot stand in the seat and talk like this. (Interruption) You are holding the House to ransom. This is bad. Please sit down. (Interruption) You cannot do behave like this, Mr. Vij.

विजली मंत्री (कैप्टन अजय सिंह साहब): स्पीकर सर, सोनीपत में नेशनल लॉ युनिवर्सिटी बनाई जा रही है उसके लिए विपक्ष के साथियों को खुशी होनी चाहिए। लेकिन वे इसका विरोध कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा: स्पीकर सर, आप हमें बोलने का मौका तो दो ताकि हम अपनी बात कह सकें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अच्युत: अरोड़ा साहब, आप बोलिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्तल मातनहेल: स्पीकर सर, अगर सोनीपत में ३०० भीम राव अम्बेडकर के नाम से नेशनल लॉ युनिवर्सिटी बन रही है उनके नाम को बदलने के लिए यह छोटी सी एमेंडमेंट हम ला रहे हैं लेकिन विज साहब, को यह सहन नहीं हो रही है। विज साहब, क्या आप इस बिल के खिलाफ हैं? (शोर एवं व्यवधान) स्पीकर सर, मैं हमारे विपक्ष के साथी अनिल विज जी से पूछना चाहती हूँ कि अगर हरियाणा प्रदेश में राष्ट्रीय विधि विद्यविद्यालय ३०० भीम राव अम्बेडकर जी के नाम से खुल रहा है तो क्या वे इस बीज के खिलाफ हैं। इस संबंध में बिल तो आलरेडी इंट्रोड्यूस हो चुका है। (विचार) बिल तो पहले ही सदन में आ चुका है। (विचार)

श्री अनिल विज: स्पीकर सर, बिल को पढ़ने का मौका तो दिया ही जाना चाहिए। (विचार)

Mr. Speaker : Why can't you speak from your seat? You are standing in the corner. What do you mean? You cannot behave like this in the House. (Noise & Interruption)

सहकारिता मंत्री (श्री सतपाल): स्पीकर सर, विज साहब का तो एक एक ही मकसद है कि हाउस को प्रोपर ढंग से नहीं चलने देना है। (शोर एवं व्यवधान) विज साहब को सीनियर मैंबर की तरह आचरण करना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज: स्पीकर सर, मैं कोई गलत बात तो नहीं कर रहा हूँ। (विचार)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा: स्पीकर सर, आपने मुझे बोलने के लिए अलाज किया है? (शोर एवं व्यवधान) अतः मुझे बोलने का पहले मौका दिया जाना चाहिए। मैडम गीता भुक्तल जी और कैप्टन साहब बार-बार उठकर बोल रहे हैं। आप इन्हें बिठाईये और मुझे बोलने का मौका दें।

Mr. Speaker : Yes, Please Speak. (Noise & Interruption)

श्री अनिल विज: स्पीकर सर, *** (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Nothing is to be recorded which has been said by Mr. Anil Vij.

श्री अशोक कुमार अरोड़ा: स्पीकर सर, मेरे को पहले बोलने के लिए अलाज किया गया था। अतः आपसे पुनः प्रार्थना है कि कैप्टन साहब को बिठाईए और मुझे बोलने का मौका दें। (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अजय सिंह यादव: स्पीकर सर, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ *** (विचार)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा: स्पीकर सर, मैं पहले बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ *** (विचार)

Mr. Speaker : I think Captain Sahab wants to speak on the bill. Yes please speak.

* चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया

कैप्टन अजय सिंह यादव: स्पीकर सर, हरियाणा प्रदेश में डॉ० भीम राव अंबेडकर के नाम से लॉ यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है। उस पर अनिल विज जी बाक आउट कर रहे हैं। यह तो भास्तुत व्यक्ति के लिए इंसल्ट की बात है। डॉ० भीम राव अंबेडकर जी भारत रत्न से नवाजे गये भास्तुत व्यक्ति है। उनके नाम से विधि विविधालय बनाया जा रहा है और अनिल विज जी इस तरह की बातें करके उस भास्तुत व्यक्ति की इंसल्ट ही कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कल : स्पीकर सर, अनिल विज जी ने बड़े अपभाव की बात की है। वैसे भारतीय जनता पार्टी की परंपरा भी इसी तरह की रही है क्योंकि यह पार्टी पूजीपतियों की पार्टी है। इस पार्टी की हमेशा से यह परंपरा रही है **** (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज: स्पीकर सर, **** (शोर एवं व्यवधान)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा: स्पीकर सर, मुझे तो अपनी बात कहने का समय दो। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कल : स्पीकर सर, अरोड़ा जी को लॉ यूनिवर्सिटी को हरियाणा में लाने के लिए धन्यवाद करना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा: स्पीकर सर, *** (विधि)

Mr. Speaker : Arora ji, I think you also want to speak on bill.

Please speak.

श्री अशोक कुमार अरोड़ा: स्पीकर सर, डॉ० भीम राव अंबेडकर जी के नाम से हरियाणा प्रदेश में लॉ यूनिवर्सिटी खोली जा रही है हम इसका स्वागत करते हैं। परन्तु इसके साथ ही यह कहना भी मैं जरूरी समझता हूं कि यद्यपि हरियाणा प्रदेश में बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट्स अस्सिस्टेंट्स में आये हैं लेकिन इनमें अमीर लोगों के बच्चों के ही एडमिशन होते हैं। इनमें एडमिशन के लिए . . . (विधि)

Mr. Speaker : You are making a very important point (Noise & Interruption)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा: स्पीकर सर, मैं खॉर्थेट पर ही लो बोल रहा हूं **** (शोर एवं व्यवधान)

परिवहन मंत्री (चौधरी आफताब अहमद): स्पीकर सर, अरोड़ा जी इस तरह से इवेलिड बात करके विषय को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा: स्पीकर सर, इसमें मैंने इवेलिड क्या बात कह दी है (शोर एवं व्यवधान) मैंने कौन सा गलत शब्द कह दिया है जो आप मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं तथा आफताब जी मुझसे बहस कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

चौधरी आफताब अहमद: स्पीकर सर, अरोड़ा जी अगर मेरे से बहस करें तो वाजिब बात है लेकिन आपसे बहस करना जबकि आप उनको एप्रीशियेट कर रहे हैं, किसी भी सूरत में उचित नहीं लगता है। आप अरोड़ा जी को एक बार फिर से बता दें कि आपने उनके लिए क्या कहा था। (शोर एवं व्यवधान)

* देयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया

Mr. Speaker : I said, he is making a very important point. (Interruption)
I am appreciating him.

चौधरी आफताब अहमद: स्पीकर सर, अरोड़ा जी को तो यहां तक पता नहीं है कि आप उसकी एप्रिशियेशन कर रहे हैं और वे आपसे ही बहस कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अरोड़ा जी, आप एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। (विचार)

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री (श्रीमती किरण चौधरी): स्पीकर सर, ऐसा लगता है कि हमारे माननीय सदस्य अरोड़ा जी को अंग्रेजी कम आती है। (शोर एवं व्यवधान) (हँसी)

श्री अध्यक्ष : मिस्टर अरोड़ा, मैंने यह बात कही है कि आप बहुत ही महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं। यह बात कहने में मैंने क्या गलत कर दिया ? (विचार)

श्रीमती गीता भुवकल : स्पीकर सर, माननीय सदस्य का अंग्रेजी में हाथ तंग लगता है। (शोर एवं व्यवधान) (हँसी)

श्री अभय सिंह चौटाला : स्पीकर सर, इस तरह से अरोड़ा जी को नहीं रोका जाना चाहिए। सत्ता पक्ष को इस तरह किसी सदस्य को बोलने से नहीं रोकना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

कैटन अजय सिंह यादव : स्पीकर सर, अरोड़ा साहब को अंग्रेजी कम आती है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : स्पीकर सर, मेरी अंग्रेजी कमजोर है, इसलिए तो मैं पूछ रहा हूं। (हँसी व विचार)

श्री अध्यक्ष : अरोड़ा जी, बोलिये। आप जो कुछ कह रहे हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। मैंने पहले भी आपको यह बात कही थी।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : स्पीकर सर, मैं यह कह रहा हूं . . . (शोर एवं व्यवधान)

श्री नरेश कुमार : स्पीकर सर, अरोड़ा जी को अंग्रेजी सीख लेनी चाहिए। (विचार)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : स्पीकर सर, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि अंग्रेजी भाषा में मेरा हाल भी उनके जैसा ही है। (हँसी व विचार)

Mr. Speaker : Naresh Ji, don't interrupt, Arora Ji is making a very important point. Let him speak.

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : स्पीकर सर, मैं कह रहा हूं कि ३०० भीम राव अंडेडकर के नाम से जो हरियाणा प्रदेश में यूनिवर्सिटी खोली जा रही है, हम उसका स्वागत करते हैं। ३०० भीम राव अंडेडकर जी इस देश के संविधान निर्भाता थे। प्रदेश में इससे पहले भी कई यूनिवर्सिटीज खोली गई हैं। इनमें से कई तो अच्छी यूनिवर्सिटीज की श्रेणी में खुमार होती हैं। जिदल यूनिवर्सिटी एक बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है लेकिन दुःख की बात यह है कि हरियाणा प्रदेश में इतनी अच्छी यूनिवर्सिटीज होने के बावजूद भी इनमें गरीब बच्चे एडमिशन लेने से धंथित रह जाते हैं क्योंकि इनमें एक-एक साल की एडमिशन फीस 7-7 लाख रुपये तक होती है। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कल : स्पीकर सर, हमारे माननीय साथी को इस समय लॉ यूनिवर्सिटी पर बात करनी चाहिए लेकिन वह तो प्राईवेट यूनिवर्सिटी पर बात कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : स्पीकर सर, आपने अरोड़ा जी को अलाज किया है, अतः किसी अन्य द्वारा धीर्घ में इंट्रॉट करना ढीक बात नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कल : स्पीकर सर, (विच्छ)

Mr. Speaker : Please, let him speak, he making a very important point.

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : स्पीकर सर, मैं आज सदन के माध्यम से केवल यही बात रखना चाहता हूं कि लल में इस तरह की अमेडमेंट की जानी चाहिए जिससे हरियाणा में स्थित इन यूनिवर्सिटीज में हरियाणा के रिहायशी स्टूडेंट्स के लिए एडमिशन में 50 प्रतिशत अनिवार्यता संभव हो सके। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रामपाल माजरा : स्पीकर सर, अरोड़ा जी ने जो बात कही है वह आज के समय में बहुत ही महत्वपूर्ण है। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ रघुवीर सिंह कादियान : स्पीकर सर, कहने में और करने में बहुत अंतर होता है। विपक्ष के लोग केवल मात्र कहने तक ही सीमित हैं जबकि हमारी सरकार कर दिखाने में विश्वास करती है। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Everybody who wants to speak on this bill will be allowed to speak.

श्री भारत भूषण बतरा : स्पीकर सर, आदरणीय अरोड़ा जी प्राईवेट यूनिवर्सिटीज के बारे में अपनी बात रख रहे थे। जहाँ तक प्रदेश में सरकारी यूनिवर्सिटीज की बात है वह बहुत ज्यादा अच्छी है और उनमें शिक्षा का स्टैंडर्ड भी बहुत ज्यादा बढ़ा है उसके लिए विपक्ष को सत्ता पक्ष का धन्यवाद करना चाहिए। (विध्व)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : स्पीकर सर, (विच्छ)

श्री भारत भूषण बतरा : स्पीकर सर, मैं माननीय सदस्य की बात का रिप्लाई दे रहा हूं और वे बीच में उठकर बोलने लग जाते हैं ऐसा व्यवहार शोभा नहीं देता है।

Mr. Speaker : Yes Batra Ji, Carry on. (Interruption)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : स्पीकर सर, मैंने लो सुझाव दिया था। अगर रिप्लाई दिया जायेगा तो वह भैडम बिमिस्टर गीता भुक्कल जी द्वारा दिया जायेगा। बतरा जी रिप्लाई कैसे दे सकते हैं? (विध्व)

श्री अध्यक्ष : बतरा जी, आप अपनी बात रखिये ?

श्री भारत भूषण बतरा : स्पीकर सर, रोहतक में रित्य एम०डी० यूनिवर्सिटी को “ए” विलास का दर्जा दिया गया है। इसी तरह कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी प्रदेश की पुरानी तथा सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी है। आज आप खानपुर में भगत फूल सिंह महिला यूनिवर्सिटी को देखिये, यहाँ पर

[श्री भारत भूषण बतरा]

स्थित मैडिकल कॉलेज को देखिये था किर मीरपुर में स्थित यूनिवर्सिटी को देखिये, ये ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जिनकी गिनती अच्छे शिक्षण संरक्षणों में होती है। हमारे प्रांत के साथ लगते पंजाब प्रदेश में भी इतनी अच्छी यूनिवर्सिटीज देखने को नहीं मिलेंगी। (शोर एवं व्यवधान) कहीं पर भी इतनी अच्छी यूनिवर्सिटीज स्थापित नहीं हुई हैं। शिक्षा के क्षेत्र में जो काम हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने विगत नो सालों में किये हैं उसके लिए विपक्ष को उनका धन्यवाद करना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान) विपक्ष को धन्यवाद करना तो आता ही नहीं है। मैंने विगत साढ़े चार साल में देखा है कि प्रदेश ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज्यादा प्रोग्रेस की है लेकिन सदन में विपक्ष के किसी एक मैम्बर ने भी इस बात के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का कभी धन्यवाद लक नहीं किया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बतरा जी, अरोड़ा जी ने तो अभी कहा है कि हम स्वागत करते हैं।

Mr. Arora has stated that he welcomes it. (शोर एवं व्यवधान)

श्री भारत भूषण बतरा : स्पीकर सर, मुझे एक बार अपनी बात पूरी कर लेने दीजिये। (शोर एवं व्यवधान) सदन में प्राइवेट यूनिवर्सिटी का डिटेल में एकट आया लेकिन उस डिटेल पर विपक्ष ने कभी भी चर्चा नहीं की। आज तक भी इस विषय पर विपक्ष के लोगों ने चर्चा नहीं की। (शोर एवं व्यवधान) रुल फ्रेम करने की तथा अन्य सभी जरूरी बातें हुई कि इन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज पर गवर्नर्मेंट का चैक होना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान) बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम से भारतीय जनता पार्टी वाले खड़े हो जाते हैं उनको ऐसे ही तकलीफ हो रही है। अध्यक्ष महोदय, अगर श्री अग्रिम विज जी का आचरण इसी तरह से चेत्र के साथ रहता है तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि बाइज्जत उनको कह दिया जाये कि वे हाउस से बाहर चले जायें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, ये ऐसा कहने वाले कौन होते हैं?

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय साथी एजुकेशन के बारे में कह रहे थे। यह इश्यू यूनिवर्सिटी का है। एक लॉ यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है उसका नाम बाबा साहेब डॉ० भीमराव अम्बेडकर के नाम पर रखा जा रहा है। इस के लिए हमारे माननीय साथी ने बधाई दी है और मैं भी इस बात के लिए सरकार को बधाई देता हूँ, यह बहुत अच्छा काम किया है। उसके साथ-साथ जिस ढांग से अभी श्री बतरा जी ने कहा था कि जो हमारी दूसरी यूनिवर्सिटीज हैं। उनका ग्रेड भी 'ए' है, किसी का ग्रेड 'बी' होगा या ग्रेड 'सी' होगा, यह भी बहुत अच्छी बात है। हमारी यूनिवर्सिटीज के ग्रेड अच्छे हैं, लेकिन इसके लिए साथ-साथ हमें स्कूलों का स्टैंडर्ड भी अच्छा करना चाहिए। पिछले दो साल से हरियाणा सरकार के जो गवर्नर्मेंट स्कूल हैं, उनकी हालत ऐसी है कि जो बच्चे 10वीं और 12वीं में पढ़ते हैं, आज उन बच्चों का रिजल्ट्स जीर्ण आता है। क्या उसके लिए स्टाफ दोषी है, क्या स्कूल गवर्नर्मेंट दोषी है? अगर सरकार अपने स्कूलों का स्टैंडर्ड ठीक करे, आप एक तरफ तो एजुकेशन की बात करते हो, दूसरी तरफ आप एजुकेशन को बढ़ावा भी देना चाहते हो, राजीव गांधी एजुकेशन सिटी भी बनाना चाहते हो लेकिन आज प्रदेश की हालत यह हो भई है कि स्कूलों के रिजल्ट्स देखकर दूसरे प्रदेश के बच्चे भी

आपके यहां किसी भी स्कूल में एडमिशन लेना नहीं चाहते। वे इसलिए नहीं लेना चाहते हैं कि स्कूलों में पढ़ाई ही नहीं है, इस वजह से दूसरे प्रदेश के बच्चे यहां आना नहीं चाहते हैं। पहले शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए हाऊस को आश्वस्त करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

प्रो० संपत्ति सिंह : अध्यक्ष महोदय, नई यूनिवर्सिटी बनाई नहीं जा रही है, बल्कि यूनिवर्सिटी पहले ही बन चुकी है और उसका एकट भी पहले पास हो चुका है। दूसरी बात यह है कि पिछली बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस यूनिवर्सिटी का नाम चेंज करने के बारे एनाऊंसमेंट की थी कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम से यूनिवर्सिटी बनाई जायेगी। आज सरकार उस बिल में अमैडमेंट करने का बिल लैकर आई है। इस बिल की तीन सेक्शनज में इस यूनिवर्सिटी का नाम आ रहा है। इसलिए इस बिल में तीन जगह भाष में अमैडमेंट की जा रही है। जहां तक सरकारी यूनिवर्सिटीज की बात है। मैं माननीय साथी श्री बतशा जी की बात से सहमत हूं, जो यूनिवर्सिटीज हिन्दुस्तान भें नहीं हैं वह यूनिवर्सिटीज हरियाणा प्रदेश में भौजूद हैं। आज चाहे आप डिफेंस यूनिवर्सिटी की बात कर लो वह भी हरियाणा प्रदेश में हैं था स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को आपने जनरल यूनिवर्सिटी के साथ बलेंड कर दिया अदरबाईज वह भी चौधरी बसीलाल जी के नाम से भिवानी में भौजूद है। जींद जिले को सबसे पिछड़ा एरिया भाषा जाता था, वहां पर भी यूनिवर्सिटी बनाने के लिए आज आप एकट लेकर आये हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात आई०आई०एम० जो कि अपने आप में प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है। रोहतक में आई०आई०एम० हैं, जिसमें एम्ज की तरह बच्चों को एक साल से पहले ही कम्पनियां नौकरी के लिए लै जाती हैं और यदि उस संस्था में बच्चों का एडमिशन हो जाता है तो उनको नौकरियों के लिए झंधर-उधर भागने की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि उनका कोर्स पूरा होने से पहले ही उनकी पक्की नौकरियां मिल जाती हैं। गवर्नर्मेंट आई०आई०टी० का रिजनल सेंटर भी हरियाणा में लेकर आई है इसी प्रकार से एम्ज का ओ०पी०डी० भी भरकार हरियाणा में लेकर आई है, जिसका हरियाणा प्रदेश में काफी बड़ा होस्पिटल बनाया गया है उसमें काफी सुविधाएं हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि तीन कौर्सिज का बलेंड हिन्दुस्तान में कहीं नहीं है। अध्यक्ष महोदय, आपके परिया के साथ लगते हैं त्रिश राई में निकटा संस्थान में ये तीनों कौर्सिज हैं। उसके अंदर टेक्नोलॉजी है, इन्टरप्रिन्योरशिप भी है और मैनेजमेंट भी है, तीन कौर्सिज को बलेंड करके यह संस्थान बनाया गया है। हमारे हरियाणा में क्या हो रहा है, भाननीय विपक्ष के साथियों ने जगरूक नॉलेज के लौर पर भी उस यूनिवर्सिटी को आज तक खानपुर में मेडिकल यूनिवर्सिटी की बात है जिसमें महिला मेडिकल कॉलेज भी बनाया गया है। इसमें कोई दो राय नहीं कि वहां पर गुरुकुल होता था यह हमारी एक हिस्ट्री है और स्टेट की धरोहर है कि वहां पर आज मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाई गई है और उस धरोहर को सरकार ने आगे बढ़ाया है यह बात सराहनीय है। भाननीय विपक्ष के साथी ने जिक्र किया है ये यूनिवर्सिटी थाली बात छोड़कर एजुकेशन की बात करने लग गए हैं। जबकि यह बिल जो लाया गया है यह यूनिवर्सिटी का नाम चेंज करने के लिए लाया गया है। यह ठीक है कि जब एजुकेशन पर बात होती है तो उस समय ही एजुकेशन पर बोलना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, अहं रिकॉर्ड की बात है कि सदन में पर्टीकुलर लॉ यूनिवर्सिटी की बात चल रही थी। उसके लिए सर, आपने जिस भी सदस्य को बोलने की परमिशन दी, सभी भाननीय सदस्यों ने इसके बारे में बात की इसके लिए मुझे कोई एतराज नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि एक पर्टीकुलर यूनिवर्सिटी के बारे में यद्यपि चल रही थी दूसरी बात में यह कहना चाहता हूं कि जहां तक यूनिवर्सिटी की बात है वह ठीक है (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Please be silent. Let him speak.

प्रौ० संपत्त सिंह: मैंने तो 5वीं पास कर ली या 10वीं पास कर ली। मैं बच्चों की बातों की तरफ ध्यान नहीं देता हूँ। बच्चोंकि उनकी भग्न में तो मैं गृह मंत्री रह चुका हूँ। मैं बच्चों की बातों की तरफ ध्यान नहीं देता हूँ। जिसने मुझे बनाया है मैंने उसको बना दिया है। हर थीज में मेरा भी थोगदान था। इनेलो पार्टी ने अपनी तरफ से बहुत कुछ कर लिया था लेकिन जनता ने मुहं पर फैक कर मारा। अपनी तरफ से मैं इस बारे में कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहता हूँ। पिछली बार सत्र में मैं कह चुका हूँ। बार-बार मेरे मुहं से न कहलवायें प्लीज, मैं सिर्फ सबैकट पर ही बोलना चाहता हूँ। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ० विशन लाल सैनी : * * * * *

Mr. Speaker : Mr. Saini, please keep quite. You can't talk like this.

प्रौ० संपत्त सिंह: स्पीकर सर, यदि इनेलो पार्टी के सदस्य बार-बार बीच में खड़े होकर थोलेंगे तो मुझ से और ज्यादा सुनेंगे। इनके नेता भी तो मुख्यमंत्री रहते हुए अपने विधान सभा क्षेत्र से हार गये थे। जनता अच्छी तरह से जानती है कि इनके नेता मुख्यमंत्री रहते हुए चुनाव में अपने विधान सभा क्षेत्र से हार गए। यह भी तो उन्होंने एक रिकार्ड बनाया है। मेरी कोई बात नहीं है। यदि जनता मुझे हराती है तो भी ठीक है और यदि जनता मुझे जिलाती है तो भी ठीक है। यह तो जनता की मर्जी है। इस तरह मुझे चैलेज करने की ज़रूरत नहीं है। यदि कोई चैलेज करेगा तो वह अपने मुहं की खायेगा। जब मैंने इनेलो पार्टी को छोड़ा तो इनेलो के सदस्यों ने मुझे तो यहाँ तक कह दिया था कि तुम इनेलो पार्टी को छोड़ने के बाद कभी भी विधान सभा का मुहं नहीं देखोगे। सिर्फ शमशान घाट का ही मुहं देखोगे। मुझे गर्व है इस बात का कि मैंने इनेलो पार्टी के लोगों के सामने शमशान घाट का मुहं देखा है या विधान सभा का वह बात इनेलो के सभी लोग जानते हैं। चौधरी देवी लाल का सपना था कि चौधरी भजन लाल कैसे हराया जाये। मैं कांग्रेस पार्टी का टिकट लेकर चौधरी भजन लाल की पल्ली को लगभग 11 हजार बोटों से हराकर चौधरी देवीलाल के सपने को पूरा करके विधान सभा आया हूँ। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रौ० संपत्त सिंह जी, प्लीज आप बैठ जाइये।

श्री अभिल विज : सर.....

अध्यक्ष महोदय: विज जी भैंसे आपको इजाजत नहीं दी। कथिता जी आप बोलिये।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती कविता जीन आप बोलना चाहती हैं। Do you want to speak?

श्री अभिल विज : * * *

Mr. Speaker: I have allowed her to speak. Let her speak. (interruption)
No, I have allowed Smt. Kavita Jain to speak. Let her speak. She is a lady Member.
Let her speak. (interruption) Kavita ji, Don't you want to speak. I have given you
an opportunity to speak but you don't want to speak. क्या आप बोलना नहीं चाहती?
इसना महत्वपूर्ण विषय है। कविता जी सोनीपत शहर के अन्दर यूनिवर्सिटी बन रही है। प्लीज सभी माननीय सदस्य जो मेरी इजाजत के बिना खड़े हैं वे सभी बैठ जाइये। कविता जी आप बोलिये।

* द्येहर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया

श्रीमती कविता जैन : स्पीकर सर, बाबा साहेब डॉ० भीम राव अम्बेडकर राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय सोनीपत में आ रहा है। मैं इस विश्वविद्यालय का स्वागत करती हूँ। मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि विश्वविद्यालय के अन्दर जो भी कोर्सिंज आते हैं कई बार उनकी मान्यताएं नहीं होती हैं। इसी से संबंधित हमारे आदरणीय किंसान नेता के नाम से दीन बंधु छोटू राम ऑफ़ साईंस एण्ड टैक्नॉलॉजी, यूनिवर्सिटी मुख्यल में है। इस यूनिवर्सिटी में वर्ष 2010-11 के दौरान एम०टैक० टाऊन एण्ड प्लानिंग कोर्स में बच्चों ने २ वर्ष की पढ़ाई पूरी करके वर्ष 2013 में दाखिला लिया और उन्होंने उस कोर्स को पास आऊट किया। इसी कोर्स का वर्ष 2014 में एक और बैच पास आऊट हो रहा है। सर, यू०जी०सी० से दीन बंधु छोटू राम ऑफ़ साईंस एण्ड टैक्नॉलॉजी, यूनिवर्सिटी मान्यता प्राप्त है। सर, जो टाऊन एण्ड प्लानिंग कोर्स है उसका आई०टी०पी०आई० संस्था के साथ टाइअप है। लेकिन आई०टी०पी०आई० संस्था से यूनिवर्सिटी ने मान्यता नहीं ले रखी है था उस संस्था ने यूनिवर्सिटी को मान्यता नहीं दी है। स्पीकर सर, इस तरह से बच्चे डिग्री प्राप्त कर चुके हैं। स्पीकर सर, अब हरियाणा सरकार ने असिस्टेंट टाऊन प्लानर के पद भरने के लिए विज्ञापन निकाला है उसमें यह सार्त रखी है कि टाऊन एण्ड कंट्री प्लानिंग का कोर्स आई०टी०पी०आई० से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। लेकिन जिन बच्चों ने इस संस्था से डिग्री प्राप्त की है, उनको इस विज्ञापन के आधार पर इस टाऊन एण्ड कंट्री प्लानिंग पोस्ट के लिए अयोग्य ठहराया जा रहा है। स्पीकर सर, मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि यूनिवर्सिटी खोलने से पहले यह जांच कर ले कि जो भी कोर्सिंज यूनिवर्सिटी लेकर आती है वे संबंधित संस्था से मान्यता प्राप्त हैं या नहीं ताकि बच्चों के भविष्य के साथ रिक्लाम भ छो सके। क्योंकि अभी शिक्षा भंगी जी को पता है कि Assistant Town Planner की job निकली हुई हैं। जो बच्चे अभी पास आऊट हुए हैं।

Smt. Geeta Bhukal : But sir, this matter is not under Education Department. This matter is under Technical Educationa Department.

Mr. Speaker: Kavita ji, you have made a good point although this does not concern with this Act.

श्री रामपाल माजरा: सर, वहाँ पर लोंगों के बच्चों ने दाखिला लिया था और उन्होंने एक लम्बा ऐजीटेशन चलाया था।

Mr. Speaker: That has been sorted out.

श्री नसीम अहमद : स्पीकर सर, आपने भुझे इस बिल पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। सर, हरियाणा प्रदेश के सोनीपत में जो लॉ यूनिवर्सिटी आई हैं यह थहुत अच्छी बात है कि एजुकेशन को बढ़ाने के लिए सरकार के प्रयास है और ये होने भी चाहिए। सर, आज जबकि मेवात डिस्ट्रिक्ट की बात होती है तो यह बात सरकार भी मानती है कि मेवात जिला एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। क्या मेवात में यूनिवर्सिटी नहीं आनी चाहिए? क्या मेवात के लोंगों का और मेवात के बच्चों का हक नहीं है कि मेवात में भी एक यूनिवर्सिटी स्थापित हो और मेवात के बच्चों का भविष्य उज्ज्वल हो? इसलिए मेवात में भी सरकार द्वारा एक यूनिवर्सिटी स्थापित की जाए। हम मेवात के ऊपर कब तक ये दाग झेलते रहेंगे कि मेवात पिछड़ा हुआ है। मेरा आपके भाष्यम से सरकार से अनुरोध है कि सरकार को इस बारे में विचार करना चाहिए कि मेवात में भी एक यूनिवर्सिटी खोली जाए।

श्री अध्यक्ष : नसीम अहमद जी, आप जो बिल अण्डर डिसकशन है उसके बारे में ही बात कीजिए।

Shri Randeep Singh Surjewala: Sir, I do I have your permission?

Mr. Speaker : Yes

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : सर, मैं आपके माध्यम से पक्ष और विपक्ष के सम्बन्धित सदस्यों का ध्यान उस कामने के बारे में आकर्षित करना चाहता हूँ जो इस सदन के समक्ष आया है। यह यूनिवर्सिटी बनाने का कानून नहीं है। जैसा आदरणीय सम्पत्ति सिंह जी ने कहा, आदरणीय शिक्षा मंत्री जी ने और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने वहाँ पर यूनिवर्सिटी पहले से ही बना रखी है और वह यूनिवर्सिटी बल भी रही है। यह बिल तो केवल उस यूनिवर्सिटी का नामकरण बाबा साहेब डॉ० भीम राव अम्बेडकर के नाम पर करने के लिए लाया गया है जिसके बारे में सरकार ने पहले ही घोषणा की हुई थी। इस बिल के माध्यम से पहले पास हुए बिल में केवल एक संशोधन ही आ रहा है। यूनिवर्सिटी पहले से ही बनी हुई है जिसको बनाने के लिए सरकार ने विधान सभा में ही बिल पास किया था।

श्रीमती गीता भुक्कल : स्वीकरण सर, सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहूँगी कि बहुत खुशी की बात है कि इण्डियन नेशनल लोकदल के माननीय सदस्यों ने शिक्षा पर चर्चा करनी शुरू कर दी है। इस बात पर भी चर्चा शुरू की कि शिक्षा का स्तर सुधरना चाहिए। इनकी सरकार के समय सिरसा में चौ० देवीलाल जी के नाम पर जो यूनिवर्सिटी बनाई थी वह केवल दस कमरों में ही बनाकर शुरू की गई थी। माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार हमारी सरकार ने सिरसा में चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी को फुलफलैज यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है। जहाँ तक रकूल एजुकेशन की बात है वह आहे सिरसा जिला हो चाहे फलेहाबाद जिला हो इन दोनों जिलों में जहाँ पर इनलो पार्टी का गढ़ रहा है, वहाँ पर हमारी सरकार आने के बाद नेशनल लेबल पर जो एजुकेशनली बैचर्क ब्लॉक्स थे और शिक्षा का स्तर बहुत कम था, वहाँ पर हमने आरोही नॉडल स्कूल बनाये हैं और करतूरवा गान्धी स्कूल बनाये हैं। ज्यादातर ब्लॉक्स में आई०टी०आई० बनाई गई। न केवल सिरसा जिले में बल्कि पूरे प्रदेश में सरकार का प्रयास है जिसमें भेदात जिला भी शामिल है कि पूरे हरिधारा में शिक्षा का स्तर सुधारें। जहाँ तक आज के बिल के नाम की बात है सर, यह जनरल पब्लिक की ओर खासकर एस०सीज० की मांग थी कि स्टेट में किसी भी यूनिवर्सिटी का नाम बाबा साहेब डॉ० भीम राव अम्बेडकर के नाम से रखा जाए। क्योंकि ये law Minister भी रहे और He was a renowned lawyer and academician, मैं सदन के माध्यम से ध्यावाद करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने जनरल पब्लिक की मांग और खासकर हमारे एस०सीज० कैटेगरी के भाईयों की मांग को देखते हुए सोनीपत में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो पहले से ही बनी हुई है उसका नामकरण बाबा साहेब डॉ० भीम राव अम्बेडकर के नाम पर किया है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि भाजपा के इमारे लासी श्री अनिल विज ने इसका विरोध किया है। उन्होंने विरोध के साथ इस बिल का बॉयकॉट किया। स्वीकरण सर, इस बिल में केवल नाम का अमैंडमेंट था उस पर भी इनको तकलीफ हुई। जब महिलाओं की बात होती है तब भी भाजपा को लकलीफ होती है। जब दलितों की बात आती है तो भी भाजपा को तकलीफ होती है।

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

2. दि हरियाणा सिख गुरुद्वारा (मैनेजमेंट) बिल, 2014

Mr. Speaker : Now, the Parliamentary Affairs Minister will introduce the Haryana Sikh Gurudwaras (Management) Bill, 2014 and will also move the motion for its consideration.

Industries Minister (Shri Randeep Singh Surjewala): Sir, I beg to introduce the Haryana Sikh Gurudwaras (Management) Bill, 2014.

Sir, I also beg to move—

That the Haryana Sikh Gurudwaras (Management) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved—

That the Haryana Sikh Gurudwaras (Management) Bill be taken into consideration at once.

श्री रणवीप सिंह सुरजेवला: अध्यक्ष महोदय, आज पूरे देश और प्रांत की हिरदी में एक ऐतिहासिक दिन है जो स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा इसलिए मैं सदन से अनुरोध करता हूँ कि हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक एक्ट, 2014 को इस सदन में फौरी तौर पर केसीडर किया जाए (विधन)

वित्त मंत्री (श्री हरमोहिन्द्र सिंह चड्हा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से सभी साथियों से यिन्हीं करना चाहता हूँ कि वे चुप करके बैठ जाएं और जब बोट लेने जाएंगे तो लोगों को हाथ जोड़ कर कह लें कि हमने इस एक्ट की मुख्यालफत नहीं की। (शोर एवं व्यवस्थापन)

Shri Anil Vij : Speaker Sir, ****

Mr. Speaker: Mr. Vij, you will be given an opportunity to speak. I will allow you to speak. Please sit down now. I will allow you to speak. Please sit down.

श्री हरमोहिन्द्र सिंह चड्हा: अध्यक्ष महोदय, वर्ष 1925 की बात है, शायद उस समय इनमें से कोई पैदा भी न हुआ है। उस समय यह एजीटेशन चला था। उस समय गुरुद्वारे महंतों के पास थे और गुरुद्वारों का कब्जा महंतों के पास होता था। गुरुद्वारों के सारे पैसे का भिस्थूज होता था। महंत वह पैसा कहां ले जाते थे थह बात उस टाइम से ही लोगों को पता है। काफी लोग हमें बाद में मिले उनमें से भान सिंह हम्बो, एक सम०एल०ए० जो ऐसे गांव के ही थे। बकल साहब मेरे साथ के गांव के थे और इसी तरह सरदार हरबंस सिंह डाढ़र के पिता जी और ये स्वर्य भी तथा और बहुत से लोग हमसे मिले जिन पर आट्रोसिटीज हुई, जिन पर जुल्म हुए और जिन पर अंग्रेजों ने गोलियां चलाई। रोज 5-10 या 15-20 लोग मर जाते थे। रोज के रोज जल्द जाता था और यह अरदास होती थी कि जल्दी में से कोई भागेगा नहीं। गोली चलती रहती थी और ये शूरवीर वहीं के वहीं खड़े रहते थे। जितने लोग उस टाईम मर गए उनकी लाशें आ गई और बाकियों की लाशों को दूसरे लोगों द्वारा जला दिया जाता था। इस तरह यह एजीटेशन काफी लम्बे समय तक चला। इस एजीटेशन में खुशकिस्ती की बात है कि जवाहर लाल नेहरू जी भी आए। यह एजीटेशन देश में एक बहुत बड़ा जोर पकड़ भया। आखिर में नौबत यह आ गई कि जब लक्षण सिंह जैसे शूरवीर को महंतों ने पकड़कर जंड के पेड़ से बांधकर आग लगा दी, वह

*चैयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

[सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चड्हा]

पेड़ आज भी वहीं है और मैं उसको देखकर आया हूँ। इसने मुशिकलात और इतने दुखों के बीच से निकलकर ये गुरुद्वारा प्रबंधक एकट बना। अंग्रेजों ने जब यह एकट बनाया उस बदलते इनको पता नहीं था कि हरियाणा बन जाएगा। उस बदलते यह भी किसी को नहीं पता था कि इसमें हिमाचल प्रदेश के गुरुद्वारे भी होंगे। जब यह एकट बना उसके बाद हरियाणा बन गया। मैं उनमें से एक हूँ जो कहा करता था कि पंजाबी सूबे की यह मांग गलत है और अगर मैं झूठ बोलूँ तो मुझे पाप है। मैंने प्रदेश कांग्रेस कमेटी का भैंधर होते हुए यह बात आभ कही थी कि पंजाबी सूबे की यह मांग देश के विरुद्ध है और यह मांग देश की उजाड़ी है। सरदार स्वर्ण सिंह जी थे वे, सरदार दरबार सिंह जी थे वे और साधक अली जी, जनरल रैफ्रेटरी आल इंडिया कांग्रेस कमेटी थे वे लेकिन हमारी बात छोटी थी क्योंकि हम छोटे थे और कालेज पढ़ते थे इसलिए हमारी बात को कोन सुनता था। आखिरकार यह एकट बन गया। पानी की बात तो अलग है क्योंकि इस मामले को तो गवर्नरमैट लैबल पर निपटा जाए लेकिन गुरुद्वारों की बात करें तो इसमें बहुत बखेड़ा हुआ। अंगर सारी बात खोलें तो हमें अपने आप पर शर्म आती है कि इतना बखेड़ा कैसे हुआ। स्पीकर सर, आखिरकार हरियाणा धरक उठा। पिछले 25-30 साल से पृथक गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनाने के लिए बहुत एजीटेशन हुए और थड़ी घालना घाली। मुझे वो दिन याद है जिस दिन करनाल वें विच इनादा बहुत बड़ा जुलूस था, उस समय सरदार हरियाणा सिंह भी जिंदा थे। वह बहुत बड़ा जुलूस था और उसके बाद बहुत बड़ी कांफ्रेस हुई। इस तरह के जुलूस और कांफ्रेसिज ये लोग पिछले 25-30 साल से करते आ रहे थे। इनकी गल उन लोगों ने भी नहीं सुनी जिनको ये लोग बोट पांच सीरे। स्पीकर सर, मैंने जब 4-5 दिन पहले यह पढ़ा कि बौटाला साहब इनको समर्थन करेंगे तब बड़ी खुशी हुई और तब भी बड़ी खुशी हुई जब मैंने यह पढ़ा कि अरोड़ा साहब इनको समर्थन करेंगे तब भी खुशी हुई और तब भी कर्किणीदारी भी कर्किणी। अध्यक्ष महोदय, मैं विज साहब से भी शिक्खेट करूँगा कि ये इस बिल की मुख्यालफत न करें क्योंकि यह बिल बड़ी घालना घालकर लाया गया है और हमारे मुख्यमंत्री जी ने इस पर बहुत धार विचार किया है। इस बिल को यहाँ लाने के लिए मैं अपनी तरफ से, हरियाणा की पूरी सिख कम्यूनिटी और पंथ की तरफ से मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। हमारी कॉम की नब्ज यदि हमारे प्रदेश में किसी ने पकड़ी है तो वह हमारे मुख्यमंत्री जी ने पकड़ी है, इससे पहले किसी ने नहीं पकड़ी। (इस समय में धपथपाई गई।) (विच)

Mr. Speaker : I will allow everybody to speak but first please let the Minister to conclude.

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चड्हा : अध्यक्ष महोदय, जिस समय वर्ष 2005 में कांग्रेस पार्टी, ने हरियाणा प्रदेश का मैनीफेस्टो बनाया उसमें यह जायज मांग भी रखी गई कि हरियाणा प्रदेश की पृथक सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनाई जायेगी। हमारी यह मांग अड़े सालों से लम्बित पड़ी थी लेकिन किसी ने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। हुँड़ा साहब का यह वायदा रह गया था जो उन्होंने मैनीफेस्टो में डाला था शाकी सारे वायदे पूरे कर दिए गए हैं। आज यह बिल सदन में भी बहुत आभारी हूँ लक्षा उन सूरमाओं को भी बधाई देता हूँ जिन्होंने पृथक सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के लिए कई सालों से लड़ाई लड़ी है। उनमें से कुछ लोग यहाँ बैठे हैं और कुछ लोग

बाहर हैं। उनमें से एक सूरमा सरदार हरबंस सिंह डाक्टर आज हमारे बीच में नहीं है। अध्यक्ष महोदय, सरदार हरबंस सिंह डाक्टर एक फ्रीडम फाईटर का बेटा था। वह ऐसा आदमी था जो अपने हाथ में एक थैला लेकर गांव-गांव अलख जगाता किरता था कि हरियाणा के सिखों के लिए अलैदा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनायी चाहिए। उसकी एक छोटी सी आवाज आज बड़ी आवाज बन गई जिसके कारण यह दिन आया है। पीछे जब शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव थे उस समय हरियाणा के सभी भाईयों ने मिलकर 7 सीटें जीती जो लोग बादल और अवतार सिंह आदि का बहुत थबा मारते थे उनको हराया। अध्यक्ष महोदय, यह हमारे लोगों की बहादुरी और लड़ाई की जीत थी इसके लिए मैं इनको धन्यार्थ देता हूँ। हमारे मुख्यमंत्री जी ने पृथक हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनाने के लिए मेरी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई। उस कमेटी ने बहुत से गुरुद्वारों का दौरा किया लेकिन बदकिस्मती यह रही कि किसी भी गुरुद्वारे में हमें रिकार्ड नहीं दिया गया। हमें उस समय दुःख लगता था कि किस तरह से इस कार्य को आगे बढ़ायें। यदि हम नाड़ा साहिब जाते थे तो वहां रिकार्ड नहीं दिया जाता था यदि हम ओर गुरुद्वारे जादे तो वे भी हमें नहीं आन देंदे सी। हम धमतान साहिब गये वहां भी हमें रिकार्ड नहीं दिया गया। आखिर में हमारे पास कोई चारा नहीं बचा तब हमने तीन अखबारों में बड़े-बड़े इशितहार दिए और एफीडेविट मार्गे कि जो हरियाणा के रहने वाले सिख भाई हैं उनमें से कोई भाई पृथक हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के हक में है और कोई नहीं है। स्पीकर सर, मैं यहां पर बताना चाहूँगा कि 12700 एफीडेविट अम्बाला से, 13000 एफीडेविट हिंसार से, 27000 एफीडेविट कुरुक्षेत्र से और 12000 एफीडेविट यमुनानगर से आये। इस तरह से टोटल 1.40 लाख एफीडेविट बैलिड आये इनके अतिरिक्त और भी एफीडेविट आये थे लेकिन उनमें कुछ खामियां थीं। अध्यक्ष महोदय, मैं भदन को बताना चाहूँगा कि जो 1.40 लाख बैलिड एफीडेविट पृथक सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनाने के लिए आये थे उनमें से एक भी एफीडेविट उसके विरोध में नहीं आया, सारे एफीडेविट हक में आये थे। यदीकर सर, हरियाणा के हक की बात होती थी इस लिए सभी एफीडेविट हक में आए। अगर पंजाब के किसी भाई को हरियाणा में अलग सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनाने पर कोई परेशानी थी और कोई दुःख था तो वह इस बारे में हमें अपना एफीडेविट भेज सकता था और वह यह कह सकता था कि मैं रहने वाला तो पंजाब का हूँ लेकिन इस बारे में मेरी यह आपसि है। अब हम सुनते हैं कि सरदार अवतार सिंह मक्कड़ जी हरियाणा में आकर कभी किसी को धमका देते हैं कि अगली बार इसको जीतने नहीं देना और कभी सरदार अवतार सिंह मक्कड़ जी किसी और को धमका देते हैं कि अगली बार इसको जीतने नहीं देना। इस बारे में मैं सरदार अवतार सिंह मक्कड़ जी के सम्बंध में यह कहना चाहूँगा कि वे आज उस कुर्सी पर बैठे हैं जिस पर कभी बाबा फतेह सिंह जी बैठते थे। सरदार अवतार सिंह मक्कड़ जी उस कुर्सी पर बैठे हैं जिस पर कभी बाबा फतेह सिंह जी बैठते थे। इसलिए उनको यह कहना चाहता हूँ कि वे ऐसी बात करें जो पूरे समाज को अच्छी लगे। मैं निजी तौर पर यह मानता हूँ कि सरदार अवतार सिंह मक्कड़ जी की यह खुशकिश्मती थी कि इस कुर्सी के लिए सरदार प्रकाश सिंह बादल जी को कोई अंगूठा लगाने वाला व्यक्ति बाहिर था और उस समय सरदार अवतार सिंह मक्कड़ जी से बढ़कर कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था। इस प्रकाश से सरदार अवतार सिंह मक्कड़ जी शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रेजीडेंट बन गये और प्रेजीडेंट बनकर हमें आंखें दिखाने लगे। मैंने इस पर उनके आक्षमियों को कहा कि मुझे आंखें न दिखायें क्योंकि मैं आंखे दिखाने से डरने वाला नहीं हूँ और अगर सरदार अवतार सिंह मक्कड़

[सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्टा]

यह लोच रहे हैं कि आखें दिखाने से डर कर में कहीं छिप जाऊगा तो ऐसी बात भी नहीं है। मैं सरदार अबलार सिंह मरक्कड़ को एक बात और यह कहना चाहता हूँ कि वे प्रेसीडेंट की कुर्सी पर तब तक हैं जब तक यह थोड़ा सा झागड़ा चले रहा है वरना उनको वहां पर किसी ने नहीं रहने देना है बल्कि वहां पर तो सरदार प्रकाश सिंह बादल साहब का कोई और व्यक्ति ही आयेगा। मैं उनको यह भी कहना चाहता हूँ कि उनके जो चार दिन बचे हैं इन चार दिनों में ही वे जो तकरीरें करना चाहते हैं कर लें बाद में उनको कोई गौका नहीं मिलेगा। अभी हाल ही मैं सरदार अदतार सिंह मरक्कड़ कुरुक्षेत्र आये थे वहां पर लोगों को धमका गये और इसी प्रकार से जीन्द आये वहां पर भी लोगों को धमका गये। इस बारे में मैं हरियाणा के लोगों की तारीफ करना चाहूँगा कि हरियाणा के लोग बहुत ईमानदार हैं और बहुत अच्छे हैं जिन्होंने उनको बड़ी शांति के साथ सुना और किसी भी प्रकार से डिस्टर्ब नहीं किया। इस प्रकार से वे हरियाणा में आये और जो उन्होंने करना था वह करके चले गये। मैं अपने पंजाब के भाईयों को विनती करता हूँ कि जो आज हरियाणा की विधान सभा में यह एतिहासिक बिल पेश हुआ है यह बिल यहां पर बहुत पहले पेश होना चाहिए था। मैं यह कहना चाहता हूँ कि सबसे ज्यादा अकाली और जत्येदार सिरसा जिले में तो चौटाला साहब के साथ हैं लेकिन वहां की आगे की स्थिति क्या होगी यह तो आने वाला समय ही बतायेगा इसके अलावा सारे हरियाणा के अकाली और जत्येदार कांग्रेस पार्टी के साथ हैं। (शोर एवं व्यवधान) इसके बाद एक बात में श्री अशोक कुमार अरोड़ा जी को यह कहना चाहूँगा कि उनको थोड़ी ठण्डी खानी चाहिए क्योंकि अगर ठण्डी खायेंगे तो मुंह नहीं सड़ेगा और अगर ज्यादा गर्म खायेंगे और चेयर के साथ तल्खी से पेश आयेंगे तो इससे उनके मुंह में छाले हो जायेंगे। मैं उनसे यह विनती करना चाहता हूँ कि वे बेथर के साथ थोड़ी ठण्डक के साथ पेश आयें यही उनके लिए सही रक्षणा। मेरी अध्यक्षता में जब यह कमेटी बनाई गई थी उसके बाद हमने इस बारे में अपनी रिपोर्ट वर्ष 2007 में दे दी थी। वर्ष 2007 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह जजमेंट नहीं थी कि हमारा सूबा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मुतल्लक अपने आप मामला सुप्रीम कोर्ट को भेजे बगेर फैसला कर सकता है या नहीं कर सकता। कझमीर सिंह वर्सिज स्टेट केस में वर्ष 2008 में सुप्रीम कोर्ट केसिज रंख्या 285 के तहत यह जजमेंट आई कि जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि सूबा इंदौर सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के हक्कों की रक्षा के लिए कोई भी कानून पास कर सकता है। इस प्रकार रो यह वर्ष 2008 में फैसला आ गया और माननीय सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आने के बाद यह बिल माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास भेजने का कोई तुक नहीं बनता। मैंने इस बारे में वर्ष 2007 में कहा था लेकिन उस समय इस बारे में कोई कानून नहीं था और सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला भी उस समय नहीं आया था क्योंकि इस बारे में सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला वर्ष 2008 में आया। यह फैसला वर्ष 2008 में आने के बाद यह बात सामने आई कि हम इस बारे में कानून पास कर सकते हैं। इस प्रकार से हम कानून पास करेंगे और इसे केन्द्र के पास भेजने की कोई जरूरत नहीं है। मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि सभी माननीय सदस्यों की कृपा से यह बिल यहां पर ही पास हो जायेगा और इस बारे में जो-जो जलरी औपचारिकतायें हैं वे भी सभी की सभी यहां पर ही पूरी हो जायेंगी। मैं इस बारे में यह भी विनती करना चाहता हूँ कि इस बारे में बहुत सी बातें की गई हैं और बहुत सी बातें की भी जायेंगी। मैं यह भी बताना चाहूँगा कि मीरी-पीरी कालेज जो कि शाहाबाद मारकण्डा में बना है उसके बारे में ये बहुत बार बात करते हैं। मैं यह कहना चाहता हूँ कि मीरी-पीरी कालेज बनाने में हमें कोई

परेशानी नहीं हम कहते हैं कि ये मीरी-पीरी कालेज बनायें यह बहुत अच्छी बात हैं लेकिन हमें ये थहराती बतायें कि इस कालेज का द्रस्टी कौन है ताकि हमें थहराती पता चले कि यह एस०जी०पी०सी० का कालेज है या किसी का व्यक्तिगत कालेज है। इस बारे में हमें आपलि सिफर एक बात की है कि एस०जी०पी०सी० वाले हमें यह नहीं बताते कि वहां पर हरियाणा के कितने व्यक्ति नॉमीनेट हुए हैं यानि उस ट्रस्ट में कितने व्यक्ति हैं और उन्होंने वहां पर अध्यक्ष किया है। जिस 32 एकड़ जमीन पर यह कालेज बना है इस कालेज के लिए ये 32 एकड़ जमीन दिलवाने के लिए हम सभी ने प्रयास किये कि यह एक बहुत अच्छी बात है कि एक नेडीकल कालेज बन रहा है। उसके बाद इन्होंने अफा मारना शुरू कर दिया। कैथल के गुरुद्वारे की 40 एकड़ जमीन पर इन्होंने जफा मारा था एक और गुरुद्वारे की 35 एकड़ जमीन पर जफा मारने की कोशिश की लेकिन वहां की संगत ने रटे ले लिया और इनका जफा नहीं लगने दिया। इनके जफे केवल 32 एकड़ जमीन पर लगे आज जिनकी कीमत लगभग 350 करोड़ रुपये है। जिसकी लगभग 10 करोड़ रुपये प्रति एकड़ कीमत है। अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि कॉलेज बनाने में कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अगर सरकार का कॉलेज होता, एस०जी०पी०सी० का कॉलेज होता तो बना दिया जाता लेकिन यहां एक ट्रस्ट पर आ कर अटक गई। किसी ट्रस्ट का कॉलेज हो, किसी परिवार विशेष का कॉलेज हो तो कैसे बना दिया जाता। एक परिवार का नाम गुरुद्वारे में तो नहीं चलेगा। अध्यक्ष महोदय, रिपोर्ट देने से पहले जब हमने अपने गुरुद्वारों का दौरा किया तो हमें पता चला कि हरियाणा के गुरुद्वारों की सालाना आमदनी लगभग 200 करोड़ रुपये है और जब हमारे पास एस०जी०पी०सी० का थोड़ा बहुत रिकॉर्ड आया तो हमें बताया गया कि हरियाणा के गुरुद्वारों से केवल 30 करोड़ रुपये की आमदनी हुई है उसमें से 27 करोड़ रुपये हरियाणा में खर्च कर दिया अब केवल 3 करोड़ रुपये बचे हैं। इस प्रकार से 170 करोड़ रुपया कहां पर जाता है इस बारे में हमें कुछ पता नहीं है। यह कोई गुरुद्वारे चलाने की बात है। यह तो पवित्र स्थान है, यह उस गुरु गोविन्द सिंह और गुरु तेगबहादुर सिंह का स्थान है जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया था। गुरु अर्जुन देव जी तो शहीद ही गये थे। उन शहीदों के स्थानों पर राजनीतिक रोटियां सेंकने से गलत बात और कोई नहीं हो सकती। मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि पिछले दिनों हरियाणा में सरदार अवलार सिंह मक्कड़ आये थे और एक ट्रक में बीस के लगभग गेहूं की धोरियां रखे हुये थे और कह रहे थे कि एक डेरे को अनाज देने आये हैं लेकिन अध्यक्ष महोदय, जिस समय वे उजड़ रहे थे, जब उन पर बुलडोजर चला था, चौटाला साइब ने उन पर बुलडोजर चलाया था उस समय केवल कांग्रेस पाटी ही उनके साथ खड़ी थी और उनको बचाया था उस समय अवलार सिंह मक्कड़ उनकी मदद के लिए भर्ती आये थे। मैं चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड़डा को मुवारिकबाद देता हूं कि इन्होंने देखा कि थे उजड़े हुये हैं और इन उजड़े हुजों को बसाना है। आज हम लो उजड़े हुओं को बसाने की कोशिश कर रहे हैं और ये लोगों को बशगाने का काम कर रहे हैं। इन्होंने पानी में मधाणी डाली हुई है जिसमें से कुछ नहीं निकलने दे रहे लेकिन हुड़डा साइब हस्का कोई भी कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको संक्षेप में बताना चाहता हूं कि हरियाणा में कुल 52 ऐतिहासिक गुरुद्वारे हैं और जिस समय हमने रिपोर्ट सौंपी उस समय लगभग 500 करोड़ रुपये की प्रोप्रटी मोटे तौर पर आंकी गई थी लेकिन अब लगभग 2000 करोड़ की प्रोप्रटी हो चुकी है। इन गुरुद्वारों के पास लगभग 3626 एकड़ जमीन है जिसका कोई हिसाब-किताब नहीं है कि किस जर्दीदार के ट्रैक्टर चलते हैं तथा आमदनी किधर जाती है, किसके खाते में जाती है। अध्यक्ष महोदय, मुझे एक बात

[सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चड्हा]

का पता है कि एक सरदार स्वर्ण सिंह बड़ेच होता था वो लोकल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का सदस्य था और बाद में वह उसी कमेटी का अध्यक्ष बन गया। कड़ा साहिब गुरुद्वारा जिसके आसपास और भी बहुत से गुरुद्वारे हैं उनकी सालाना आमदनी 12.5 लाख रुपये थी लेकिन इस स्वर्ण सिंह ने उस आदमनी को 12.5 लाख सालाना से बढ़ा कर 76 लाख रुपये सालाना तक पहुंचा दिया। उसका नतीजा यह हुआ कि एस०जी०पी०सी० वाले उसको फँसाने के लिए उसके ऊपर कोई न कोई केस बना देते हैं और अब हालत यह है कि उसके हाथ में थीला होता है तथा उसको हर साल हस०जी०पी०सी० की तारीख मुातरने के लिए अमृतसर जाना पड़ता है लेकिन वह कहता है कि मुझे इनको पास नहीं फटकने देना और इस आदमनी को मैं 76 लाख से 1 करोड़ रुपये तक लेकर जाऊंगा। सर, इस तरह ठीक ढंग से यह आमदनी आती रही तो फिर कोई कमी नहीं रहेगी। मैं इसके अलावा यह भी कहना चाहता हूँ कि इन दिनों में हरियाणा ने बड़ी तरक्की की है। हरियाणा के अन्दर एक मैडिकल कालेज है और मीरी-पीरी मैडिकल कालेज का झगड़ा पाया हुआ है कि वह कालेज बनाना नहीं है। इनकी पोलिसी क्या है कि ये समझते हैं कि हम गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के हिस्सेदार हैं उसी आमदनी के अन्दर हमारे गुरुद्वारों की आमदनी भी थी और उसी आमदनी से ही वहाँ एक मैडिकल कालेज, एक डेंटल कालेज, दो इंजिनियरिंग कालेज मोर वेन 36 वेल इक्विप्पड रस्कूल बनाए हैं और इसके अलावा एक कालेज जिसमें एम०ए० तक कलासिंज लगती हैं वह भी वहाँ बनाया है। यह तो एक मीरी-पीरी कालेज के झगड़े को लेकर बैठे हुए हैं पता नहीं मीरी-पीरी मैडिकल कालेज का इन्होंने क्या करना है। मैं इनको प्रार्थना कर रहा हूँ कि मीरी-पीरी कालेज वाली स्कीम भी ठीक है इसलिए मीरी-पीरी मैडिकल कालेज को ठीक तरह से बनाया जाए और इसको ठीक तरह से चलाने के लिए कहा जाए। मुख्यमंत्री जी के पास शायद वह आए हों मुझे नहीं पता I am not an eye witness. जिसका यही नहीं पता लगता कि उस कालेज का वारिस कौन है, इस कालेज का मालिक कौन है, वह कालेज किस ट्रस्ट का है और उस ट्रस्ट के अन्दर हरियाणा के कितने आदमी हैं और कौन-कौन से आदमी हैं उसका हमें बिलकुल पता नहीं लगता और वह कहते हैं कि हमने हरियाणा की बहुत तरक्की की है हमने हरियाणा के अन्दर बहुत कुछ बनाया है। आज क्या करते हैं हम पर दबके मारते हैं, एक तरफ तो कहते हैं अकाल तथा में पेश होना है कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है सो बार कहीं लेकिन हरियाणा के सिख के एक-एक हक वास्ते में और मेरी पार्टी लड़ मर लेगी हम बिलकुल बर्दास्त नहीं करते कि हरियाणा के गुरुद्वारों का दैसा फिजूल जाए, उधर जाए जहाँ उसका भिस यूज होवे और हरियाणा को उसका पता न हो। आज हरियाणा के सिखों ने कुर्बानी की है, हरियाणा का सिख जगह-जगह गया है। हरियाणा के सिखों ने भूख हङ्गाम की है और हरियाणा के सिखों ने प्रधान के घर के सामने कितने महीने तक धरना लगाकर रखा वह प्रधान को पता होगा और कईयों के आगे धरने लगाकर रखे उन्होंने बहादुरी के साथ इस मुहिम को चलाया है और बहादुरी के साथ उन्होंने मुख्यमंत्री को कन्वीस किया कि मुख्यमंत्री जी हमारा लिहाज न करो हम कोई रहम नहीं मांगते हम तो अपना हक मांगते हैं और आप मुख्यमंत्री हो यह आपकी डथूटी बनती है कि हमें हमारा हक दिलाए। इस तरह उन्होंने अपनी सारी बातें मुख्यमंत्री को बताई तो फिर मुख्यमंत्री जी ने फिर उनकी बातों पर विचार किया। मैं विषय के भाईयों से एक प्रार्थना करता हूँ कि इस मुद्दे को पार्टी लेवल पर न लेकर आओ। यह एक धर्म की बात है और इसको धर्म तक ही रहने दो। इसको पार्टी के तौर पर

भ लोकर जाओ। तुम कल लक स्पोर्ट कर दो लेकिन मैं तो आज भी इस उम्मीद से आया हूँ कि आज भी उसमें स्पोर्ट आएगी लेकिन मुंह से पता लगता है शाब्द स्पोर्ट आती है या नहीं आती यह तो इनको ही पता होगा लेकिन आज ये हँसते हुए नजर नहीं आते। आज इनके मुंह कुछ ढीले-ढीले से नजर आते हैं। ऐसा लगता है कि आज सारे भाई हमसे गुस्सा हों। मैं आप सभी से बिनती करता हूँ कि यह इस लोगों के लिए लो एक मजाक है लेकिन लोगों ने इसके लिए गोलियां खाई हैं जिन लोगों ने भाई खाई हैं जिन लोगों ने गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अभृतसर बनाई है जो लोग दस-दस साल बीस-बीस साल जेलों में गये हैं इनको उनके हालात का नहीं पता इन्होंने तो थहाँ बैठे अपनी बात का पता है। ये ठोकर भाई लेकिन यह अभी नहीं साचेंगे कि नकाना साहिब के साथ जो युद्ध होते रहे हैं वह कोई छोटे युद्ध नहीं थे। वह हिन्दुस्तान की आजादी के लिए लड़ते रहे देश की आजादी के लिए लड़ते रहे। मैं अभी देख कर आशा हूँ कि वह जंड का वृक्ष खाली है। हरा भरा वह जंड का वृक्ष है जिस जंड के वृक्ष के साथ लक्षण सिंह को बांधा था और जो लोग गिरफ्तार किए थे उनको दिखा रहे थे जिस प्रकार लक्षण सिंह को भिड़ी का तेल डालकर जलाया था उसी तरह तुम्हें भी जलायेंगे। स्पीकर सर, उनकी कुर्बानी की वजह से यह गुरुद्वारा एकट बना है।

स्पीकर सर, मैं आज सदन के माध्यम से आव्यान करता हूँ कि आओ और इस गुरुद्वारा एकट को और सशक्त बनायें। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का आभारी हूँ और साथ ही साथ उन भाइयों का भी आभारी हूँ जिन लोगों ने इसके लिए एजीटेशन किया। सरदार हरबंस जी के जाने के बाद हमारे साथी झिंडा साहब और जन्येदार नलचंद साहब ने इस मुद्रिभ को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यह लोग इस संबंध में मेरे से मिले थे। वास्तव में मैं स्वयं भी यह महसूस करता था कि गुरुद्वारा एकट में अमेंडमेंट होनी चाहिए तथा हरियाणा का अलग से गुरुद्वारा एकट होना चाहिए। मैं तो पहले से ही इस हक का था और अब एक बजार लोने की हैसियत से भी मैं इसकी स्पोर्ट करता हूँ। मैं यहाँ बैठे अपने सभी माननीय सदस्यों को यह प्रार्थना करता हूँ कि इस विषय को किसी धर्म के साथ मत जोड़ो, इसको किसी पक्ष के साथ मत जोड़ो। इसे अगर जोड़ना है तो उस बात के साथ जोड़ो कि जिन भाइयों के साथ वर्ष 1925 से लेकर आज तक इनने लंबे समय तक ज्यादती होती रही है, तथा जो इनने लंबे समय से आज तक लड़ाई लड़ते आये हैं तथा जिनके साथ अब जाकर न्याय होने लगा है, उनके साथ जोड़कर इस बात को देखना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान) इन संघर्षशील लोगों को अब तो इंसाफ मिलने दो और इंसाफ प्राप्त करने में उन संघर्षशील लोगों की सहायता करो। (शोर एवं व्यवधान) अंत में मैं सभी माननीय सदस्यों का विशेषरूप से हमारे मुख्यमंत्री महोदय का तथा उन सदस्यों का जो इस कमेटी के भैष्यर रहे हैं, बहुत-बहुत शक्तिया अदा करता हूँ। इन लोगों से दिन-रात मेहनत करके यह रिपोर्ट देयार की है और दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। इन्होंने राफ कर दिया है कि यह हरियाणा के सिखों का अधिकार है कि वह अपनी अलग से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनाये। इनकी यह बर्डिकट जब मुख्यमंत्री महोदय तक पहुँची तो उन्होंने तुरन्त एक सब कमेटी धनाकर सभी पहलूओं पर गौर किया गया और सभी पहलूओं पर शीर करने के बाद जब सब कुछ कलीयर हो गया सभी जाकर हरियाणा के लिए अलग गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी विधेयक विधान सभा में लाया गया है। मैं इस सदन में बैठे सभी माननीय सदस्यों से अपील करता हूँ कि आओ धर्म से ऊपर उठकर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के विषय में आत करें। केवल यह नहीं सीधे कि यह कमेटी केवल सिखों के लिए है बल्कि यह सभी धर्मों की है। अपने निजी स्वार्थों से तथा

[सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चड्हा]

पार्टी के लैबल से ऊपर उठकर इसका समर्थन करना चाहिए। यह हरियाणा के सिखों का हक है। हरियाणा के सिखों को यह हक लेने दो और उसमें कोई रुकावट भत डालो। अगर इस नैक काम में रुकावट डाली जायेगी तो समर्थन नहीं। इसी के साथ मैं दोबारा से फिर कहता हूं कि मैं इसकी स्पोर्ट करता हूं। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Please keep silent. Hon'ble Minister is still on his legs.

श्री हरमोहिन्द्र सिंह चड्हा: स्पीकर सर, मैं इस बिल को बड़ा खुशकिस्मत, अकलमंद व बुद्धिमान बिल समझता हूं और मुख्यमंत्री महोदय का अपनी तरफ से और सारी संगत की तरफ से बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं। (इस समय में थपथपाई गई।) उन्हीं के अथक प्रथासों से यह बिल विधानसभा में लाया गया है और मुझे विश्वास है कि यह विधान सभा में पास भी अवश्य हो जायेगा। जय हिंद। (इस समय में थपथपाई गई।)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा (थानेसर): स्पीकर सर, अभी पार्लियामेंट अफेयर्ज मिनिस्टर जी ने हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का बिल पेश किया। चड्हा साहब ने बड़े ही विस्तार से शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की बैकग्राउंड बताई। मैं चड्हा साहब की इस बात से बहुत सहमत हूं कि सन् 1925 में बहुत बड़ी कुर्बाणियों दी गई, हजारों लोगों ने गिरफ्तारियों दी तथा सैकड़ों लोग शहीद भी हुए। इन लोगों में देश के पूर्व प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह जी के पिता सरदार गुरुमुख सिंह जी भी शामिल थे। उसके बाद सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनी। जिस समय सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनी उस बक्त राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने कहा था कि आज देश की आजादी की नींव रखी जा रही है। उसके बाद देश आजाद हुआ। देश के आजाद होने के बाद पहले प्रधानमंत्री स्वर्णीय पंडित जवाहर लाल नेहरू जी और मास्टर ताश जी के बीच एक समझौता हुआ। नेहरू जी ने स्वर्णीय कहा कि किसी भी केन्द्र की सरकार को या फिर प्रदेश की सरकार को सिखों के धार्मिक मामलों में दखल अदाजी नहीं करनी चाहिए। उसके बाद चड्हा साहब ने गुरुद्वारों की बात की। यह बात ठीक है जो गुरुद्वारों हैं वो केवल सिख भाइयों के लिए नहीं हैं, हमारी भी भावनाएं उन गुरुद्वारों में जुड़ी हुई हैं। हमारे यहां पर जिसने भी धार्मिक स्थान हैं उस पर कोई भी श्रद्धा से शीश झुकाता हो, उसको ही श्रद्धा का फल मिलता है। अध्यक्ष महोदय, छठी पाताशाही का एक छोटा सा गुरुद्वारा एक टिब्बी पर होता था, शायद आपने भी उसको देखा होगा। हमने भी वहां पर रखयं कार सेवा करके गुरुद्वारे को बनवाने में अपना योगदान दिया, उसके साथ हमारी भी आस्था जुड़ी हुई है। एरन्तु जो आज सिख भाइयों की बात करते हैं, इसके लिए आज कांग्रेस पार्टी का धन्यवाद कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद कर रहे हैं। चड्हा साहब उस समय कांग्रेस पार्टी में भीजूद थे, जब वर्ष 1982 में एशियाड गेम के अंदर चौथी भजनलाल मुख्यमंत्री होते थे, उन्होंने मध्यबन में किस प्रकार रो हमारे सिख भाइयों की पांगड़ी उतार कर उनको अपमानित किया था। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, मेरा घोयंट ऑफ ऑर्डर है। (शोर एवं व्यवधान) किसी भी इश्यू को डीरेल करने का एक बड़ा सिप्पल तरीका है।

श्री अशोक अरोड़ा: अध्यक्ष महोदय, मुझे अपनी बात पूरी तो करने दें।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, इनकी सरकार ने क्या किया? ये 15 साल से सत्ता में रहे, इन्होंने उन लोगों को क्यों सजा नहीं दी, इनकी बबलिंग होनी शुरू हो गई।

श्री अशोक अरोड़ा: अध्यक्ष महोदय, आभी मैंने अपनी बात पूरी नहीं की है।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वॉयंट ऑफ ऑर्डर है।

Mr. Speaker : What is the point of order?

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, हम सभी सदस्य बड़ी शांति से आदरणीय अरोड़ा जी की बात को सुन रहे हैं। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि अरोड़ा साहब और इनकी पार्टी के सभी माननीय सदस्य थह विर्णव करके आये हैं कि इस ऐतिहासिक मामले में पूरा व्यवधान खालने की कोशिश करनी है। ये यह बात भूल जाते हैं कि चौष्ठरी देवीलाल जी जब मुख्यमंत्री थे, उसके बाद वे भारत के उप-प्रधान मंत्री भी रहे तथा उसके बाद श्री ओम प्रकाश चौटाला जी हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे उस समय इनकी पार्टी ने उन सब लोगों को सजा कर्यों नहीं दी? विपक्ष के साथी सत्ता पक्ष पर इल्जाम तो लगा देते हैं, इनकी पार्टी ने उस समय उन लोगों पर मुकदमा दर्ज कर्यों नहीं किया? आज सवाल सिखों के लिए एक वर्खरी एच०एस०जी०पी०सी० बनाने का है, इसलिए आज सवाल 1984 के दंगों का नहीं है। 1984 के दंगों की आड़ में एक घड़्यन्त्र के तहत आदरणीय अरोड़ा जी और उनकी पार्टी सिखों को उनके हाकों से महसूस रखना चाहती है, सच्चाई यही है। यह बड़ी शर्म की बात है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अशोक अरोड़ा: अध्यक्ष महोदय, चड्हा साहब बार-बार अनुरोध कर रहे थे कि किसी धर्म विशेष की बात न की जाए। हम भी यह बात कहते हैं कि किसी धर्म विशेष के प्रति दखलअंदाजी नहीं होनी चाहिए। मैंने 1982 एशियाड गेम का जिक्र किया, उस समय विपक्ष के साथी खड़े हो गये थे। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Please sit down, don't interrupt like this.

श्री अशोक अरोड़ा: अध्यक्ष महोदय, 1984 के अन्दर तत्कालीन प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या हुई जोकि देश के लिए बहुत दुःखद बात थी। (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अजय सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वॉयंट ऑफ ऑर्डर है।

श्री अध्यक्ष: ठीक है, आप बोलिये।

कैप्टन अजय सिंह यादव: स्पीकर सर, मेरा यही कहना है कि श्री अशोक अरोड़ा जी जिस बिल पर सदन में चर्चा हो रही है उसी के बारे में बात करें। अरोड़ा जी कभी वर्ष 1982 के एशियाड गेम्ज की बात करते हैं और कभी वर्ष 1984 के दंगों की बात करते हैं। सर, जिन्होंने वर्ष 1984 में दंगे फसाद किए थे, उनका मामला कोर्ट में विचाराधीन है। उनके खिलाफ कोर्ट में केस चल रहा है। इनेलो पार्टी के माननीय सदस्य यह बतायें कि इस एकट के हक में है या खिलाफ है। विपक्ष बाले आहते हैं कि हरियाणा के सिख भाइयों को उनका हक न मिलें। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पंजाब राज्य की है और वह हरियाणा के सिख भाइयों के ऊपर कुठाराधात करते रहे हैं। सर, हमारे हरियाणा के सिख भाइ आहते हैं कि हरियाणा के सिखों के लिए हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अलग बने। विपक्ष के सदस्य इस बिल के बारे में बताएं कि वे इस बिल के पक्ष में हैं या विरोध में। वे इस पर अपने विचार व्यक्त करें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर सर, मेरा अरोड़ा साहब से वे इनेलो पार्टी के सदस्यों से सादर हाथ जोड़ कर अनुरोध हैं। (शोर एवं व्यवधान) अरोड़ा जी मेरी बात सुन तो

[श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला]

श्रीजिएं शायद मैं आपके हक की बात कर रहा हूँ। सबसे बरिष्ठ माननीय सदस्य चट्टा साहब जै भी सिखों के बारे में विस्तार से चर्चा की है। आज सदन में एक ऐतिहासिक निर्णय लेने का समय है। उसका श्रेय सत्ता पक्ष अकेले लेना नहीं चाहता है। बड़े उत्तर दिल से चट्टा साहब ने चर्चा की। (शोर एवं व्यवधान) वह प्रश्न श्रेय लेने का नहीं है। प्रश्न यह है कि क्या विपक्ष के माननीय सदस्य हरियाणा के गठन के 47 वर्षों के बाद हमारे हरियाणा के सिख भाइयों को उनका अधिकार दिलाना चाहते हैं या विधादित भूमों को छेड़ कर उनके खिलाफ बड़यंत्र रथना चाहते? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा: सर, मेरी बात तो पूरी सुन लीजिए। मैंने तो केवल यही कहा है कि श्रीमती इन्दिरा गांधी की हत्या एक दुखद घटना थी। मैंने आगे लो कुछ भी नहीं कहा है।

कैटन अजय सिंह यादव: स्पीकर सर, श्रीमती इन्दिरा गांधी वाली बात को रिकॉर्ड न किया जाये। इस तरह की बात कहने का अरोड़ा साहब का कोई औचित्य नहीं बनता है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अशोक अरोड़ा: स्पीकर सर, वर्ष 1984 में श्रीमती इन्दिरा गांधी की हत्या हुई वह बड़ी दुखद घटना थी। परन्तु उस घटना में हजारों सिखों को गले में टाठर डालकर मारा गया। वह कितनी शर्म की बात थी। उस समय किसकी सरकार थी? (शोर एवं व्यवधान)

कैटन अजय सिंह यादव: स्पीकर सर, वह कोई बोलने का तरीका नहीं है। वर्ष 1984 के दंगों की बात कहने का कोई मतलब नहीं है। अरोड़ा जी केवल इस बिल पर ही बोले। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कल (मातनहेल) : अरोड़ा जी क्या आप हमेशा हरियाणा के सिख भाइयों को पंजाब के सुखमर्ती श्री प्रकाश सिंह बादल के अधीन रखना चाहते हैं? सर, विपक्ष नहीं चाहता कि हरियाणा के सिख भाइयों को उनका हक मिले। (शोर एवं व्यवधान) स्पीकर सर, आज हरियाणा विधान सभा में एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण बिल पेश हुआ है। जिस पर चर्चा चल रही है। लेकिन विधान सभा में बैठे-बैठे कुछ माननीय सदस्य आज भी पंजाब सरकार के प्रैशर में हैं। आज विधान सभा में हमारे सिख भाइयों के हक की लड़ाई लड़ने के बारे में जो चर्चा चल रही है क्या विपक्ष के माननीय सदस्य वह पंजाब सरकार के हिसाब से चलेंगे? बादल साहब के हिसाब से चलेंगे? (शोर एवं व्यवधान) विपक्ष के माननीय साधी नहीं चाहते कि हमारे हरियाणा के सिख भाइयों को अलग से एक पहचान मिले।

श्री अशोक अरोड़ा: स्पीकर सर, हम बिलकुल सिखों के साथ हैं।

श्रीमती गीता भुक्कल (मातनहेल): अरोड़ा जी अगर आप लोग वह चाहते हो कि वर्ष 1966 से आज तक हमारे हरियाणा के सिख भाइयों के साथ जो अन्याय हुआ है वह आगे न हो और उनको उनका हिस्सा मिलें। यदि आप चाहते हैं तो आप खुले मन से स्पोर्ट करें।

श्री भारत भूषण थाना: सर, मेरा प्वॉर्थेट ऑफ ऑर्डर है।

Mr. Speaker : What is the point of order?

Shri Bharat Bhushan Batra: Sir, I want to read out Rule 100 (1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly. It says—

“The matter of every speech shall be strictly relevant to the matter before the Assembly.”

So, a Member is under obligation to speak strictly on the issue which is placed before the Assembly. (Interruption)

Sir, again I want to read out the same. It says—

“The matter of every speech shall be strictly relevant to the matter before the Assembly.” (Interruption)

The Rule 100 (2) (iii) also says—

“(2) A member while speaking shall not—

XXXX XXXX XXXX XXX

(iii) “refer to a matter of fact on which a judicial decision is pending.”

सर, 1984 के राईट्स पर ज्यूडिशिएल डिसीजन आ गये, ज्यूडिशियल कमीशन आ गये उसके बाद इस मुद्दे पर कोई भी डिस्कशन नहीं होना चाहिए। अरोड़ा साहब ने यह कहा कि सिखों का यह कर दिया सिखों का यह कर दिया। अरोड़ा साहब का कोई इक नहीं बनता कि ये यह कहें कि कमीशन अपॉयंट हो गये और यहां पर सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज तक किसी भी कमीशन ने किसी भी नेता को कहीं भी इन्डक्ट नहीं किया और किसी भी कांग्रेसी नेता और हमारी नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी ने कभी भी इस बात को डिफैन्ड नहीं किया। उसके बाद भी भाननीय विषय के सदस्य सदन की भव्यादा रखें क्योंकि श्री अरोड़ा जी आपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं।

Mr. Speaker : Batra Ji, I agree with you that the matter should be restricted.

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : स्पीकर सर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि कथा प्यॉयंट ऑफ ऑर्डर पर भी प्यारंट ऑफ आर्डर आ सकता है क्योंकि इससे पहले तीन प्यॉयंट ऑफ ऑर्डर आ चुके अब ये चौथा प्यॉयंट ऑफ ऑर्डर आया है।

Mr. Speaker : Batra Ji is quoting Rule 100 that says- that the matter of every speech shall be strictly relevant to the matter before the Assembly and he is also quoting Rule 100 clause (iii) which says- ‘refer to a matter of fact on which a judicial decision is pending’. So , we cannot probably discuss the issues of 1984 riots and something like this. Therefore, these issues may be deleted from the proceedings being sub-judice.

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : स्पीकर सर, मैंने इसमें किसी का नाम नहीं लिया है। मैं तो सिर्फ चंडा साहब की बात पर कह रहा था कि उन्होंने यह बात बार-बार कही कि जिन लोगों ने हमारे को वोट दिया है उन लोगों के लिए हमारी पार्टी ने क्या किया। मैं आपके माध्यम से उनको बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने हमारी पार्टी को वोट दिया उसके लिए हमने तो चंडा साहब को भी स्पीकर बनाया था। ***

Mr. Speaker : Delete these words.

*चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: स्पीकर सर, अरोड़ा साहब को कहा जाए कि वे हरियाणा के सिखों के नाम पर सियासी घट्यंत्र बन्द करें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री हरमोहिन्द्र सिंह चाहा: स्पीकर सर, ये विषय के सदस्य किसके पक्ष में बोल रहे हैं और क्या बोलना चाहते हैं यह बात मेरी समझ में नहीं आई। ये जानबूझकर कोई न कोई तमाशा करना चाहते हैं या सदन से बॉक आऊट करना चाहते हैं।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय अरोड़ा साहब को कहना चाहता हूँ कि वे हरियाणा के सिखों के नाम पर सियासी घट्यंत्र बन्द करें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा: स्पीकर सर, अर्थ 2005 के अन्दर प्रदेश में चुनाव हुए और कांग्रेस पार्टी ने अपने चुनाव धोषणा पत्र में लिखा था कि हमारी हरियाणा की अलग सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनाई जाएगी। हरियाणा में इनकी सरकार बनी और इनकी सरकार बनने के बाद शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव हुए और हरियाणा के सिखों ने कांग्रेस पर विश्वास किया और हमारी पार्टी के नेता चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने कहा कि सरकार को जीका मिलना चाहिए कि सरकार अपना धायदा पूरा करे। (विच्छ) इस चुनाव में हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की जीत हुई और उसके बाद 5 साल तक इनकी सरकार चली और इन्होंने कोई सिख गुरुद्वारा कमेटी नहीं बनाई। (विच्छ)

श्री नरेश कुमार बादली: अध्यक्ष महोदय, ये क्यों व्यर्थ ढोल पीटने का काम कर रहे हैं। माननीय साथी स्पष्ट तौर पर यह बताएं कि वे प्रस्ताव के हक में हैं या विरोध में हैं। ये क्यों अनावश्यक भूमिका बना रहे हैं और हरियाणा की जनता को गुमराह कर रहे हैं। ये अपनी लीडर की बात कर रहे हैं जो आज यहां है ही नहीं। (विच्छ) हम इनके नेता की बात करते हैं तो इनको क्यों मिर्ची लगती है। ये बाताएं कि इनके नेता आज कहां हैं। (विच्छ)

श्री अध्यक्ष: नरेश शर्मा जी, आप अपनी सीट पर बैठिए। (विच्छ)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा: अध्यक्ष महोदय, नरेश शर्मा जी का इस तरह बात करना ठीक नहीं है। (विच्छ)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, मैंने भाई नरेश शर्मा जी से निवेदन कर दिया है कि वे बैठ जाएं लेकिन मैं आदरणीय अरोड़ा जी जो मेरे बरिष्ठ साथी हैं उनसे कहना चाहूँगा कि वे अपने प्वायट से न हों। अरोड़ा जी, हालांकि किसान के बेटे ने जो बुद्धि से ज्यादा बुद्धिमान हैं चाहे पढ़े लिखे कभी हैं, जो जन्म से ब्राह्मण हैं और बुद्धि से भी ब्राह्मण हैं और कम पढ़े लिखे होले हुए भी उन्होंने बहुत अच्छा सवाल आपसे पूछा है कि क्यों बैकार का ढोल पीटते हैं आप सीधे सीधे यह बताएं कि आप बिल के हक में हैं या घट्यंत्रकारी हो। (विच्छ)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा: अध्यक्ष महोदय, मैं इनके सारे घट्यंत्रों के बारे में बताऊँगा।

श्री नरेश कुमार बादली: अध्यक्ष महोदय, इनके नेता की बात आती है तो.....

श्री अध्यक्ष: नरेश शर्मा जी, आप बैठिए।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा: अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि इनकी सरकार बनने के बाद शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव हुए और उसमें हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के लोगों को लोगों ने जिताया। वर्ष 2009 में फिर से विधान सभा के चुनाव हुए। कांग्रेस पार्टी ने फिर अपने घोषणा पत्र में मिला कि हम हरियाणा की अलग से सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनाएंगे। वर्ष 2007 में आदरणीय चड्हा साहब की अध्यक्षता में कमेटी बनी परन्तु वर्ष 2014 तक कोई कमेटी नहीं बनी। न तो कोई कमेटी का गठन हुआ और न ही उसकी कोई रिपोर्ट आई। अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि हमारे सिख भाई जो लगातार कभी चड्हा साहब की कोठी पर धरना दे रहे थे तो कभी इनके प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की कोठी पर धरना दे रहे थे। परन्तु इन्होंने उनकी कोई बात नहीं सुनी। इन्होंने झीड़ा साहब का जिक्र किया तो मैं बताना चाहूंगा कि झीड़ा साहब ने कहा था कि कांग्रेस ने हमें ज्ञांसा देकर दो बार बोट बटोरने का काम किया, चाहे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने हरियाणा की अलग से सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनने की परन्तु हम इसके लिए कांग्रेस पार्टी को जिम्मेवार ठहराते हैं क्योंकि इन्होंने हमें घोखा दिया। सरदार जोगा सिंह जी जो यमुनानगर से हैं वे हमारे पास आये। उस समय हमने उनको कहा कि आपने दो बार कांग्रेस सरकार को देख लिया तब उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी तो घोखा देने वाली पार्टी है। अध्यक्ष महोदय, जब वे हमारे पास आये हमने उनको शिरोमणी अकाली दल के प्रधान सरदार सुखबीर सिंह बादल से मिलाया। (शोर एवं व्यवधान)

श्री नरेश कुमार बादली: अध्यक्ष महोदय, अरोड़ा जी कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र की बात करते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में जो बातें थीं उनमें से कोई एक बात ऐसी है जो पूरी न हुई हो। (शोर एवं व्यवधान) कांग्रेस पार्टी ने अपने सारे वायदे पूरे किए हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा: सर, मैं तो सरदार जोगा सिंह जी ने जो व्यान दिया था वह बता रहा हूं। यह व्यान मेरा नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Please sit down.

श्री मोहम्मद इलियास: स्पीकर सर, हमारे आदरणीय पण्डित जी, जब भी अरोड़ा साहब या दूसरा कोई मैंबर हमारी पार्टी का अपनी बात कहता है तो ये फौरन खड़े हो जाते हैं। मैं पूरे सदन के सामने माननीय भाई नरेश जी से एस०जी०पी०सी० का मतलब जानना चाहता हूं। (हँसी) पण्डित जी, आप जल्दी बतायें।

श्री नरेश कुमार बादली: इसका मतलब शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मोहम्मद इलियास: अध्यक्ष महोदय, मैं नरेश जी की तरफ देख रहा था इनको आदरणीय राव द्वान सिंह जी ने बताया है कि एस०जी०पी०सी० का मतलब क्या है? (शोर एवं व्यवधान)

श्री एण्डीप सिंह सुरजेयाला: अध्यक्ष महोदय, एक गम्भीर विषय पर चर्चा चल रही है। इस ऐतिहासिक विषय पर चर्चा के दौरान इस तरह से कोई भी सदन का समय नष्ट नहीं कर सकता। (शोर एवं व्यवधान) पण्डित जी ने इनको मतलब पढ़कर सुना दिया है। अध्यक्ष महोदय, अगर माननीय सदस्य चाहें तो पण्डित जी इनका पत्तशा उल्टे और सुल्टे तरफ से देखकर बता सकते हैं।

श्री मोहम्मद इलियास: अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात पूरी करना चाहूँगा कि सत्तापक्ष के साथी हमारी पार्टी का जो भी मैंबर बोलना चाहता है उनको डिस्टर्ब करते हैं और उनकी बात सुनना नहीं चाहते। आदरणीय चट्ठा साहब ने जब अपनी बात कही उस समय हमारी तरफ से एक मैंबर ने टोका टाकी नहीं की इसलिए मेरी प्रार्थना है कि सत्तापक्ष के साथी हमारी बात भी शांति से सुनें और जवाब दें। ये लोग हमारी बात नहीं सुन रहे इसका मतलब हुआ कि “चोर की दाढ़ी में तिनका है”। मेरी सत्तापक्ष से प्रार्थना है कि ये लोग हमारी बात शांति से सुनें और जवाब दें लेकिन वे लोग भी व्यवधान डाल रहे हैं जिनको एसओजी०पी०री० का मतलब भी नहीं मालूम है। (विच्छ)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा: अध्यक्ष महोदय, मैं जिक्र कर रहा था कि शिरोमणी अकाली दल के प्रधान सरदार सुखबीर सिंह बादल से आदरणीय झींडा साहब की अध्यक्षता में एक शिष्टगण्डल अस्वाला में मिला। उन्होंने कहा कि हम सिखों की एकता चाहते हैं इस पर सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि वे बिल्कुल सहमत हैं और हरियाणा उनका छोटा भाई है, आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। उसके बाद कार रोवा गुरुद्वारा, कुरुक्षेत्र के ओंदर उनकी पूरी कमेटी ने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ व्याप किया कि कांग्रेस पार्टी ने उनके साथ धोखा किया है। उस समय यह डिसाईड किया गया कि एक अलग सब कमेटी बनाई जायेगी जिसका आफिस कुरुक्षेत्र में होगा।

Shri Randeep Singh Surjewala: Speaker Sir, the issue under discussion is HSGPC Bill.

श्री अध्यक्ष: अरोड़ा जी, कृपया करके आप बिल पर बोलिए।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा: सर, मैं बिल पर ही बोल रहा हूँ। आप मेरे द्वारा बोली गई एक भी बात ऐसी बता दें जोकि बिल से सम्बंधित न हो।

श्री अध्यक्ष: अरोड़ा जी, आप यह बतायें कि आप बिल की किस धारा से एग्री करते हैं और किस धारा से एग्री नहीं करते हैं।

श्री नरेश कुमार शर्मा: सर, एक प्यार्थिय ऑफ आर्डर पर मैं यह कहना चाहता हूँ कि श्री अशोक कुमार अरोड़ा जी पूरे ब्रह्माण्ड की कहानी सुनाकर फिर बिल पर बोलेंगे।

श्री अध्यक्ष: नरेश जी, आप कृपया करके बैठ जाईये।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा: सर, जो कमेटी की मांग कर रहे थे उन्होंने कहा कि हम सिखों की एकता चाहते हैं। (शोर एवं व्यवधान) स्पीकर सर, आप श्री नरेश शर्मा जी को बिठाईये।

श्री अध्यक्ष: नरेश जी, आप कृपया करके बैठ जाईये।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा: सर, उन्होंने वहाँ पर मेरी मौजूदगी में यह कहा कि कांग्रेस से हम दो बार धोखा खा चुके हैं इसलिए इस बार आई०एन०एल०डी० को समर्थन देते हैं। इसके बाद इनके दूसरे अध्यक्ष थे सरदार जगतार सिंह नववी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री रामविलास शर्मा की अध्यक्षता में कुरुक्षेत्र में यह कहा कि हमें कांग्रेस ने धोखा दिया है इसलिए हम उनका समर्थन नहीं करेंगे।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: स्पीकर सर, एक प्लार्ट ऑफ आर्डर पर मैं आदरणीय अरोड़ा जी, जो कि इस सदन के बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं और वे इस महाभास सदन के स्पीकर भी रहे हैं, से मैं यह सावधान अनुरोध करना चाहता हूं कि नलबी साहब ने कथा कहा, झींडों साहब ने कथा कहा, आदरणीय शर्मा जी ने कथा कहा था किसी भी व्यक्ति ने कथा कहा यह सब इमेस्टीरियल है। आज प्रश्न यह है कि आज हरियाणा के सिख किसी एक व्यक्ति विशेष के मोहताज नहीं हैं। आज मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हरियाणा की व्यवरी एच०एस०जी०पी०सी० धनामे का कानून सामने आया है। मैं माननीय अरोड़ा जी से यह कहना चाहता हूं कि अरोड़ा साहब सीधे शब्दों में अपनी बात कहें कि वे इस बिल के पक्षधर हैं या विरोधी हैं। माननीय अरोड़ा जी सो इस सदन के स्पीकर रहे हैं इसलिए उन्हें उस व्यक्ति के बारे में यहां पर जिक्र भी करना चाहिए जो व्यक्ति इस सदन का सदस्य नहीं है ये यहां पर उस व्यक्ति का नाम लेकर उसके ऊपर कोई आरोप नहीं लगा सकते। ये यहां पर किसी का नाम लेकर कोई बात नहीं कर सकते। मैं यह भी कहना चाहूँगा कि जो विजनेस सलूज की कापी इन्होंने बनाई थी वह इनको पढ़कर सुना दी जाये।

श्री अच्युतः अरोडा जी, आप बोलिए।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा: स्पीकर सर, मैं यह कक्ष रहा था कि उसके बाद देश की पार्लियामेंट के चुनाव हुए जिनमें पूरे देश से कांग्रेस पार्टी का सफाया हो गया और हरियाणा प्रदेश से भी माननीय मुख्यमंत्री के पुत्र को छोड़कर कांग्रेस बाकी बची नी की नी सीटें हार गई और जिस सिरसा का जिक्र माननीय चद्वा साहब कर रहे थे वहाँ के लोगों ने एक सिख भाई को जिताया और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को हराया।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: स्पीकर सर, एक प्यायंट ऑफ आईआर पर मैं आदरणीय अरोड़ा जी को यह कहना चाहूँगा कि यह सच बात है कि हम चुनाव नहीं जीत पाये हैं लेकिन इसके साथ ही साथ मैं श्री अरोड़ा जी को यह बात भी याद दिलाना चाहूँगा कि उनको यह बात भी बराबर याद रखनी चाहिए कि वे भी वर्ष 2004 से वर्ष 2014 तक कई बार चुनाव हारे हैं। वे तीन बार संसदीय चुनाव और दो बार विधान सभा चुनाव भी हारे हैं। (शोर एवं व्यवधान) इनकी हालत तो ऐसी है कि छाज तो थोले ही थोले साथ में छलनी भी बोले।

Mr. Speaker : Mr. Arora, I will request you to confine yourself to the Bill. अरोड़ा जी, आप थिल पर बोलिए कि आप थिल की कौन सी धारा से एग्री करते हैं और थिल की कौन सी धारा से आप एग्री नहीं करते हैं।

श्री अशोक कुमार आरोड़ा: स्वीकर सर, मैं यह बात मानता हूँ कि हमने भी कई चुनाव हारे हैं।

श्री अच्युतः अरोहा जी ल्लीज आप बिल पर बोलिए।

श्री अशोक कमार अशोड़ा: स्पीकर सर. में बिल पर ही बोल रहा है।

श्री अध्यक्षः अरोड़ा जी, आप बिल पर नहीं बोल रहे हैं। आप यह बताइये कि आप बिल की किस धारा से एगी करते हैं और किस धारा से एगी नहीं करते हैं।

श्री चरेण्या कुमार बाबूली: स्पीकर चूर. (विज्ञ)



(1) 50

हरियाणा विधान सभा

[11 जुलाई, 2014]

श्री अशोक कुमार अरोड़ा जी, अपने प्रतिक्रिया करके बैठ जाईये। अरोड़ा जी, आप कंटीन्यू कीजिए। आप अपने आपको सिफेर बिल पर मुझे कंटेन करें। अब आप सिफेर बिल पर ही बोलें कि बिल की कौन सी धारा से आप एग्री करते हैं और कौन सी धारा से आप एग्री नहीं करते हैं। इस बारे में आपने अब तक एक शब्द भी नहीं बोला है।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : रूपीकर सर, मैं यह कह रहा था कि आज हमारे प्रदेश के और बहुत से मुझे हैं। आज हमारा अलग हाईकोर्ट का भुवा है उसके ऊपर यहाँ पर कोई जिक्र नहीं किया गया है। आज हमारी एस०वाइ०एल० कैनाल का पानी सुप्रीम कोर्ट ने हमें दिया हुआ है लेकिन इस मुद्दे पर भी यहाँ पर कोई चर्चा नहीं हो रही है।

Mr. Speaker : Do you want a discussion on a separate High Court and SYL?

Shri Ashok Kumar Arora : Yes, Sir.

Smt. Kiran Chaudhary : Sir, Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly have already been brought out in this august House. In spite of that they are speaking on the irrelevant points. Speeches should be restricted to HSGPC only.

Mr. Speaker : Mr. Arora, I will not allow further to speak on the irrelevant points. You may speak on the Bill only.

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ कि हरियाणा गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी के 11 सदस्य हैं और 11 में से 8 सदस्य अकाली दल के चुने गये थे और 3 दूसरे चुने गये हैं। अब शायद हरियाणा से 4 हो गये हैं और अकाली दल के 7 सदस्य हो गये हैं। हरियाणा प्रदेश के सिखों की यह मांग थी कि हरियाणा प्रदेश के लिए एक अलग से सध-कमेटी बनाई जाये तो आज शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी गुरुद्वारा कमेटी के अध्यक्ष ने उस मांग को मान लिया है हरियाणा के लिए एक अलग से सध-कमेटी बना दी जायेगी जिसका ऑफिस कुरुक्षेत्र में होगा। इसलिए मेरी यह हम्बल रिकॉर्ड है कि इस बिल को वापस ले लिया जाये।

श्री रणदीप सिंह सुरजेताला : अध्यक्ष भहोदय, अरोड़ा साहब अंग्रेजों वाली चालें छोड़ दें, आज देश आजद हो चुका है। (Rowlatt) रोलैट एक लाला बंद कर दें? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मेरी अपने साथियों से विनम्र निवेदन है कि सिखों को धर्म के आधार पर मत बांटो, सिखों का एक बहुत बड़ा इतिहास है और सिखों ने धर्म के लिए इस देश के लिए बहुत बड़ी कुर्बानियां दी हैं। गुरु गोबिन्द सिंह जी ने, गुरु तेगबहादुर सिंह जी ने धर्म के लिए अपना सासा परिवार बार दिया। इसलिए मेरी अपने साथियों से हम्बल रिकॉर्ड है कि सिखों को एक रखने के लिए जो अच्छे प्रयास शुरू किये गये थे उनको शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी ने मान लिया है। इसलिए अब इस बिल को वापस ले लिया जाये।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह हुड़डा) : अध्यक्ष भहोदय, अरोड़ा साहब हमारे वरिष्ठ साथी हैं मैं इनसे पहले भी रिकॉर्ड करना चाहता था कि यह एक ऐसा मुश्ता है जिसको गम्भीरता से लेना चाहिए। इन्होंने हिंडा साहब का नाम लिया कि हिंडा साहब ने कहा है कि कांग्रेस ने हमें धोखा दिया है। यह बात सही है कि यह बात हमारे मैनिफेस्टो में भी थी कि हम हरियाणा के

सिखों के लिए अलग से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनायेंगे। झींडा साहब ने अरोड़ा साहब को भी कहा यह बात भी सही है क्योंकि वे हमारे पास मांग लेकर आये थे कि हमारी हरियाणा के सिखों की अलग से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनाई जाये। लेकिन कई साल तक वह कमेटी नहीं बन पाई तो उनको भाष्यक सूझा कि हमारा काम नहीं हुआ। अध्यक्ष महोदय, उसके बाद झींडा साहब इंडियन नेशनल लोकदल व अकाली दल के पास चले गये। उसके बाद तो झींडा साहब मेरे पास आ चुके हैं और उन्होंने कहा कि सुखबीर सिंह बादल ने हमें कुरुक्षेत्र में बरगला दिया और इनेलो ने भी बरगला दिया उसके बाद वे हमारे पास आये हैं। उस हिसाब से तो झींडा साहब को लेटैस्ट धोखा तो इंडियन नेशनल लोकदल व अकाली दल ने दिया है। (विज्ञ) अध्यक्ष महोदय, लेटैस्ट तो झींडा साहब ने इनको कहा है कि हमारी हरियाणा की अलग से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनाई जाये तो कम से कम ये उनकी ही बात का मान रखते हैं। ये उनकी ही बात को सिर-माथे पर चढ़ा लें। वे यहां हाउस में तो आ नहीं सकते आप बाहर चलिये वे बाहर ही होंगे और वे बसा देंगे कि धोखा किसने दिया है। दूसरी बात यह है कि अभी अरोड़ा साहब ने कहा कि सब-कमेटी बना देंगे और इस बिल को बायस ले लिया जाये। अध्यक्ष महोदय, कानूनी कार्यवाही कानून के हिसाब से ही होती है। यह अधिकार हरियाणा विधान सभा को ही है जो हमारे हरियाणा के सिखों की मांग है कि हरियाणा के लिए अलग से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनाई जाये, यह काम सिर्फ हरियाणा विधान सभा में ही हो सकता है। वे अपना हक मांग रहे हैं। वे अपने गुरु धरों की सेवा का हक मांग रहे हैं और उनको उनका हक देना हमारा मोर्शल राईट है। इसमें किसी को किसी तरह की दखलन्दाजी करने का कोई अधिकार नहीं है। उनके गुरुद्वारों का प्रबंधन कौन करेगा? न अरोड़ा साहब करेंगे और न ही भैं करेंगा, इस काम की तो मेरे सिख भाई ही करेंगे। उनके द्वारा अपने गुरुद्वारों का प्रबंधन स्वयं करने में इंडियन नेशनल लोकदल के हमारे साथियों को क्या ऐतराज है? ये आने से पहले भी चीज़ों बांट कर आये हैं। ये बता दें कि ये किसी और के कहने से मना कर रहे हैं या दिल से इस बिल के विरोध में हैं। अध्यक्ष महोदय, बिल सदन के पटल पर रख दिया गया है। दो लाइन का जवाब है ये सह बता दें कि ये बिल के समर्थन में हैं या विरोध में हैं। हाँ, जहां तक इस कमेटी को बनाने का सवाल है ये बात ठीक है कि सन् 2005 में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को बनाना हमारे भैंकेस्टो में था। हमारे सिख भाइयों की ये भावना भी थी कि यह कमेटी बनाई जाए लेकिन उस समय हमने यह कमेटी नहीं बनाई। सन् 2009 में भी इन्होंने कहा लेकिन तब भी हमने नहीं बनाई जिसकी हमने सजा भी भुगत ली। अब आगे हम सजा नहीं भुगतना चाहते जो हमने कर्तृत किया है उसके लिए हमने अपने सिख भाइयों से अपनी गलती मान ली और अब हमने उनकी बात मानकर यह गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बना दी बस बात खत्म हुई। (शोर एवं व्यवधान)

सरदार जरनैल सिंह (रतिया): स्पीकर सर, आपने मुझे पृथक हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के बिल पर बोलने का मौका दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और अपने सिख समाज की तरफ से भी धन्यवाद करता हूँ क्योंकि कैथल के अन्दर हमारे सिखों की बहुत पुरानी मांग जो सन् 1991 से उठी आ रही थी उस मांग को मध्य नजर रखते हुए मुख्यमंत्री जी ने कल ही पृथक हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनाने के लिए सदन में यह बिल पेश किया है।

Mr. Speaker : No Interruption.

ਸਰਦਾਰ ਜਾਰਨੈਲ ਸਿੰਘ : ਸਪੀਕਰ ਸਰ, ਮੈਂ ਪੰਚਾਰ ਸਾਹਬ ਕੋ ਬਤਾਨਾ ਚਾਹਤਾ ਹੁੰਦਿ ਕਿ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀਓਡੀਓ ਕਾ ਫੇਜਲਾ ਭੀ ਜਨਤਾ ਅਪਨੇ ਆਪ ਕਰ ਦੇਗੀ। (ਸ਼ੋਰ ਏਂਡ ਵਾਵਧਾਨ) ਸਪੀਕਰ ਸਰ, ਅਥੁ ਇਨ ਲੋਗਾਂ ਕੋ ਪੀੜਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸੋਂਕਿ ਸਿਖ ਗੁਰੂਦਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜੋ ਹਰਿਯਾਣਾ ਮੈਂ ਸਿਖਾਂ ਕਾ ਏਕ ਹਕ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਬ ਔਰ ਮਕਕਾਡ ਸਾਹਬ ਤਥਾ ਸਾਰਾ ਵਿਪਕਸ਼ ਹਮਾਰੇ ਸਿਖਾਂ ਕੋ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹਾ ਹੈ। ਦਿਲ੍ਸਿ, ਬਿਹਾਰ ਔਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਕੇ ਅਨੰਦਰ ਭੀ ਸਿਖ ਗੁਰੂਦਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਲਗ ਹੈ ਔਰ ਅਥੁ ਹਰਿਯਾਣਾ ਕੇ ਅਨੰਦਰ ਭੀ ਅਲਗ ਸੇ ਹਰਿਯਾਣਾ ਸਿਖ ਗੁਰੂਦਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਨਾਨੇ ਕਾ ਸੇਲਾਨ ਕਿਯਾ ਹੈ। (ਸ਼ੋਰ ਏਂਡ ਵਾਵਧਾਨ)

ਸ਼੍ਰੀ ਕੁਣਾ ਲਾਲ ਪੰਚਾਰ: ਜਾਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਸ ਸੀਓਡੀਓ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੋਂ ਬਤਾ ਦੂੰ। (ਸ਼ੋਰ ਏਂਡ ਵਾਵਧਾਨ)

ਸ਼੍ਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ: ਏਕ ਸਿਖ ਮੈਂਬਰ ਹਾਡਸ ਮੈਂ ਬੀਲ ਰਹਾ ਹੈ ਆਪ ਉਸਕੀ ਬੀਲ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ। (ਸ਼ੋਰ ਏਂਡ ਵਾਵਧਾਨ)

ਸਰਦਾਰ ਜਾਰਨੈਲ ਸਿੰਘ : ਸਪੀਕਰ ਸਰ, ਥੈਸੇ ਤੋਂ ਸਿਖ ਗੁਰੂਦਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹਰ ਰਾਜਾਂ ਕੇ ਅਨੰਦਰ ਅਲਗ-ਅਲਗ ਹੈ। ਹਰਿਯਾਣਾ ਕੇ ਅਨੰਦਰ ਭੀ ਅਗਰ ਸਿਖ ਗੁਰੂਦਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਲਗ ਬਨ ਜਾਤੀ ਹੈ ਤੋ ਹਮਾਰੇ ਸਿਖਾਂ ਕਾ ਬੁਨਤ ਬੜਾ ਮਾਨ ਸਮਾਨ ਹੋਗਾ ਕਿਸੋਂਕਿ ਹਮਾਰੇ ਗੁਰੂਦਾਰਾਂ ਕੇ ਗੁਲਲਕ ਕਾ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਅਨੰਦਰ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ। (ਸ਼ੋਰ ਏਂਡ ਵਾਵਧਾਨ)

ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਪਾਲ: ਸਪੀਕਰ ਸਰ, ਜਥੁਂ ਅਰੋਡਾ ਸਾਹਬ ਬੀਲ ਰਹੇ ਥੇ ਉਸ ਸਮਝ ਹਮਾਰੀ ਪਾਟੀਂ ਕਾ ਕੋਈ ਸਦਸ਼ਿ ਕੀਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੀਲਾਂ। ਅਥੁ ਸਰਦਾਰ ਜਾਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਬੀਲ ਰਹੇ ਹੈਂ ਤੋ ਵਿਪਕਸ਼ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਦਸ਼ਿ ਕੀਤੇ ਮੈਂ ਖਡੜੇ ਹੋ ਜਾਤੇ ਹੈਂ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਦਸ਼ਿ ਅਪਨੀ ਬਾਤ ਕਹਨਾ ਚਾਹਤਾ ਹੈ ਤੋ ਇਨਕੋ ਸ਼ਕਲੀਫ ਕਿਸੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। (ਸ਼ੋਰ ਏਂਡ ਵਾਵਧਾਨ)

ਸਰਦਾਰ ਜਾਰਨੈਲ ਸਿੰਘ : ਸਪੀਕਰ ਸਰ, ਹਰਿਯਾਣਾ ਕੇ ਗੁਰੂਦਾਰਾਂ ਮੈਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕਾ 300 ਕਰੋਡ ਰੁਪਏ ਕਾ ਚੜਾਵਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਹਰਿਯਾਣਾ ਕੇ ਗੁਰੂਦਾਰਾਂ ਕੇ ਅਨੰਦਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਵਾ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਆਜ ਹਮਾਰੇ ਗੁਰੂਦਾਰਾਂ ਕੀ ਦੱਸਾ ਬੁਨਤ ਦੱਸਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਹਮ ਸਿਖ ਸੰਗਤੀ ਵਾਰਾ ਬਨਾਏ ਗਏ ਗੁਰੂਦਾਰਾਂ ਕੀ ਤੁਲਨਾ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂਦਾਰਾਂ ਕੇ ਸਾਥ ਕਰੋਂ ਤੋ ਆਪਕੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਕਾ ਪਤਾ ਚਲੇਗਾ ਕਿ ਇਨਸੇ ਬੁਨਤ ਜਧਾਦਾ ਅਨੰਦਰ ਹੈ। (ਸ਼ੋਰ ਏਂਡ ਵਾਵਧਾਨ)

ਡੌਂਗ ਵਿਸ਼ਾਨ ਲਾਲ ਸੰਨੀ: ਸਪੀਕਰ ਸਰ, ਜਥੁਂ ਤਕ ਹਰਿਯਾਣਾ ਸਿਖ ਗੁਰੂਦਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਤੋਂ ਅਥੁ ਕਿਸੋਂ ਬਣਾਨੇ ਵਾਲੇ ਹੈਂ? (ਸ਼ੋਰ ਏਂਡ ਵਾਵਧਾਨ)

ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਗੀਤਾ ਮੁਕਤਲ ਮਾਤਨਹੈਲ : ਸਪੀਕਰ ਸਰ, ਆਜ ਹਰਿਯਾਣਾ ਕੇ ਸਦਨ ਕੇ ਅਨੰਦਰ ਇਤਨਾ ਮਹਤਵਪੂਰਾ ਔਰ ਹਿੱਸਦੀਰਿਕਲ ਥਿਲ ਆਯਾ ਹੁਆ ਹੈ ਵਿਪਕਸ਼ ਕੇ ਸਾਥੀ ਉਸਮੇ ਭੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀਰਿਯਸ ਹਨ। ਹਮਾਰੇ ਸਿਖ ਮਾਝਾਂ ਕੋ ਬੀਲ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ।

ਸਪੀਕਰ ਸਰ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਨੁਰੋਧ ਕਰੁੰਗੀ ਕਿ ਹਮਾਰੇ ਸਿਖ ਸਦਸ਼ਿ ਕੋ ਬੀਲ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਤਨ੍ਹੋਂ ਬੀਚ ਮੈਂ ਇੰਡ੍ਰੋਪਟ ਨ ਕਿਥਾ ਜਾਵੇ। (ਸ਼ੋਰ ਏਂਡ ਵਾਵਧਾਨ)

ਸ਼੍ਰੀ ਕਲੀ ਰਾਮ ਪਟਵਾਰੀ : ਸਪੀਕਰ ਸਰ, ਅਗਰ ਕਾਂਗ੍ਰੇਸ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹੀਂ ਵੀ ਸਿਖ ਸਮੁਦਾਯ ਕੇ ਵਿਤੀਂ ਕਾ ਧਾਰਨ ਰਖਨੇ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੋ ਕਿਸੋਂ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੁਨਾਵ ਮੈਂ ਕਿਸੀ ਸਿਖ ਸਮੁਦਾਯ ਕੇ ਵਿਕਿਤ ਕੋਟਿਕਟ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। (ਸ਼ੋਰ ਏਂਡ ਵਾਵਧਾਨ) ਪਾਂਡਿਕਲੀ ਸਤਾ ਪੱਖ ਕੇ ਲੋਗਾਂ ਕੋ ਸਿਖ ਸਮੁਦਾਯ ਦੇ ਇਸ ਬਾਤ ਕੇ ਲਿਏ ਸਾਫ਼ੀ ਮਾਂਗਨੀ ਚਾਹਿਏ। (ਸ਼ੋਰ ਏਂਡ ਵਾਵਧਾਨ)

सरदार जरनैल सिंह : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि अगर लोक सभा में टिकट नहीं दी थी तो यहां विधान सभा में तो इनको हमें देख लेना चाहिए। मैं और चड्डा साहब सिख समुदाय से संबंधित हैं और इस महान सदन के सदस्य हैं। (शोर एवं व्यवधान) इनका मकसद तो केवल हाउस की कार्यवाही को बाधित करना है और कुछ नहीं। (शोर एवं व्यवधान) .

श्रीमती गीता भुक्कल बातनहेल : स्पीकर सर, ऐसा लगता है कि कली राम जी को सदन में डिसकशन किये जा रहे विषय का ही ज्ञान नहीं है? बात किस विषय पर हो रही है और वे किसी और विषय पर सदन में हँगामा खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कली राम जी, आप बिना परमिशन के बोल रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान) सरदार जरनैल सिंह जी आप कंटीन्यू करें। (शोर एवं व्यवधान)

सरदार जरनैल सिंह : स्पीकर सर, हरियाणा प्रदेश के गुरुद्वारों का करोड़ों रुपया पंजाब में चला जाता है जहां पर इस पैसे का मिसायूज किया जाता है। (शोर एवं व्यवधान) अगर अलग से हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनती है तो प्रदेश में हमारे सिख समुदाय के अपने इंजीनियरिंग कॉलेज बनेंगे (शोर एवं व्यवधान) स्कूल बनाये जायेंगे थाने हरियाणा प्रदेश के गुरुद्वारों से प्राप्त होने वाले पैसे का प्रयोग हरियाणा के सिखों की भलाई के लिए किया जायेगा। (शोर एवं व्यवधान) इस तरह से प्रदेश में रहने वाले सिखों को भी बहुत फायदा होगा। आज हरियाणा के किसी सिख के बच्चे को पंजाब में स्थित किसी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना होता है तो उसको वहां पर एडमिशन नहीं मिल पाता है। पंजाब में स्थित एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में हरियाणा के सिखों के बच्चों का कोई मान-सम्मान नहीं है। उन्हें एडमिशन नहीं दिया जाता है। (शेम-शेम की आवाजें) इस तरह का व्यवहार पंजाब में हरियाणा के सिखों के बच्चों के साथ किया जाता है। (शोर एवं व्यवधान) गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के तहत प्रदेश के जितने भी गुरुद्वारे हैं वे सभी एस0जी0पी0सी0 के अंडर चलाया जा रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान) इन गुरुद्वारों में काम करने वाले सभी कर्मचारी पंजाब से संबंधित हैं। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : Kali Ram Ji, please sit down. माननीय सदस्य को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिये।

सरदार जरनैल सिंह : स्पीकर सर, हरियाणा का एक भी कर्मचारी हरियाणा के गुरुद्वारों में काम नहीं कर रहा है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री दिलबाग सिंह: क्वां आपने इस बाबत सर्वे करवा रखा है? (विधान)

सरदार जरनैल सिंह : स्पीकर सर, बाकायदा इस बाबत सर्वे करवा रखा है। (विधान)

Shri Bharat Bhushan Batra: Speaker Sir, it is a very good point.

सरदार जरनैल सिंह : स्पीकर सर, हरियाणा में स्थित गुरुद्वारों में सेवादार तक को भी पंजाब से लाकर लगाया गया है। मैं आपको अपने क्षेत्र रतिया के 'गुरुद्वारे' की बात बताना चाहूँगा। रतिया गुरुद्वारे में जो भैनेजर लगाया गया है वह भी अमृतसर का है (शोर एवं व्यवधान) स्पीकर सर, रतिया के गुरुद्वारों के अधीन 40 एकड़ जमीन आती है। इनकी सालाना आमदनी 40 लाख रुपये है जोकि सारी की सारी पंजाब में छली जाती है। स्पीकर सर, आज रतिया विधान सभा क्षेत्र

[सरदार जरनैल सिंह]

में स्थित गुरुद्वारों की चाहे वह नाड़ा साहब गुरुद्वारा है या फिर धमतान साहिब गुरुद्वारा है, अहुत ही दशनीय स्थिति देखने को मिलेगी। बादल साहब ने गुरुद्वारों की सारी आय पर कब्जा किया हुआ है इसलिए इस तरह की दुर्योगस्था आज हरियाणा प्रदेश के गुरुद्वारों की हो गई है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री दिलबाग सिंह: स्पीकर सर, सरदार जरनैल सिंह, बादल साहब पर ही क्यों आरोप लगा रहे हैं ? (विच्छ.)

श्री अध्यक्ष: जरनैल जी, आप कंटीन्यू करें ! (शोर एवं व्यवधान)

सरदार जरनैल सिंह : स्पीकर सर, इसका कारण यह है कि एस०जी०पी०सी० पर बादल साहब का ही कब्जा है और रही बात मकड़ साहब की तो उनका कोई भी बयान बादल साहब के इशारे पर ही दिया गया बयान होता है। (शोर एवं व्यवधान) स्पीकर सर, आज तक हमारे गुरुद्वारों की भिशानदेही तक नहीं हो पाई है। पांच साल के लिए एस०जी०पी०सी० के 165 मैंबर चुने जाते हैं। (विच्छ.)

डॉ० विशन लाल सैनी : स्पीकर सर, मैं माननीय सदस्य की जानकारी में लाना चाहूंगा कि एच०एस०जी०पी०सी० में भी सी०एल०य० जैसी घटनायें होंगी ? (विच्छ.)

सरदार जरनैल सिंह : हाँ जी, मैंने सुना नहीं एक बार फिर से बतायें ? (विच्छ.)

श्री जगदीर सिंह मलिक : जरनैल जी, आप इनकी भत्त सुनिये। (विच्छ.)

श्री अध्यक्ष: जरनैल जी, आप जवाब मत दीजिये, आप अपनी बात पूरी कीजिये?

सरदार जरनैल सिंह : ठीक है, सर। स्पीकर सर, हरियाणा प्रदेश के सिखों के लिए यह विडम्बना देखिये कि एस०जी०पी०सी० के टोटल 165 मैंबरों में से हरियाणा से महज 11 मैंबर ही चुने जाते हैं (शोर एवं व्यवधान) जबकि अकेले अमृतसर जो केवल एक जिला है, 25 मैंबर एस०जी०पी०सी० के लिए चुने जाते हैं। यह हरियाणा के सिखों के लिए बहुल बड़ा अन्याय किया जा रहा है। अगर हरियाणा के सिखों की अलग से एस०जी०पी०सी० बनेगी तो यहां पर कॉलेज/जा रहा है। अगर हरियाणा के सिखों की अलग से एस०जी०पी०सी० बनेगी तो यहां पर कॉलेज/मेडिकल कालेज थ इंजीनियरिंग कॉलेज बनेंगे और हमारे हरियाणा के सिखों के बच्चों को एडमिशन मिलेगा और उनके लिए रोजगार मिलने की राह आसान हो जायेगी। (इस सनथ में एच०एस०जी०पी०सी० में से अपथपाई गई।) स्पीकर सर, मैं आज ज्ञान में आपके माध्यम से अपील करता हूं कि जैसाकि आज धपथपाई गई।

डॉ० विशन लाल सैनी: स्पीकर सर, जब एच०एस०जी०पी०सी० में सी०एल०य० जैसे घटनाक्रम होंगे तब जरनैल सिंह क्या करेंगे? (शोर एवं व्यवधान)

सरदार जरनैल सिंह : स्पीकर सर, विषय के लोगों का इस प्रकार का आवारण इनकी सिखों के प्रति गलत मंशा को प्रदर्शित कर रहा है। यह लोग सिखों के हितेशी नहीं हैं। जब कभी

ਭੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਯਾ ਪਾਰਲਿਆਮੈਂਟ ਕੇ ਚੁਨਾਵ ਹੋਤੇ ਹੋਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਪ੍ਰੁਖਦੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਟ ਲੇਨੇ ਕੇ ਲਿਏ ਹਮਸੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਤੇ ਹੋਏ ਔਰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਯਾਂ ਕੋ ਬਰਗਲਾ ਕਰ ਮਹਜ ਕੋਟ ਲੇਨੇ ਕੀ ਰਾਜਨੀਤਿ ਕਰਤੇ ਹੋਏ। ਇਨਕੋ ਹਰਿਯਾਣਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੌਰੀ ਲੇਨਾ ਦੇਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ ਲੋਗਾਂ ਨੇ ਹਰਿਯਾਣਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਕੇ ਲਿਏ ਆਜ ਤਕ ਕਿਥਾ ਕਿਥਾ ਕਿਆ ਹੈ? ਸਪੀਕਰ ਸਾਰ, ਮੈਂ ਏਕ ਬਾਤ ਬਤਾਨਾ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਸਨ् 1925 ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂ ਰੋ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਦਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਨੀ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਕੇ ਲਿਏ ਕੌਨ ਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਥਾ ਹੈ। ਬਾਸ਼ਤ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਤਨੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਾਲੇ ਵਾਲੇ ਸੱਤ ਮਹਾਤਮਾਓਂ ਨੇ ਕਿਥਾ ਹੈ। ਗੁਰੂਦਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਾਲੇ ਵਾਲੇ ਸੱਤ ਮਹਾਤਮਾਓਂ ਨੇ ਕਿਥਾ ਹੈ। ਗੁਰੂਦਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਾਲੇ ਵਾਲੇ ਸੱਤ ਮਹਾਤਮਾਓਂ ਨੇ ਕਿਥਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਦਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਲੇ ਵਾਲੇ ਸੱਤ ਮਹਾਤਮਾਓਂ ਨੇ ਕਿਥਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਦਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਹੈ। ਆਜ ਤਕ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਤੀ ਹੈ ਤਥਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਲੇ ਵਾਲੇ ਸੱਤ ਮਹਾਤਮਾਓਂ ਨੇ ਕਿਥਾ ਹੈ। ਆਜ ਤਕ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਤੀ ਹੈ। (ਸ਼ੋਰ ਏਂਡ ਵਾਕਾ)

Mr. Speaker : No running commentary please.

ਸ਼੍ਰੀ ਰਣਦੀਪ ਸਿੱਖ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ: ਅਧਿਕਾਰ ਮਹੋਦਾਤ, ਆਦਰਣੀਅ ਸਾਦਸਥਾਂ ਦੇ ਮੇਰਾ ਨਿਵੇਦਨ ਹੈ ਕਿ ਵੇਂ ਬੈਠੇ-ਬੈਠੇ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਲੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਟਿਪਣਿਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਵਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸ਼ੋਭਨੀਅ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਨਸੇ ਹਾਥ ਜੋੜਕਰ ਵਿਨਤੀ ਕਰਾਉਂਗਾ ਕਿ ਕ੃ਪਥਾ ਐਸਾ ਨ ਕਹੋ, ਜੋ ਭੀ ਬਾਤ ਕਹਨੀ ਹੈ ਵਹ ਆਪਾਸੇ ਇਤਾਜ਼ਤ ਲੇਕਰ ਕਹੋ।

Mr. Speaker : Please don't comment on "Guru Granth Sahib".
(Interruption) ਸਰਦਾਰ ਜਾਰਨੈਲ ਸਿੱਹ ਜੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋਏ ਪਹਲੇ ਤੱਤਕਾਲੀਨ ਅਪਨੀ ਬਾਤ ਕਹਨੇ ਦੀਜਿਏ।

ਸ਼੍ਰੀ ਭੂਪੈਨਦ੍ਰ ਸਿੱਹ ਹੁਡਾ: ਅਧਿਕਾਰ ਮਹੋਦਾਤ, ਜਾਰਨੈਲ ਸਿੱਹ ਜੀ ਅਪਨੀ ਭਾਵਨਾਏ ਪ੍ਰਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਏ। ਇਨਕੀ ਬਾਤ ਭੀ ਹਮਨੇ ਧਾਨ ਦੇ ਸੁਨੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸਭੀ ਮਾਨਸੀਅ ਸਾਦਸਥਾਂ ਦੇ ਵਿਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਯਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਯਾਂ ਦੇ ਜੁੜਾ ਹੁਆ ਹੈ ਇਸੇ ਧਾਨ ਦੇ ਸੁਨੀ। ਯਦਿ ਇਸ ਵਿ਷ਟ ਪਰ ਬੋਲਨਾ ਚਾਹਤੇ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਤੇ ਇਨਕੀ ਬਾਤੋਂ ਭੀ ਹਮ ਧਾਨਪੂਰਵ ਸੁਣੋਗੇ। (ਸ਼ੋਰ ਏਂਡ ਵਾਕਾ)

ਸਰਦਾਰ ਜਾਰਨੈਲ ਸਿੱਹ : ਅਧਿਕਾਰ ਮਹੋਦਾਤ, ਮੈਂ ਕਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਏਸ੦ਜੀ੦ਪੀ੦ਸੀ੦ ਬਨੀ ਹੈ, ਅਜ ਤਕ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤਰਫਾਂ ਯਾ ਜਿਨੇ ਵੀ ਏਸ੦ਜੀ੦ਪੀ੦ਸੀ੦ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਦਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਲੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਗੈਈਥਾਂ ਹਨ। (ਸ਼ੋਰ ਏਂਡ ਵਾਕਾ) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔ ਸਾਡੇ ਮਹਾਨ ਮਹਾਪੁਰੂਖਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾ ਹੈ, ਵਹ ਚਾਹੇ ਸੱਤ ਮਸ਼ਕੀਨ ਜੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਬਾਬਾ ਰਾਣਜੀਤ ਸਿੱਹ ਜੀ ਟੰਡਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਨਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬਹੁਤ ਥਾਂ ਆਂਡਾ ਰਿਹਾ, ਵੇਂਥਾਂ ਤੇ ਜਲਸੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਦੂਜੇ ਸੱਤ ਮਹਾਪੁਰੂਖ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਾਰੋਂ ਅਜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕਿਨ ਏਸ੦ਜੀ੦ਪੀ੦ਸੀ੦ ਵਲੋਂ ਕੈਫੇਝਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜ ਤਕ ਕਿਸੇ ਲੱਕੀਕੇ ਦਾ ਕੌਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੁਛ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਪੀਂਟੀ੦ਸੀ੦ ਨ੍ਯੂਜ ਚੈਨਲ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਗੁਰਵਾਣੀ ਦਾ ਸੀਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਪੀਂਟੀ੦ਸੀ੦ ਨ੍ਯੂਜ ਚੈਨਲ ਵਲੋਂ ਕਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਥਥ ਮਹੋਦਾਤ, ਮੈਂ ਇਕ ਗੱਲ ਦਸ ਦੌਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੀਂਟੀ੦ਸੀ੦ ਨ੍ਯੂਜ ਚੈਨਲ ਵੱਚ ਗੁਰਵਾਣੀ ਦਾ ਸੀਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਂਟੀ੦ਸੀ੦ ਨ੍ਯੂਜ ਚੈਨਲ ਵਲੋਂ ਗੁਰਵਾਣੀ ਦਾ ਸੀਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨਾਸ਼ ਕਿਤਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋਂਗ ਕਿਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੁਖਿਮੌਤੀ ਜੀ ਦੇ ਵਿਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰਿਯਾਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮਦੇਨਜਰ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਦਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਨਾਨੀ ਚਾਹਿਦੀ ਹੈ। (ਸ਼ੋਰ ਏਂਡ ਵਾਕਾ) ਮੈਂ ਵਿਧਕ ਨੂੰ ਦਸ ਦੌਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਿਧਾਂ ਕੋਟਾਂ ਤਾਂ ਲੇ ਲੇਂਦੇ ਹਨ, ਅਜ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰਨ੍ਹੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਆਨੀ

[सरदार जरनेल सिंह]

चाहिए हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से विनती करदां हों कि सिखों दे हित लई अलग गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनाई जाये। इन्हों शब्दां नाल मैं सभी माननीय सदस्यों का बहुत-बहुत धन्यवाद करदां हों। जय हिन्द ।

श्रीमती सुमिता सिंह : अध्यक्ष महोदय, विपक्ष हमारी भावनाएं नहीं समझ रहे हैं कि आज सिख भाई इस बिल को लेकर बड़े ही खुश हैं परन्तु विपक्ष हमें इस बात को लेकर खुश नहीं होने देना चाहते हैं। कृपया करके विपक्ष के माननीय सदस्यों से निवेदन करेंगी कि आप हमें इस बिल पर बोलने दीजिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कली राम : अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : कली राम जी, प्लीज अपनी जगह पर बैठ जाईये।

Shri Randeep Singh Surjewala: Speaker Sir, Kali Ram ji is continuing to interrupt the proceedings of the House in this fashion. (Interruption) why he should be allowed to continue to interrupt the proceedings of the House in this fashion?

श्री कली राम : अध्यक्ष महोदय....

Mr. Speaker : This is not the issue प्लीज आप बैठ जाईये।

श्रीमती सुमिता सिंह : अध्यक्ष महोदय, हरियाणा विधान सभा में विपक्षी पार्टी के पास एक भी सिख नहीं हैं। असी इत्थे 4 सिख बैठे ने। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कलीशम जी, प्लीज बैठ जाईये। You are making a mockery. आपने तो इसे भजाक बना दिया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती सुमिता सिंह : अध्यक्ष महोदय, हाउस के अन्दर जितने भी सिख भाई बैठे हैं चाहे वे सत्ता पक्ष के हैं या विपक्ष के हैं, उनको माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहिए। विपक्ष के साथी इस बिल के लिए भाननीय मुख्यमन्त्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा का धन्यवाद क्यों नहीं कर रहे हैं। स्पीकर सर, मैं सबसे पहले माननीय मुख्यमन्त्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा का धन्यवाद करना चाहती हूं।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर सर, मैं आपसे सादर निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार से विपक्ष के सदस्यों द्वारा चेयर की अवहेलना करना गलत है। विपक्ष के माननीय सदस्यों ने हरियाणा के सिखों को दिखा दिया है कि वह हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के विरोधी हैं। वे बिल का समर्थन करें या विरोध करें यह विपक्ष के सदस्यों का अधिकार है। इसमें सत्ता पक्ष के सदस्यों को कोई दिक्कत नहीं है। स्पीकर सर, जो माननीय सदस्य इसके पक्ष में है, क्या उनको अपनी बात कहने का अधिकार नहीं है? इस प्रकार से पहले एक सम्मानित सदस्य सरदार जरनेल सिंह जी बोल रहे थे और अब एक माननीय सदस्य बोल रही है। क्या इस प्रकार विपक्ष के सदस्य इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर व्यवधान डाल सकते हैं? मजाक उड़ा सकते हैं? रंगिंग कर्मेंट्री कर सकते हैं? अकाली दल व लोकदल के साथियों को शार्म आनी चाहिए।

Mr. Speaker: You want to speak further माननीय सदस्यगण एक सम्मानित सक्षमता बोल रही हैं कृपया आप ज्ञाग शांति से बैठिये। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती सुभिता सिंह (करनाल): स्पीकर सर, सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमन्त्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड़डा जी का हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का बिल सदन में पेश करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूं। हमारे सिख भाई कह रहे थे कि देर आए दुरुस्त आये। चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड़डा जी ने 10 साल पहले जो सिख भाइयों से बादा किया था वह आज पूरा कर दिया है। हरियाणा के गुरुद्वारों से जो दान-दक्षिणा आती थी वह पंजाब चली जाती थी। स्पीकर सर, मैं यह नहीं कहती कि पंजाब के भाई हमारे भाई नहीं हैं। बाजया साहब जी जो यहाँ बैठे हैं वह भी हमारे भाई हैं। सर, पंजाब के अन्दर भी हमारी रिश्तेदारी है और हरियाणा में भी सभी हमारे भाई हैं। हमारे हरियाणा के सिख भाई चाहते हैं कि हरियाणा के अन्दर जितने गुरुद्वारे हैं उनकी मैनेजरेंट वे रखयं करें। जितने फंड आयेंगे वह हरियाणा के गुरुद्वारों में ही लगायेंगे। गुरुद्वारों के फंड से मेडिकल कॉलेज और अन्य कई काम करवायेंगे। सर, करनाल में जो डेरा कार सेवा गुरुद्वारा है उसके साथ लगती जमीन जिसकी कई सालों से मांग को देखते हुये सारे सिख भाइयों को बढ़ाँ से भगा दिया। स्पीकर सर, अब हमारे सिक्ख भाई इकट्ठे होकर उसी उद्देश्य को लेकर भानीय मुख्यमन्त्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह जी हुड़डा के पास गये थे। माननीय मुख्यमन्त्री जी ने उसी समय आदेश दिया कि जो जमीन गुरुद्वारे के साथ लगती है वह जमीन गुरुद्वारे को दी जाये। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमन्त्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड़डा का आभार व्यक्त करती हूं। स्पीकर सर, इसी प्रकार से करनाल में निर्मल कुटिया है। निर्मल कुटिया के पास जो गुरुद्वारा है उसके अन्दर गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ होता है। सभी बिरादरी के भाई बढ़ां पर जाते हैं और मैं भी माथा टेकने के लिए यहाँ जाती हूं। सर, पहले मुख्यमन्त्री (चौधरी ओम प्रकाश चौटाला) जी ने निर्मल कुटिया की जमीन को एक्वाथर कर लिया था। इसी प्रकार फिर से करनाल के सिख भाई और दूसरे भाई सब मिलकर पहले मुख्यमन्त्री (चौधरी ओम प्रकाश चौटाला) जी के पास गए और उनसे जी से प्रार्थना की कि जो निर्मल कुटिया की जमीन एकवायर की है उसे छोड़ दिया जाये। इस पर ग्रतिक्रिया करते हुये चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने कहा कि यहाँ से भगा जाओ और इस के लिए दोबारा यहाँ भत आना और मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। स्पीकर सर, उसके बाद हमारी सरकार आई। हम सब सिख भाई इसी मुद्दे को लेकर माननीय मुख्यमन्त्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड़डा के पास गये और उनसे अनुरोध किया कि पिछली सरकार के समय में निर्मल कुटिया की जमीन को एकवायर कर लिया था उसको रिलीज करवाया जाये। मुख्यमन्त्री महोदय ने उसी समय निर्मल कुटिया की जमीन रिलीज कर दी। हमारे मुख्यमन्त्री सदा से ही सिखों की भलाई के लिए काम करते रहे हैं और हमें जारी करते रहेंगे। जो बिल इस सदन में लाया गया है मैं उसके फैवर में बोलने के लिए खड़ी हुई हूं। सर, मैं मेरे भराह जी से और सभी सदस्यों से अनुरोध करूंगी कि सारे सिख इकट्ठे होकर इस बिल को पास करें। धन्यवाद।

श्री प्रदीप चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से हमारे माननीय सदस्य श्री जरनैल सिंह जी जिन्होंने सिखों के बारे में अपनी भावनाएँ रखीं। सर, हम भी गुरु धर्म से जुड़े

[श्री प्रदीप बौधरी]

हुए हैं। जैसा कि इन्होंने नाड़ा साहब गुरुद्वारे की बात की। हमारे सिख भाई यहां पर बैठे हुए हैं। हम भी नाड़ा साहब गुरुद्वारे जाते रहते हैं। नाड़ा साहब गुरुद्वारे की एक शान है और उसकी एक सुन्दरता है। श्री जरनैल सिंह जी ने कहा कि उस गुरुद्वारे की बहुत ज्यादा दुर्बशा है। ये शायद वहां पर जाकर नहीं आये हैं इसलिए इनको अपने शब्द वापस लेने चाहिए।

सरदार जरनैल सिंह: स्पीकर सर, दो साल से उस गुरुद्वारे की हालत में सुधार हुआ है। (विचार)

श्री कृष्ण लाल कम्बोज (रानिया): स्पीकर सर, सिखों के बारे में बारें बहुत पुरानी हैं। वर्ष 1925 में जब एस०जी०पी०सी० बनी थी, उस समय बहुत से लोगों ने वहां पर शहादत दी थी। उसके बाद ही गुरुद्वारा साहिब की संभाल हुई। उसके बाद आप किसी भी शहर में देख लैं सभी के अन्दर सभी गुरुद्वारा साहिब बहुत सुन्दर हैं। बहुत बढ़िया बने हुए हैं। जबकि माननीय सदस्य सरदार जरनैल सिंह जी कह रहे थे कि सभी गुरुद्वारों की हालात खराब है। मैं इनकी बात से सहमत नहीं हूं क्योंकि आज गुरुद्वारा साहिब पंजाब में ही नहीं बल्कि हरिग्राणा में और हिमाचल प्रदेश में सभी जगह पर बहुत सुन्दर बने हुये हैं।

सरदार जरनैल सिंह: स्पीकर सर, हमारे इलाके में रतिया का गुरुद्वारा और गमाणा का गुरुद्वारा एस०जी०पी०सी० द्वारा नहीं बनाया गया बल्कि उस एरिया में जो गुरुद्वारे हैं वे सन्त महा पुरुषों द्वारा बनाये गये हैं। जबकि माननीय सदस्य गुरुद्वारों की बात कर रहे हैं। वहां के सारे गुरुद्वारे एस०जी०पी०सी० से बाहर हैं। हमारे इलाके के सारे गुरुद्वारे कार सेवा वालों ने बनाये हैं।

श्री कृष्ण लाल कम्बोज: स्पीकर सर, हम भी सिख धर्म के साथ जुड़े हुए हैं। हम भी गुरुद्वारा साहब की सेवा करते हैं। हम भी गुरुद्वारा साहिब सुबह और शाम जाते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है जो यह कह रहे हैं। आज जिस प्रकार से सारी सिख कौम के अन्दर प्यार है हम चाहते हैं कि वैसा ही प्यार इस कौम में आपस में बना रहे। बहुत-बहुत धर्म्यवाद।

श्री अध्यक्ष: कम्बोज जी, आप यह बतायें कि आप सिखों का समर्थन कर रहे हैं या नहीं ?

श्री कृष्ण लाल कम्बोज: स्पीकर सर, हम तो सदा से सिख धर्म का समर्थन करते रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि सिख धर्म ऐसे ही जुड़ा रहना चाहिए।

श्री अनिल विज (अम्बाला कैट): धर्म्यवाद स्पीकर सर, आपने मुझे इस बिल पर बोलने का समय दिया। स्पीकर सर, जिस तरीके से इस बिल को पेश किया गया है और इस बिल को पास कराने की कोशिश की जा रही है। मैं इस बारे में एक बात रखना चाहता हूं। स्पीकर सर, यह बिल एक महत्वपूर्ण कानून बनने जा रहा है। इसके साथ लोगों की भावनाएं भी जुड़ी हुई हैं। एक-एक शब्द जो इस बिल में लिखा गया है उसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। सर, यह बिल 3 बजकर 23 मिनट पर विधायकों के सामने प्रस्तुत किया गया था पेश किया गया और 4 बजकर 23 मिनट पर आपने पास करने के लिए मंत्री महोदय से उस पर चर्चा शुरू करवा दी। सर, एक घण्टे के अन्दर हम इसका अवलोकन कर सकते हैं और इसको एक घण्टे के अन्दर पढ़ सकते हैं। इसके साथ जो कानूनी पहलू जुड़े हुए हैं इतने कम समय में क्या उन पर हम बात कर सकते हैं? क्या हम इसकी धाराओं पर आपने ओब्जैक्शन दर्ज करवा सकते हैं? अध्यक्ष महोदय, ऐसी क्या

जल्दी हैं कि आज ही इस बिल को पास करना है। अध्यक्ष महोदय, पहले ही शोर्ट टर्म नोटिस पर सेशन बुलाया गया है। मैं बिल के प्रस्तुत करने के तरीके की बात कर रहा हूँ। अध्यक्ष महोदय, जब आपने पहला बिल पेश किया था तब भी मैंने यह बात रखी थी। अध्यक्ष महोदय, आप लोंगूनियर्सिटी का नाम भीमराघ अवैडकर के नाम पर रखने जा रहे हैं मेरा उसके लिए एतराज नहीं है (विध्वंश) लेकिन जिस ढंग से हरियाणा विधान सभा में ये विधायी कार्य किए जा रहे हैं मेरा एतराज उसके ऊपर है। हमें दो-दो या तीन-तीन दिन पहले बिल दिए जाते हैं और अनेकों बार उसके बाबजूद भी सिलैक्ट कमेटी को भेजे जाते हैं ताकि अच्छे तरीके से उन पर विचार किया जा सके। अध्यक्ष महोदय, आपने जो यह बिल पेश किया है इसकी अंग्रेजी की कापी अभी आई है और हिन्दी की कापी अभी भी नहीं आई है। मैं तो अंग्रेजी पढ़ सकता हूँ परन्तु सारे मैन्बर्ज अंग्रेजी पढ़ सकते हो इसमें भुझे संदेह है। (विध्वंश)

श्री अध्यक्ष : विज जी, आपको इसमें संदेह क्यों है ?

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मैं सदस्यों से पूछना चाहूँगा कि कितने सदस्यों ने यह सारा बिल पढ़ा है कृपया सारे मैन्बर्ज बताएं। (विध्वंश)

श्री अध्यक्ष : विज जी, हमारे भाननीय सदस्य कह रहे हैं कि हमने नहीं पढ़ा तो क्या हम बिना पढ़े ही बोल रहे हैं।

आचार्य : अध्यक्ष महोदय, हमने इस बिल को पढ़ा है।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मैं सभी सदस्यों से पूछना चाहूँगा कि क्या उनको पता है कि इसका हैडक्वार्टर कहां होगा और इसके कितने मैन्बर्ज होंगे। (विध्वंश)

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं अनिल विज जी को बताना चाहता हूँ कि हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का हैडक्वार्टर कुरुक्षेत्र में होगा और इसके 41 मैन्बर्ज होंगे। (विध्वंश)

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्यमन्त्री के मुख्यातिव होकर अपनी बात कहना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष : विज जी, आप मेरे से मुख्यातिव होकर अपनी बात कहें तथा सदस्यों को अंग्रेजी न आने की आपने जो बात कही उसको आप वापस लें।

श्री अनिल विज : ठीक है अध्यक्ष महोदय, मैं उस बात को वापस लेता हूँ। (विध्वंश) अध्यक्ष महोदय, मैं आपके भाध्यम से मुख्यमन्त्री जी से अपनी जानकारी के लिए यह जानना चाहता हूँ कि 11 तारीख को ही इस बिल का पास होना क्यों जरूरी है। क्या किसी पंडित से इसको पास करवाने का दिन निकलवाया गया है या यूपी० के किसी तांत्रिक से दिन निकलवाया गया है? क्या इस बिल पर सोमवार को चार्दी नहीं करवाई जा सकती? (विध्वंश)

श्री नरेश कुमार बादली : अध्यक्ष महोदय, मुझे पहले ही शक था लेकिन वह शक आज यकीन में बदल गया है कि माननीय संसद को टैस्टों की आवश्यकता है क्योंकि ये दिमागी संतुलन खो चुके हैं। अगर इनका दिमागी संतुलन ठीक है तो अवश्य ही इन्होंने कोई मादक पदार्थ लिया हुआ है इसलिए इनका टैस्ट करवाया जाए क्योंकि ये किसी की बात नहीं सुनते और बाहर उठ जाते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, कृपया आप नरेश शर्मा को बैठाएं।

श्री अध्यक्ष: नरेश जी, आप बैठिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज़: अध्यक्ष महोदय, इस बिल को प्रस्तुत करने से पहले जो चट्ठा साहब और सीनियर सुरजेवाला जी की अध्यक्षता में पृथक हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनाने के लिए जो कमेटी बनाई गई थी उस कमेटी की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जानी चाहिए ताकि सदन के सदस्य भी जान सकें कि उस कमेटी ने क्या खोज की है ताकि इस बिल पर पूरी जानकारी लेकर सभी सदस्य चर्चा करके यह बिल पास करते, ऐसे ही बिना चर्चा करे अंगूठा लगाकर यह बिल पास न करें। इस बिल के साथ हमारे सिख भाइयों की धार्मिक भावनाएं बहुत बड़े स्तर पर जुड़ी हुई हैं परंतु यह भी सच है कि आज हरियाणा प्रदेश का सिख समाज युरी तरह से विभाजित है और उनकी एक राय न होकर भिन्न-2 भूत हैं। आज कुछ लोग पृथक हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के बनाने के इक में हैं और कुछ लोग इसके विरोध में हैं।

कैप्टन अजय सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, विज साहब सदन में गलत व्याप्ति कर रहे हैं। इसके लिए जो एफीडेविट मांगे गये थे उनमें से एक भी एफीडेविट इसके विरोध में नहीं आया बल्कि सारे के सारे एफीडेविट इसके पक्ष में थे।

सरदार हरनौहिन्द्र सिंह चट्ठा: अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी बताया है कि तकरीबन 1.40 लाख एफीडेविट आये जो सारे इस कमेटी के पक्ष में थे यदि हरियाणा का कोई सिख भाई इसके विरोध में था तो वह भी एफीडेविट दे सकता था। पंजाब के सिख भाइयों का यदि हम एफीडेविट नहीं मानते तो हरियाणा में रहने वालों की बात हम जरुर रखते लेकिन किसी ने भी इसके विरोध में एक एफीडेविट भी नहीं दिया। हम भाननीय साथी विज साहब की बात कैसे मान लें कि आज प्रदेश के सिख भाई इस कमेटी को लेकर दो हिस्सों में बंटे हुए हैं। मैं विज साहब से अनुरोध करूंगा कि ये इस तरह से झूठ न बोलें कि झूठ ही अपने आप बोल पड़े।

श्री अनिल विज़: अध्यक्ष महोदय, मैं यही कह रहा था कि पृथक हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनाने के लिए जो कमेटी बनाई गई थी उसकी रिपोर्ट भी सदन में रखनी चाहिए। जहां तक चट्ठा साहब एफीडेविट्स की बाल कर रहे हैं उनके बारे में भी *** (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अनिल विज जी जो एफीडेविट्स के बारे में बात कर रहे हैं वह रिकार्ड न की जाये।

श्री अनिल विज़: अध्यक्ष महोदय, मैंने किसी भी माननीय साथी के बोलते बोलते बीच में टोका-टाकी नहीं की थह आपने भी देखा है इसलिए अब मेरे बोलते समय भी माननीय सदस्य व्यवधान न करें।

श्री अध्यक्ष: विज साहब, मैंने आपको देखा है कि आपने किसी के बीच में व्यवधान डाला था नहीं डाला। (हंसी)

श्री अनिल विज़: अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि आज हरियाणा प्रदेश का सिख समाज बंटा हुआ है और यह सिखों का धार्मिक गमला है इसलिए इनके धार्मिक भामले में राजनीति नहीं आनी चाहिए। केन्द्र में दरा साल तक जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी * * * जब उनके पास हमारे मुख्यमंत्री जी पृथक हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का समाज लेकर गये तब उन्होंने क्या जवाब दिया ? मैं हुड्डा साहब से जानना चाहता हूं उस समय इनको वहाँ से क्या जवाब मिला?

* चैयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

श्री अध्यक्षः विज साहब, धर्म में राजनीति नहीं आनी चाहिए। जो लोग इस सदन के सदस्य नहीं हैं उनका नाम विज साहब ने लिया है वह रिकार्ड न किया जाये।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: स्पीकर सर, मेरी इस बारे में उनसे कभी भी कोई बाल नहीं हुई है।

श्री अध्यक्षः विज साहब, आप कंटीन्यू करें।

श्री अनिल विजः स्पीकर सर, मैं इस बारे में यह कहना चाहता हूं कि इस एकट को विधान सभा में लाने से पहले सरकार को इस विषय के बारे में सिखों की शास्त्र लेनी चाहिए थी। जो पिछली बार एस०जी०पी०सी० का चुनाव हुआ। (विष्ण)

श्री अध्यक्षः विज साहब, यह आपको बताया तो गया है कि एथ०एस०जी०पी०सी० के हाफ में 1.40 लाख एफीडेविट्स आये हैं और विरोध में एक भी एफीडेविट प्राप्त नहीं हुआ है।

श्री अनिल विजः स्पीकर सर, वे सारे एफीडेविट्स * * * हैं। (विष्ण)

श्री अध्यक्षः * * * शब्द को रिकार्ड न किया जाये।

कैप्टन अजय सिंह थादवः स्पीकर सर, ये सभी एफीडेविट्स बकाथदा पेपर पर दिये गये हैं। इसके बाद कैथल में माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में एक भवा सिख सम्मेलन हुआ था। वहां पर माननीय मुख्यमंत्री की मौजूदगी में हजारों-लाखों सिखों ने इकड़े होकर अपने हाथ ऊपर उठाकर हरियाणा में अलग एस०जी०पी०सी० के गठन को अपनी स्वीकृति दी थी। इसके बावजूद भी श्री विज जी के द्वारा यहां पर यह कहना कि इस बारे में सिखों की राय नहीं ली गई है और सिख इस बारे में एकमत नहीं हैं ऐसा करकर ये सिर्फ हाऊस को बिसलीड कर रहे हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि सिखों की शाय के ऊपर ही हरियाणा में अलग एस०जी०पी०सी० का गठन किया जा रहा है। विज साहब केवल हाऊस को गुमराह कर रहे हैं। मैं विज साहब को यह कहना चाहता हूं कि ये यह बतायें कि ये इसके हक में हैं या इसके खिलाफ हैं।

Mr. Speaker: Mr. Vij, I am asking you to conclude it in one minute.

श्री अनिल विजः स्पीकर सर, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह सिखों का धार्मिक भागला है और कांग्रेस पार्टी ने सदा ही धर्म आधारित राजनीति की है।

श्री अध्यक्षः विज साहब, आप यह भी बतायें कि क्या आपकी पार्टी कभी राजनीति में धर्म लेकर नहीं आई है?

श्री अनिल विजः स्पीकर सर, * * *

श्री अध्यक्षः * * * को रिकार्ड न किया जाये।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, अभी विज साहब यहां पर चर्चा कर रहे थे। मैं इनके ज्ञान के लिए यहां पर यह बताना चाहता हूं कि पिछले सदन के समय में इस सदन के भारतीय जनता पार्टी के श्री नरेश भलिक और श्री राम कुमार गोतम सिर्फ दो ही सदस्य थे। जब

* चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

[श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा]

सरदार निर्मल सिंह जी इस सदन में प्राईवेट मैम्बर रैज्योल्ट्यूशन लेकर आये थे उस समय भारतीय जनता पार्टी के उन दो माननीय सदस्यों ने उस प्राईवेट मैम्बर रैज्योल्ट्यूशन का डटकर समर्थन किया था और आज ये भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्य इसका विरोध कर रहे हैं। इस बारे में विज साहब यह कह रहे हैं कि इस भागले में राजनीतिक दखल किसी प्रकार से नहीं हुआ है। कहना चाहता हूँ कि इस भागले में कोई भी राजनीतिक दखल किसी प्रकार से नहीं हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के पटल पर यह एशरेंस देना चाहता हूँ कि अगर कोई इस विषय का राजनीतिक फायदा उठाना चाहता है तो वे ये लोग उठाना चाहते हैं और जहां तक हमारा व हमारी पार्टी का सम्बंध है हम और हमारी पार्टी सिखों को गुरु घरों की सेवा का अधिकार देना चाहती है जो कि हम सभी का नैतिक धर्म है जिसे हमें हर हालत में निभाना है। हमने यह बादा किया था जिसके तहत हम अपना यह धर्म निभा रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान) हमारा इसमें दखल अंदाजी का कोई इरादा नहीं है। इसके लिए जो भी प्रबंधक कमेटी बनेंगी उसमें सिर्फ हरियाणा के सिख ही उसकी भेंटेजमेंट में होंगे। सारे का सारा प्रबंधन वे ही देखेंगे और उनका बकायदा चुनाव होगा। मैं विज साहब को यह कहना चाहता हूँ कि यह चुनाव न तो मैं लड़ सकता हूँ और न ही विज साहब इसका चुनाव लड़ सकते हैं। अगर विज साहब को इस बात पर एतराज है कि हरियाणा के सिख भाइयों को उनका अधिकार न मिले तो इसका मतलब तो यही है कि वे हरियाणा के सिखों की भावनाओं की कद्र नहीं करते। स्पीकर सर, मेरा सभी से अनुरोध है कि सभी हरियाणा के सिखों की धार्मिक भावनाओं की कद्र करें। मैं पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल और सरदार अवतार सिंह मवकड़ जी का सम्मान करता हूँ। मैं आपके माध्यम से उन से भी अनुरोध करना चाहता हूँ कि वे चाहे मेरी बात का भान-सम्मान रखें और चाहे न रखें लेकिन हरियाणा के सिखों की भावनाओं की कद्र तो उन्हें हर हाल में करनी ही आहिए। यहीं बात में विशेष दौर पर विज साहब से कहना चाहता हूँ कि उन्हें भी हरियाणा के सिख भाइयों की भावनाओं की कद्र करनी चाहिए उनका अधिकार उनको मिलने में इनको क्या-क्या एतराज हो सकता है। अध्यक्ष महोदय, ये यह भी कह रहे थे कि पिछली बार जो एस०जी०पी०सी० के मैम्बर थे वे इस बार के चुनावों में हार गये। यह इनकी बात सही है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि वे इसलिए चुनाव हारे क्योंकि पिछली बार लोगों को उनसे जो उम्मीदें थीं वह उन्होंने पूरी नहीं की। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker: Mr. Vij, why are you raising your voice? Please sit down. (Noise and interruption) कथा आप ऐसा करके हाऊस को धमकाने का काम कर रहे हैं? You are losing your balance for nothing.

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, यह एक कारण हो सकता है। लोग उनसे नाउमीब हो गये होंगे लेकिन उनकी जगह हमारे और सदस्य भी आ गये। अध्यक्ष महोदय, इसीलिए मैंने यह फैसला किया था कि हरियाणा के सिख भाइयों की भावनाओं की हर हाल में कद्र की जायेगी। इसके बाद पूरे हरियाणा के हजारों लाखों की संख्या में सिख भाई कैथल में इकट्ठे हुए और उन्होंने अपने हाथ खड़े करके उन्होंने पृथक एस०जी०पी०सी० की माँग की जिसका हम सभी ने समर्थन किया। मैं यह भी बताना चाहूँगा कि वहां पर किसी ने भी पृथक एस०जी०पी०सी० का विरोध नहीं किया।

श्री अनिल विज़: अध्यक्ष महोदय, * * *

Mr. Speaker: Noting is to be recorded. (Noise & Interruptions)

वाक आउट

श्री अनिल विज़: अध्यक्ष महोदय, इस बिल को पास किये जाने के विरोध में हम सदन से वॉक-आउट करते हैं।

(इस समय भारतीय जनता पार्टी के सदन में उपस्थित सभी सदस्य हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बिल पास किये जाने के विरोध में सदन से वॉक-आउट कर गये)।

विधान कार्य (पुनरारम्भ)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, अनेकों माननीय सदस्यों ने इस ऐतिहासिक दिल पर अपना-अपना पक्ष इस सदन के समक्ष रखा है। अध्यक्ष महोदय, 13 अप्रैल, 1699 की बड़ा ऐतिहासिक खालसा पंथ बना था उसके इतिहास में आज का 11 जुलाई, 2014 का दिन विशेष रूप से गिना जायेगा। अध्यक्ष महोदय, आज न केवल पूरे हरियाणा का सिख बल्कि मैं तो यह कहूँगा कि पूरे देश के सिख और पंजाबी भाई इस सदन की कार्यवाही को टकटकी लगाये देख रहे हैं। वे देख रहे हैं कि भिन्न-भिन्न सदस्यों तथा भिन्न-भिन्न राजनीतिक दलों को एक ऐसा मुद्दा मिला है जो कि राजनीति से ऊपर है। यह एक ऐसा मुद्दा है जो कि गुरुधरों की सेवा का है, यह एक ऐसा मुद्दा है जो कि सिखों के अधिकारों का है। हमारे सिख भाइयों ने बहुत शातनाएं और पीड़ाएं सही हैं उन्होंने बहुत धलिदान दिये हैं जिसका जिक्र भुजसे पहले बोलते हुए सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा जी करके गये हैं। इस कार्यवाही को आज हमारे पूरे देश व प्रदेश के सिख भाई टकटकी लगाये देख रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रामपाल माजरा: अध्यक्ष महोदय, * * *

Mr. Speaker: Nothing is to be recorded. (Noise & Interruptions)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, आज चाहे मेरे साथी रामपाल माजरा जी का राजनीतिक दल हो जो हरियाणा के सिखों के खिलाफ एक सियासी बड़यंत्र रच रहा है और उसी बड़यंत्र के तहत ये इस तरह से लगातार बोल रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के हमारे वे भिन्न जो इस बिल का बहिष्कार करके बहिर्भान करके चले गये उसके स्टैंड को और सभी पार्टीयों तथा सभी सदस्यों के स्टैंड को हमारे सिख भाई आज देख रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आज बड़ा खुल कर एक-एक सदस्य और एक-एक पार्टी का स्टैंड वर्तीयर हो कर आपके सामने आ गया है। हरियाणा में वर्खरी सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का समर्थक कौन है और विरोधी कौन है, आज इस सदन में भिन्न-भिन्न सदस्यों ने जो अपनी बात कही हैं उससे यह बात स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आ गई है। (शोर एवं व्यवधान)

वाक आउट

श्री रामपाल माजरा: अध्यक्ष महोदय, हमें सदन में इस बिल पर बोलने के लिए समय नहीं दिया जा रहा है इसलिए हम सदन से वॉक-आउट करते हैं।

* चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

(इस समय इंडियन नेशनल लोकदल के सदन में उपस्थित सभी सदस्य उनकी पार्टी के सदस्यों को उपरोक्त बिल पर बोलने के लिए समय न दिये जाने के विरोध में सदन से बॉक-आउट कर गये)

श्री अध्यक्ष: माजरा जी, आप यह तो बता दो कि आप इस बिल के हक में हो था खिलाफ हो !

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: स्पीकर सर, ये इस बिल के खिलाफ हैं इसलिए तो सदन से बाहर जा रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: माजरा जी, क्या आप इनके बकील बनकर आ गये हैं? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माजरा जी, आप सदन से बाक आउट कर गये हैं उसके बाद भी बोल रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: स्पीकर सर, माजरा जी, सदन से बाक आउट करने के बाद भी अपनी सीट पर खड़े होकर भाषण दे रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री नरेश कुमार बादली: स्पीकर सर, माजरा जी तो ऐसे तड़प रहे हैं जैसे इनका कमीशन बंद हो गया हो। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कोई बात नहीं उनको बोलने दो। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: स्पीकर सर, हमारे विपक्ष के साथियों की नीयत का तो उसी दिन पता चल गया था जब पिछले हाउस में सरदार निर्मल सिंह एक प्राइवेट मैम्बर बिल लेकर आए थे जिसमें यह मांग रखी गई थी कि हरियाणा में अलग से एसओजी०पी०सी० बननी चाहिए। उस दिन भी ये विपक्ष के माननीय सदस्य ऐसे ही बाक आउट करके सदन से बाहर बैठे थे। आज भी ऐसे ही कर रहे हैं। कभी हाउस के अन्दर आ रहे हैं और कभी बाहर जा रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष मोहद्दय, अब बहुत सारे माननीय सदस्य बहिर्भवन कर गये हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: ये बाहर कहां चले गये हैं ये तो अभी हाउस के अन्दर ही खड़े हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: सर, कुछ सदस्य बाहर चले गये हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: यह तो बाक आउट कर गये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रामधाल माजरा: सर, आप हमें बोलने तो देते नहीं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बोलने की जर्ती देते आपके सारे सदस्य तो बोले हैं। आपकी तरफ से अरोड़ा जी बोले हैं, प्रदीप चौधरी जी बोले हैं, कृष्ण लाल कन्दोज जी बोले हैं कौन नहीं बोले। (शोर एवं व्यवधान) और दी०जी०पी० की तरफ से श्री अनिल विज बोले हैं।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: स्पीकर सर, आप विषय के साथियों से पूछिये कि ये माननीय सदस्य हाउस के अन्दर हैं या बाहर हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रामपाल माजरा: स्पीकर सर, हम सदन के अन्दर हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: स्पीकर सर, अगर ये सदन के अन्दर हैं तो ये माननीय सदस्य अपनी सीट पर आकर अपनी बात करें, इनका स्वागत है। अध्यक्ष महोदय, I have started concluding now and you have permitted me to conclude. (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नहीं नहीं, बोलने में कोई पारंपरी नहीं है। आप अपनी सीट पर आकर बोलिए, बैठिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष, महोदय में आपकी अनुमति से सदन को यह कह रहा था कि 13 अप्रैल सन् 1699 को खालसा पंथ का गठन हुआ था। खालसा पंथ के इतिहास में आज की 11 तारीख एक ऐतिहासिक दिन के तौर पर हमेशा याद रखी जाएगी। आज पूरे हरियाणा का नहीं पूरे देश और विदेशों में रहने वाले हमारे सिख और पंजाबी भाई भी इस सदस्य की कार्यवाही पर टकटकी लगाए देख रहे हैं सिर्फ यह देखने के लिए कि जो समानित सदस्य और राजनीतिक दल हैं, हरियाणा के सिखों के अधिकारों के बारे में उभका क्या स्टैण्ड है? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला: स्पीकर सर, मेरा एक प्लायट ऑफ आर्डर है, क्या मंत्री जी रिप्लाई दे रहे हैं?

श्री अध्यक्ष: बिल्कुल रिप्लाई दे रहे हैं।

श्री अभय सिंह चौटाला: स्पीकर सर, अगर मंत्री जी रिप्लाई दे रहे हैं तो कोई बोलने का मतलब नहीं रह जाता।

श्री अध्यक्ष: मंत्री जी तो आपके आने से पहले ही रिप्लाई दे रहे हैं।

श्री अभय सिंह चौटाला: स्पीकर सर, आपने हमें खुद आश्वस्त किया था कि आप सदन के अन्दर आ जाओ आपको बोलने का समय दिया जायेगा। आप पहले हमें बोलने का मौका दीजिए, उसके बाद ही मंत्री जी रिप्लाई दे सकते हैं, ताकि पहले हम अपनी बात कह सकें।

श्री अध्यक्ष: जब आपके सदस्य सदन से बाहर आऊट कर गये थे उस समय मैंने मंत्री जी को कहा था कि आप अपना जवाब दीजिए।

श्री अभय सिंह चौटाला: स्पीकर सर, रिप्लाई तो बाद में दी जाती है इसके पहले आप हमें बोलने का मौका तो दो ताकि हम अपनी बात कह सकें।

Mr. Speaker: O. K., will allow one member to speak. हाँ जी, माजरा जी अब आप बोलिये। I will give you five minutes to speak. (Noise & Interruption)

श्री भारत भूषण बत्रा: स्पीकर सर, आपसे रिक्वेस्ट है कि दो मिनट भूषण भी बोलने के लिए समय दिया जाए? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माजरा जी, आपको बोलने के लिए पांच मिनट का समय दिया जाता है। बत्रा जी आपको भी बोलने के लिए समय अवश्य दिया जाएगा।

श्री रामपाल माजरा: स्पीकर सर, कृपया एक थार फिर से बतायें कि आप भुजो बोलने के लिए कितना समय देंगे?

श्री अध्यक्ष: माजरा जी, आपको बोलने के लिए पांच मिनट का समय दिया जाता है।

श्री रामपाल माजरा: स्पीकर सर, केखल 5 मिनट? (विष्णु)

श्री अभय सिंह घौटाला: माजरा जी, आप बोलना तो शुरू करो, स्पीकर साहब अपने आप सेट कर देंगे।

विधान कार्य (पुनरारम्भण)

श्री रामपाल माजरा: स्पीकर सर, हरियाणा के लिए अलग गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से संबंधित बिल आनन्द-फानन में लाया गया बिल है। भाजपा के माननीय सदस्य श्री अनिल विज जी ने भी यही बास कही थी कि यह बिल बहुत जल्दी में लाया गया है। यह इतना बड़ा बिल है कि इसे पढ़ने में भी काफी समय लग जायेगा। इसके अतिरिक्त संबंधित बिल में कई इस तरह की बातें हैं जो पूरी तरह से कलीयर नहीं होती हैं। एस०जी०पी०सी० का चुनाव गुरुद्वारा कमीशन द्वारा सेंट्रल एकट के भुताविक करवाया जाता है। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का चुनाव कौन करवायेगा ऐ सारी बातें इस बिल में पूरी तरह से कलीयर की जानी चाहिए थी, जोकि नहीं की गई है? इस बिल में यह प्रावधान किया गया है कि जब तक एच०एस०जी०पी०सी० का चुनाव नहीं होता है तब तक 41 मेम्बर्ज की एक एडहॉक कमेटी बनेगी। इस एडहॉक कमेटी के कौन मेम्बर्ज होंगे या कैसे होंगे, इस बारे में भी इस बिल में थिल्कुल भी कलीयर नहीं किया गया है और न ही इस संबंध में कहीं पर कोई चर्चा की गई है। स्पीकर सर, पंजाब रि-आर्गेनाईजेशन एकट 1906 के सैक्षण 72 के अधीन जो मामले हैं उनमें साफ तौर से वर्णित किया गया है कि इस एकट की सैक्षण 96 और 97 के तहत ऐसे मामले राष्ट्रपति की एप्पूल के लिए भेजे जाते हैं और राष्ट्रपति जी की कंसेंट ली जाती है, उसके बाद वह बिल पास होता है। हरियाणा के लिए अलग से एच०एस०जी०पी०सी० बनाने के लिए वर्ष 2007 में आदरणीय चड्हा साहब की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी। जैसाकि अभी इहोंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला वर्ष 2008 में आ गया था लेकिन चद्हा साहब की कमेटी ने 6 साल तक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अपने कोई कर्मेट नहीं दिये? वास्तव में ऐसा करने के लिए आत्मा तो चड्हा साहब की भी नहीं भानती थी क्योंकि थे स्वयं में कानून के अच्छे जाता थीं। चड्हा साहब खुद एक विद्वान वकील भी रहे हैं इसलिए वे इस बात को भली-भांति जानते और मानते थे कि वे इस काम को नहीं कर सकते। Their conscious was not allowing them. उनकी स्वयं की आत्मा भी इस काम को करने के लिए नहीं मान रही थी। इसके बाद इनके उपर एक सब-कमेटी और इन दी गई। (शोर एवं व्यवधान)

श्री नरेश कुमार बादली: स्पीकर सर, माजरा जी ने क्या चड्हा साहब की आत्मा को थर्मसीटर लगाकर जांचा है क्या? (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker: Naresh ji, don't interrupt. (Noise & Interruption) आप प्लीज बेठिये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रामपाल माजरा: स्पीकर सर, यह सब कमेटी श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला के नेतृत्व में बनाई गई थी। इस कमेटी की बहुत जल्दी रिपोर्ट तैयार करवा दी गई और चाहा साहब की अध्यक्षता वाली कमेटी से यह कहा गया कि आप भी हमारे साथ शामिल हो जाएं और अपनी रिपोर्ट में यह विद्या दें कि हरियाणा की अलग से गुरुद्वारा प्रबंधक बन सकती है। वास्तव में कुछ इस प्रकार के रूलज एंड रेगुलेशंज हैं जो यह बिल्कुल भी प्रभिट नहीं करते हैं कि हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनाने संबंधी सभी प्रकार की औपचारिकतायें केवल हरियाणा विधान सभा में ही बिल पास करके ही पूरी कर दी जायेगी। इस तरह की कार्यवाही राष्ट्रपति के पास जाकर ही पूरी होती है। पंजाब रिआर्गेनाईजेशन एकट, 1966 के सैक्षण 72 के अधीन जो मामले हैं और इस एकट की सैक्षण 96 और 97 के जो संदर्भ हैं वह सारे के सारे इस बात को भली-भांति कलीयर कर रहे हैं।

Section 72 sub-section (1) clearly says that—

'Save as otherwise expressly provided by the foregoing provisions of this Part, where any body corporate constituted under a Central Act, State Act or Provincial Act or Provincial Act for the existing State of Punjab or any part thereof serves the needs of the successor States or has, by virtue of the provisions of Part II, become an inter-State body corporate, then, the body corporate shall, on and from the appointed day, continue to function and operate in those areas in respect of which it was functioning and operating immediately before that day,.....'

सर, इसी प्रकार से इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ही.....(विध्वं)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माजरा जी को कहना चाहता हूँ कि वे इस एकट को जब पढ़ने लग ही गये हैं तो इसे अधूरा नहीं पढ़ना चाहिए। (विध्वं)

श्री रामपाल माजरा: स्पीकर सर, मैं मंत्री जी को बताना चाहता हूँ कि पढ़ तो मैं इसे पूरा देता परन्तु अब जबकि मंत्री जी जब इसके बारे में बतायेंगे तो मैं समझता हूँ कि वे स्वयं इसको पढ़कर बता ही देंगे, इसी बजह से मैंने इसको पूरा पढ़कर नहीं सुनाया है। (विध्वं)

श्री अध्यक्ष: मिस्टर मिनिस्टर, जब आप इस संबंध में रिप्लाई देंगे तो इस एकट को पढ़ देना।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: ठीक है, सर।

श्री रामपाल माजरा: स्पीकर सर, सैक्षण 72 का सब-सैक्षण 4 भी यही कहता है कि—

'For the purpose of giving effect to the provisions of this section in so far as it relates to the Punjab University....'

जब पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का बाईफरकेशन किया गया था तो भी उसकी कंसैट प्रेजीडेंट ऑफ इंडिया से ली गई थी। इसी प्रकार से Section 96 says that—

'If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the Persident may, by order, do anything not inconsistent with such provisions which appear to him to be necessary or expedient for the

[ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਪਾਲ ਮਾਜਰਾ]

purpose or removing the difficulty. Section 97 sub-section (1) says—
 ‘The Central Government may, by notification in the Official Gazette,
 make rules to give effect to the provisions of this Act.’

ਸਪੀਕਰ ਸਾਰ, ਏਸ਼ੋਜ਼ੀਓਪੀਓਸੀਓ ਕਾ ਚੁਨਾਵ ਤਥਾ ਸਾਬ ਡੌਡੋਕਸ਼ਾਜ ਸੰਟ੍ਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੇ ਏਕਟ ਕੇ ਸੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਹੋਤੇ ਹੋਣ ਵਿਖੇ ਇਸਲਿਏ ਐਸੀ ਸਿਥਤਿ ਮੈਂ ਇਸ ਬਿਲ ਕੋ ਪਾਸ ਕਰਵਾਨੇ ਕਾ ਏਕਸਾਤ ਮਕਸਦ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਯਹੀ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖਿਥੇ ਹਮਨੇ ਤੋਂ ਬਿਲ ਬਣਾ ਦਿਯਾ ਥਾ, ਆਗੇ ਨਹੀਂ ਚਲ ਪਾਯਾ ਤੋਂ ਹਮ ਕਥਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਣ। ਇਸ ਬਾਤ ਸੇ ਯਹ ਸਾਫ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਸਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਆਯਾਦੀ ਕੇ ਲਿਏ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਕੰਡ੍ਰੋਬੂਟ ਕਿਯਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਕੇ ਲਿਏ ਬਲਿਦਾਨ ਦਿਯੇ, ਉਨ ਪਰ ਆਜ ਭਿਕਾਇਡ ਏਂਡ ਰਲੀ ਕੀ ਪੱਲਿਸ਼ੀ ਅਧਨਾਨੇ ਕੀ ਕੋਝਿਆ ਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸਲਿਏ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਲੈਕ਼ਸ਼ਨ ਕੇ ਮੌਕੇ ਪਰ ਅਲਗ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਦ੍ਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਨੇ ਕਾ ਯਹ ਫੇਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਕੇ ਸਾਧਯਮ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਸੇ ਪ੍ਰਛੁਨਾ ਚਾਹਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਥਾ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਮੈਂ ਯਹ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿਲ ਕੋ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਮੂਲ ਗਈ ਥੀ ? ਅਵਾ ਚੁਨਾਵ ਕਾ ਸਮਾਂ ਨਾਂਦੀਕ ਆਥਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂਨੇ ਯਹ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਕਰੰਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕੇ ਕਹੀਂ ਪਰ ਭੀ ਪਾਂਚ ਨਹੀਂ ਜਮ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਇਸਲਿਏ ਯਹ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿਲ ਕੋ ਸਦਨ ਮੈਂ ਲੋਕਰ ਆਈ ਹੈ, ਅਗਰ ਕਿਸੀ ਕਾਖਣਾ ਵਿਖੇ ਇਸ ਏਕਟ ਕੋ ਮਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸੋਂ ਮੰਜੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਤੀ ਹੈ ਤੋ ਸਰਕਾਰ ਯਹ ਕਹ ਦੇਗੀ ਕਿ ਹਮਨੇ ਤੋਂ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਯਾ ਥਾ ਲੋਕਿਨ ਆਗੇ ਉਸਕੀ ਮੰਜੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੋ ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਖੇ ਕਥਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਣ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੇ ਏਸ਼ੋਜ਼ੀਓਪੀਓਸੀਓ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਦ੍ਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦੋ ਸੋਰਮੈਨਟ ਬਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ। ਸੀਰੀ-ਪੀਰੀ ਮੈਡਿਕਲ ਕੌਲੇਜ ਕੋ ਏਸ਼ੋਜ਼ੀਓਸੀਓ ਦੇਨੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਿਆ ਦਿਕਕਤ ਥੀ ? ਵਹਾਂ ਪਰ 32 ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਹੈ, ਅਗਰ ਯਹ ਕੌਲੇਜ ਬਨ ਜਾਤਾ ਤੋ ਸਟੇਟ ਕੇ ਛਾਤ੍ਰ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਸਟੇਟ ਕੋ ਫਾਥਦਾ ਹੋਤਾ। ਉਸ ਕੌਲੇਜ ਕੀ ਬਨਾਨੇ ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਪੈਸ਼ਾ ਲਗਾ ਹੁਆ ਹੈ। (ਸ਼ੋਰ ਏਂਡ ਵਾਹਿਗੁਰੂ)

Mr. Speaker: No, running commentary, ਇਨਕੇ ਆੱਡੋਜ਼ੇਕਸ਼ਨ ਯਹ ਹੈ ਕਿ ਸੀਰੀ-ਪੀਰੀ ਮੈਡਿਕਲ ਕੌਲੇਜ ਹੈ, ਇਸਕੇ ਲਿਏ ਪੰਜਾਬ ਮੈਂ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਟ੍ਰਸਟ ਬਨਾ ਹੁਆ ਹੈ, ਕਿਥਾ ਇਹ ਕਾਈ ਮੈਂ ਮਾਜਰਾ ਜੀ ਆਪਕੇ ਕੁਛ ਪਤਾ ਹੈ ? (ਸ਼ੋਰ ਏਂਡ ਵਾਹਿਗੁਰੂ)

ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਰਤ ਭੂ਷ਣ ਬਤਰਾ: ਅਧਿਕ ਮਹੌਦੀ, ਇਨਕਾ ਮਤਲਥ ਯਹ ਹੁਆ ਕਿ ਏਸ਼ੋਜ਼ੀਓਪੀਓਸੀਓ ਔਰ ਲੋਕਾਦਲ ਦੋਨੋਂ ਏਕ ਥੀ ਹੈ। Why they are defending SGPC? ਜਿਥੇ ਵਹਾਂ ਪਰ ਸਾਰੇ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਏਕ ਬੱਡੀ ਬਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਿ-਑ਗੰਨਾਇਜ਼ੇਸ਼ਨ ਏਕਟ, 1966 ਕੀ ਸੈਕਵਾਨ 72 ਕੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਪੱਧਰ ਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾਨਸੀਧ ਤਿਪਕ਼ ਕੇ ਸਦਸਥੀਂ ਨੇ ਇਸ ਏਕਟ ਕੇ ਪਰਿਫੇਸ ਕੀ ਤੋਂ ਪਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਨਸੀਧ ਸੁਰਖਿਮੰਤੀ ਜੀ ਨੇ ਪਰਿਫੇਸ ਪੇਸ਼ ਕਿਯਾ ਹੈ। ਉਸਕੋ ਆਪ ਧਾਨ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਕਿ ਉਸਕੇ ਅਨੱਦਰ ਕਥਾ ਲਿਖਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਥਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾ ਹੈ ? According to Section 72 of the Punjab Re-organization Act, 1966 our State is competent to make any legislation. ਅਗਰ ਏਸ਼ੋਜ਼ੀਓਪੀਓਸੀਓ ਕੀ ਇਸ ਕਾਰੇ ਮੈਂ ਏਤਰਾਜ ਹੈ ਤੋ ਵਹ ਇਸ ਏਕਟ ਕੋ ਕੋਰਟ ਮੈਂ ਚੈਲੇਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵਿਪਕ਼ ਕੇ ਸਦਸਥ ਕਥਾ ਏਸ਼ੋਜ਼ੀਓਪੀਓਸੀਓ ਕੇ ਠੋਕੇਦਾਰ ਹੈਂ? ਵਿਪਕ਼ ਕੇ ਸਾਥੀ ਸਿੱਖਾਂ ਕੇ ਹਿਤਾਂ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। It is everybody to say, it is also Congress Party's Leaders to say and it is other persons also to say that ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਕੇ ਹਿਤ ਮੈਂ ਕਿਥਾ ਹੈ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਕੇ ਹਿਤ ਮੈਂ ਕਿਥਾ ਹੈ ? You are just playing a part here as a representative of SGPC nothing more.

ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਨ ਸਿੱਘ ਚੌਟਾਲਾ: ਅਧਿਕ ਮਹੌਦੀ, ਮੇਰਾ ਪੋਧੋਂਟ ਑ਫ ਑ਰਡਰ ਹੈ।

श्री अध्यक्ष: आप किस पॉयंट ऑफ ऑर्डर पर बोलना चाह रहे हैं because your speaker Shri Majra Ji on his legs. श्री माजरा जी की बात पर आपका कथा पॉयंट ऑफ ऑर्डर है?

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, मेरा पॉयंट ऑफ ऑर्डर श्री बतरा जी ने जो कहा है उसके बारे में है।

श्री अध्यक्ष: ठीक है आप बोलिये।

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, बतरा साहब ने बोलते हुए लोकदल के बारे में कुछ कहा है। इस बात पर चट्ठा साहब जी पहले ही विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। चट्ठा साहब ने यह कहा था कि जो मीरी-पीरी मेडिकल कॉलेज है, उसको एन०ओ०सी० हमारी सरकार ने इसलिए नहीं दी थी क्योंकि यह संस्था किसी एक विशेष फैमिली का ट्रस्ट है जब हमारी पार्टी ने चट्ठा साहब से यह पूछा था कि इस ट्रस्ट के कौन-कौन मैम्बर हैं? अध्यक्ष महोदय, आपने भी चट्ठा साहब से यह पूछा कि उस संस्था के कौन-कौन मैम्बर हैं, कोई भी आदमी गवर्नरेंट के पास किसी संस्था के लिए लाइसेंस या एन०ओ०सी० लेने के लिए जाता है तो वह उस संस्था के बारे में पूरे कामजात जमा करता है जिनमें विस्तार से लिखा होता है कि उस ट्रस्ट के कौन-कौन मैम्बर हैं?

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि चट्ठा साहब जो कह रहे थे वह एज ए सिंख ऑफ हरियाणा कह रहे थे He was not talking about on behalf of the Government of Haryana. It should be clarified.

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय बतरा जी भी इसी बात पर जोर दे रहे थे कि इस ट्रस्ट के सदस्य कौन-कौन हैं? मैं आपके माध्यम से सरकार से एक बात पूछना चाहता हूँ कि जब सरकार के पास मीरी-पीरी मेडिकल कॉलेज के लिए एन०ओ०सी० लेने के लिए एप्लाई किया गया तो उस संस्था के कागजात में यह जरूर लिखा होगा कि इस ट्रस्ट के मैम्बर्ज कौन-कौन हैं? उसके डायरेक्टर कौन है? चट्ठा साहब एक अच्छे वकील हैं और वित्त मंत्री भी हैं जब एन०ओ०सी० के लिए इनके पास फाईल आई होगी तो इन्होंने उस फाईल को जरूरी पढ़ा होगा और इस ट्रस्ट के सारे कागजात पढ़े होंगे। जिनमें साफ लिखा होगा कि इस ट्रस्ट के कौन-कौन मैम्बर्ज हैं? चट्ठा साहब या दूसरे मैम्बर्ज यह बात कहकर सदन को गुमराह भ करे कि वह ट्रस्ट किसी एक परिवार की ट्रस्ट है। (शोध एवं व्यवधान) यही बात तो माननीय सदस्य बतरा जी ने भी कही है कि लोकदल और एस०जी०पी०सी० दोनों एक ही हैं।

सरदार हरभोहिन्द्र सिंह चट्ठा: अध्यक्ष भहोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि ये करते कुछ और हैं और कहते कुछ और हैं।

श्री अध्यक्ष: चट्ठा साहब आपको भी बोलने का भौका दिया जायेगा Let him complete.

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, यह बात चट्ठा साहब ने कही थी इसलिए आपके माध्यम से चट्ठा साहब को बताना चाहता हूँ कि इन्हें इस किस्म की बात कहकर हाउस की गुमराह नहीं करना आहिए। वे स्टीफर के पद पर भी रहे हैं, वहाँ पर बैठकर उन्होंने काफी कुछ देखा है। इसलिए मैं उम्मीद करूँगा कि उनको अगर दीबारा भौका मिलता है वे हाउस में सही बतायेंगे।

श्री अध्यक्ष: चट्ठा साहब आप कुछ बोलना चाह रहे हो।

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चड्हा: अध्यक्ष महोदय, गवर्नरमेंट के साथ उस ट्रस्ट की क्या बात हुई या क्या नहीं हुई that is a different matter मुझे एक सिख होने के नाते इस गल ते बहुत दुःख है.....

श्री अध्यक्ष: कृपया आप बीच में रनिंग कर्मेंटी न करें।

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चड्हा: स्पीकर सर, इस बात का मुझे दुख है कि हरियाणा के सिखों में से कोई भी सदस्य एस०जी०पी०सी० ट्रस्ट का मैम्बर नहीं बना है। यदि इस ट्रस्ट का कोई सदस्य बना है तो वह इनेलो पार्टी के मुखिया का रिस्टेदर है। हम भी यह चाहते हैं कि हरियाणा के सिखों को भी पता चले कि भीरी-पीरी ट्रस्ट के लिए 32 एकड़ जमीन दी गई है। 45 एकड़ जमीन पर सिख भाइयों ने कल्जा नहीं होने दिया। इसलिए यह हमारा पूछने का अधिकार है कि उस ट्रस्ट के मैम्बर कौन-कौन हैं? मेरे काबिल दोस्त ने सैक्षण-72 का जिक्र किया है। मैं उसके बारे में सदन को बताना चाहता हूँ कि इसमें 14 अमेंडमेंट पहले ही आ चुकी हैं। But it has never been challenged हरियाणा सरकार ने सैक्षण-72 को मध्य नजर रखते हुए और माननीय सुनील कोर्ट की लेटेस्ट जजमैट जो कश्मीर सिंह के केस में आई है उसको ध्यान में रखते हुए अगर एक कमेटी बना दी है तो इसमें जुर्म क्या किया है? यह अजीब बात है कि विपक्ष वाले यह नहीं चाहते कि हरियाणा में अलग से हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बने। विपक्ष के सदस्य कहते हैं कि बादल के लड्डके ने इनेलो पार्टी से जो बात की है कि एक कमेटी बना देते हैं उस कमेटी में हरियाणा और पंजाब के सिख सदस्य होंगे। हमारी सरकार उनके इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करती है। स्पीकर सर, इसके अलावा बिहार में तख्त श्री पटना साहिब और भहाराष्ट्र में तख्त श्री हूजुर साहिब काफी पहले से अस्तित्व में हैं, जिनकी अलग प्रबंधन कमेटियां हैं। इसमें कोई धर्म बांटने की बात नहीं हुई है। यित्ती का सिख सिख ही है। यदि हरियाणा अपनी अलग गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बना लेता है तो विपक्ष के साथियों को परेशानी किस बात की है। स्पीकर सर, यह बात मेरी समझ में नहीं आती है। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री रामपाल भाजरा जी आप एक मिनट में अपने विचार व्यक्त करें।

श्री रामपाल भाजरा : स्पीकर सर, सिखों के घाव इस बिल के पास करने से नहीं भरे जायेंगे।

Speaker: Ram Pal Ji, you are not speaking on the Bill. Nothing is to be recorded. He is not speaking on the Bill. Not to be recorded.

श्री रामपाल भाजरा: स्पीकर सर * * *

श्री अध्यक्ष: राम पाल भाजरा जी आपने बिल पर बोलने के लिए इजाजत मांगी थी लेकिन आप बिल के मुद्दे को छोड़कर दूसरे भूमि पर चले जाते हैं। प्लीज आप बैठ जाइये। रामपाल जी आप इस हाउस के सीनियर मैम्बर हैं। मैं आपको छः बार कह चुका हूँ कि आप बैठ जाइये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रामपाल भाजरा: स्पीकर सर, यह बिल लोगों की भावना * * *

* चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, मैं तीसरी बार आपकी अनुमति से इस विधेयक पर जवाब देने के लिए उठा हूँ। दो बार तो मेरे माननीय साथी ने व्यवधान डाल कर पूरी बात कहने नहीं दी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रामपाल माजरा: स्पीकर सर, 2500 की जन सभा थी.....

Mr. Speaker: I am not to do head count. कितने की थी मुझे क्या लेना। Nothing is to be recorded.

श्री रामपाल माजरा: स्पीकर सर.....

श्री अध्यक्ष: राम पाल माजरा जी आप इस विधेयक के हक में है या खिलाफ है।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: सर, इनेलो पार्टी के सदस्यों ने कह दिया कि वे हरियाणा सिंख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनाने के खिलाफ हैं।

श्री अध्यक्ष: राम पाल माजरा जी आप अपनी पोजिशन तो साफ कर दें कि आप इस कानून के हक में हैं या नहीं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: सर, इनेलो पार्टी के लोग कहते हैं कि कानून वापस लौ। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रामपाल माजरा: स्पीकर सर.....

Mr. Speaker: Thank you very much राम पाल माजरा जी प्लीज आप थैठ जाइये। आप एक सीनियर मैम्बर हैं। This is the tenth time. I am requesting you. Please sit down. (शोर एवं व्यवधान) हाँ आप बिल पर बोलिये। यदि आप बिल से हटकर बोलेंगे तो आपको इजाजत नहीं मिलेगी।

श्री रामपाल माजरा: स्पीकर सर, मैं यह कह रहा हूँ कि यह बिल सिख भाइयों को बांटने वाला बिल है। जिसमें यह साफ जाहिर होता है कि सिखों की धार्मिक भावना के साथ खिलवाड़ करके सिर्फ बोट हथियाने के लिए सरकार यह बिल लेकर आई है। सर, इस बिल की कोई और थिंकिंग नहीं है, कोई इसकी वैलिडिटी नहीं है और न ही यह बिल आम जन मानस से कोई अपीलकर्ता है। स्पीकर सर, इस बिल को वापस लिया जाए। क्योंकि यह सिखों की भावना के खिलाफ है और यह devide and rule की पॉलिसी पर आधारित है और यह सिखों को बांटने की पॉलिशी है। उस बिल को केवल भात्र यहां पर पास करके यह सरकार सिखों को यह जलाना चाहती है कि हम सिखों के कितने वैलिशर हैं। इसलिए मेरा अनुरोध है कि इस बिल को वापस लिया जाए।

Mr. Speaker: Now, Minister will reply.

श्रीमती गीता भुक्कल: स्पीकर सर, जब हम पंजाब से पानी मांगते हैं तो ये विपक्षी माननीय सदस्य उसकी खिलाफत करते हैं। जब सिखों के हक की बात करते हैं तो ये भी उसकी खिलाफत करते हैं। जब हम हरियाणा के हिस्से का पानी पंजाब से मांगते हैं तो ये माननीय सदस्य पंजाब सरकार का पक्ष लेते हैं। आहे वहां का पानी बर्बाद होकर पाकिस्तान में चला जाए। पंजाब हरियाणा को आपना छोटा भाई कहता है लेकिन हमारे हिस्से का पानी नहीं देता। विपक्ष के साथियों का इस बारे में कोई क्लीयर स्टैंड नहीं है।

श्री अशोक कुमार अरोड़ा: स्पीकर सर, पानी लेने से किसने रोका ! कैटन अमरिंद्र के कहने पर श्रीमती सोनिया गांधी और प्रधान मंत्री जी ने पानी लेने से रोका !

श्रीमती गीता भुवकल (मातपेहल) : स्पीकर सर, हरियाणा 1966 में बना था और जब भी हरियाणा के हक की कोई बात आती है तो अरोड़ा जी की पार्टी के सदस्य हमेशा पंजाब सरकार का पक्ष लेकर खड़े होते हैं। (विच्छ.)

Mr. Speaker: Let the minister reply.

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: स्पीकर सर, मैं आपका और पूरे सदन का धन्यवादी हूं कि जब आपने मुझे इस बिल पर रिप्लाई देने के लिए निर्देश दिए तो मेरे विषय के भित्रों ने पांच या छः बार व्यवधान डालने के बाद अब मुझे इस बिल का रिप्लाई देने का अवसर दिया है। भिन्न-भिन्न सदस्यों ने इस बिल के बारे में अपने विचार रखे। अध्यक्ष महोदय, चौथरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस पार्टी की सरकार हरियाणा में अलग सिव्ह गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का यह कानून कर्त्ता लेकर आई यह एक मूलभूत प्रश्न है।

बैठक का समय बढ़ाना

Mr. Speaker: Is it the sense of the House that the time of the sitting of the House be extended till the business is finished?

Votes: Yes, Yes.

Mr. Speaker: The time of the sitting of the House is extended till the business is finished.

विधान कार्य (पुनरारम्भण)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: स्पीकर सर, 13 अप्रैल, 1969 से आज तक जो खालसा पंथ का एक स्वर्णिम इतिहास रहा है उसमें आज 11 जुलाई, 2014 का यह दिन एक विशेष दृष्टि से हमेशा स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जायेगा।

श्री कलीराम: स्पीकर सर,* * * *

श्री अध्यक्ष: कलीराम जी जो कह रहे हैं उनकी कोई बात रिकार्ड न की जाए ! कलीराम जी, आप बैठ जाईये आप अभी एक बार और खड़े हो गये तो I will take action against you. I am warning you now.

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: स्पीकर सर, अगर मेरे मित्र यह निर्णय करके आये हैं कि इन्होंने इस ऐतिहासिक स्वर्णिम दिन पर व्यवधान डालना है तो वह अलग बात है। मैं तो सादर उनको धन्यवाद देकर खड़ा हुआ था। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा के सिख क्या चाहते हैं? हरियाणा के सिख गुरु धरों की सेवा का अधिकार चाहते हैं, हरियाणा के सिख सम्पत्ति नहीं चाहते, हरियाणा के सिख रुपया पैसा नहीं चाहते, हरियाणा के सिखों को जो सेवा धरों के गुलक से आने वाला पैसा है उससे भी प्रेम नहीं है। हरियाणा का सिख स्वाभिमान चाहता है। हरियाणा का सिख खुद निर्णय करने का अधिकार चाहता है। हरियाणा का सिख यह चाहता है

* चैयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

कि वह अपने मामलों का खुद भूषितभार बने। जैसा कि आदरणीय चह्वा साहब ने और जैसा कि आदरणीय चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी ने कहा कि हरियाणा के सिख की केवल एक आकांक्षा है कि वह गुरु धरों की सेवा का अधिकार और गुरु धरों संचालन का अधिकार और गुरु धरों को 'सर्वराम्भति' से सारी संगत के साथ मिलकर उनको और ज्यादा सज्जाने और बढ़ाने का अधिकार, धर्म की शिक्षा के प्रचार और प्रसार का अधिकार प्राप्त कर सके। हरियाणा का सिख चाहता है कि जो संगत का आने वाला पैसा है उस पैसे से शिक्षण संस्थानों को और आगे बढ़ाने का अधिकार, पंजाब की तर्ज पर डिग्री कालेज खोलने का अधिकार, पंजाब की तर्ज पर नीरिंग कालेज खोलने का अधिकार, पंजाब की तर्ज पर सेवा धरों में और ज्यादा शिक्षण संस्थान खोलने का अधिकार, डैंटल और मैडिकल कालेज खोलने का अधिकार हरियाणा के सिखों को दिया जाए। इसी आकांक्षा के साथ हरियाणा के सिथ्य चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी के पास भवे। इसी आकांक्षा के साथ तीन लाख से ज्यादा शपथ-पत्र उन्होंने चह्वा साहब की कमेटी को दिए। इसी आकांक्षा के साथ केथल में महा शिख समागम के माध्यम से इकहु हुए।

श्री अभय सिंह चौटाला: स्पीकर सर, मेरा प्वार्यंट ऑफ आर्डर है।

श्री अध्यक्ष: अभय जी, इसमें प्वार्यंट ऑफ आर्डर कहां से आ गया। इसमें किसी का नाम लिया नहीं। इसलिए यह प्वार्यंट ऑफ आर्डर नहीं है।

Mr. Speaker: Mr. Arora, you have been a Speaker. Whether this is a point of order? (Interruption)

Shri Randeep Singh Surjewala: Speaker Sir, I am not yielded yet.

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, हाउस को गुमराह करने की बात आ रही हो तो मैं इस विषय में प्वार्यंट ऑफ आर्डर पर अपनी बात उठा सकता हूँ। (विद्वन)

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, न मैं इनके दल की बाल कह रहा हूँ और न मैं अपने दल की चर्चा कर रहा हूँ। मैं तो केवल सिख भाइयों की आकांक्षा और उनके मन की जो सीब्र पीड़ा है उसको अपने शब्दों में व्याप्त कर रहा हूँ।

श्री रामपाल माजरा: अध्यक्ष महोदय,....

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, मैं न तो विपक्ष की पार्टी के बारे में कुछ कह रहा हूँ और न ही अपने दल के बारे में कुछ कह रहा हूँ इसलिए ये सुनने की हिम्मत रखें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अशोक कुमार अरोड़ा: अध्यक्ष महोदय,....

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला: अध्यक्ष महोदय, हरियाणा की जनता हमारी बात सुनेगी, हरियाणा के जो हमारे सिख भाई हैं वे हमारी बात सुनेंगे। (शोर एवं व्यवधान) हरियाणा के सिखों की पीड़ा को हरियाणा प्रदेश की कांग्रेस सरकार और हरियाणा प्रदेश के मुख्यमन्त्री चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा आज कानून का मोती पिरोकर इस सदन में लेकर आए हैं। (शोर एवं व्यवधान) मेरे आदरणीय साथियों को इससे पीड़ा है। (इस समय इंडियन नेशनल लोकदल के कई सदस्य अपनी सीटों पर खड़े होकर बोलने लगे।) अध्यक्ष महोदय, मैं तो विपक्ष के सदस्यों से हाथ जोड़कर कहना चाहता हूँ कि हमसे पीड़ा कीजिए, सिखों से पीड़ा मत कीजिए, हमसे लकलीफ कीजिए सिखों से लकलीफ मत कीजिए। गुरुग्रंथ की सेवा हम सब मिलकर करेंगे इसलिए इस बात में धकींग रखिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कलीराम पटवारी: अध्यक्ष महोदय.....

श्री रामपाल माजरा: अध्यक्ष महोदय.....

श्री अशोक कुमार अरोड़ा: अध्यक्ष महोदय.....

Mr. Speaker: I warn you Mr. Kali Ram Patwari. Please sit down.

श्री रामपाल माजरा: अध्यक्ष महोदय, अगर आप हमारी बात ही नहीं सुनना चाहते तो हम बाक आउट करके जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: आप बाक आउट करना चाहते हैं तो कर लें।

Shri Randeep Singh Surjewala: This is the third walk-out they have announced.

श्री अशोक कुमार अरोड़ा: अध्यक्ष महोदय.....

Mr. Speaker: You have announced a walk-out. अरोड़ा जी, मैं आपकी बात बिल्कुल नहीं सुनूंगा। आप बाक आउट कर रहे हैं और फिर बोल रहे हैं। आपका फैसला ही नहीं हो पा रहा इसलिए पहले आप फैसला कर लें कि आप बाक आउट कर रहे हैं या नहीं। (शोर एवं व्यवधान)

बाक आउट

श्री अशोक कुमार अरोड़ा: अध्यक्ष महोदय, इन्होंने सिखों को बाट दिया, मुसलमानों को बाट दिया, आज कांग्रेस को भी बाट रहे हैं और कल को आपके भाइयों को बाट देंगे इसलिए इस बिल के पास करने के विरोध में हम सदन से बाक आउट कर रहे हैं।

(इस समय इंडियन नेशनल लोकदल के सदन में उपस्थित सभी सदस्य हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक बिल को पास करने के विरोध में एज ए प्रोटैस्ट सदन से बाक आउट कर गए।)

प्रो० संपत्ति सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं व्यवस्था का प्रश्न पूछना चाहता हूँ। पहली बात जब हाउस अल रहा होता है तो अगर किसी भी सदस्य ने बोलना होता है तो उसको पहले आपसे पूछना होता है तथा दूसरी बात कोई भी सदस्य किसी दूसरे की सीट से नहीं बोलेगा और केवल अपनी सीट से बोलेगा। अध्यक्ष महोदय, आपकी टेबल पर हाथ रखकर कोई आपसे बात कर रहा है that was not a private talk in between you and him. हमें इस बात पर शर्म आती है। सारा हाउस बैठा है, हाउस के सामने कोई आपकी टेबल पर जाकर आपसे बात कर रहा हो, जैसे कान में बात कर रहा हो तो वह शोभा नहीं देता। अध्यक्ष महोदय, इन बातों को आप बढ़ावा न दीजिए इससे वे झन्झेज होते हैं। माननीय मंत्री जी सभ्य तरीके से बोल रहे हैं तो इनको भी बोलने की सभ्यता होनी चाहिए। तू ऐसे कह रहा है, तू वैसे कह रहा है यह भाषा ठीक नहीं है। अध्यक्ष महोदय, जो इनके नीचे रहते हैं यानि जो इनके गुलाम हैं उनसे ये इस तरह की बात कर सकते हैं। ये चाहे तो उनसे पैर भी छुवा लें लेकिन विधान सभा में इस तरीके की भाषा शोभनीय नहीं है। पार्लियामेंट्री एफेयर्ज मिनिस्टर सारे हाउस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उनसे इस तरह की भाषा में तो कहूँगा कि किसी भी माननीय सदस्य से इस तरह की भाषा

[श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला]

का कितना विरोध करना चाहते हैं। आखिर में उनका बहिर्भागन करना और यह कहना कि इस ऐतिहासिक कानून को वापस लो, इस बात को सेकर हरियाणा का सिख समाज उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। अध्यक्ष महोदय, जो रवैया सदन में इस बिल को लेकर भारतीय जनता पार्टी और लोकदल के भाइयों का रहा है यह राजनीतिक दलों का प्रश्न नहीं है बल्कि हरियाणा की सिख संगठन के सम्मान और उनकी भावनाओं के साथ खिलाड़ करने का प्रश्न है। मैं यहाँ यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि पेहला हल्के से वर्ष 2000 में सरदार जसविन्द्र सिंह संघू विधायक थे और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार में कृषि मंत्री भी थे आज वर्षा से आदरणीय हरमोहिन्द्र सिंह चहुँ जी विधायक हैं और सरकार में मंत्री हैं जो अनेकों बार विधायक और मंत्री रहे हैं। सरदार जसविन्द्र सिंह संघू ने उस समय एक समाज किया था जिसमें उन्होंने यह मांग रखी थी कि हरियाणा के लिए पृथक सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनानी चाहिए लेकिन आज उनकी पार्टी के सदस्य उसी मांग पर सदन से बाहर भाग रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, 15 मार्च, 2007 को सरदार निर्मल सिंह जी एक प्राइवेट मैंबर रेज्योलूशन लेकर आये थे उस समय चौटाला जी भी सदन के अंदर थे और ये सारे मित्र भी सदन के अंदर थे। उस समय लोकदल पहला ऐसा राजनीतिक दल था जो उस प्रस्ताव के खिलाफ सदन से बाहर चला गया था और आज 11 तारीख को जब यह बिल आया है फिर ये बाहर भाग गये हैं। इससे पला चलता है कि ये लोग सिखों के हक्कों के खिलाफ हैं। इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के सदस्य विज साहब और दूसरे सदस्य सिख पक्षद्वारा ऐतिहासिक कानून के विरोध में सदन से बाहर चले गये हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बताया भी कि जब 15 मार्च, 2007 को हम यह कानून सदन में लेकर आये थे तो उस समय भारतीय जनता पार्टी के दोनों माननीय सदस्यों श्री नरेश मलिक और श्री गौतम साहब ने साफ शब्दों में इस कानून के पक्ष में अपना पक्ष रखा था। स्पीकर सर, मैं 15 मार्च, 2007 की सदन की प्रोसीडिंग की इससे सम्बंधित श्री नरेश मलिक जी द्वारा बोली गई चार लाइनें आपकी और सदन की जानकारी के लिए पढ़कर सुनाना चाहता हूं—

“श्री नरेश मलिक (हसनगढ़) : इनका जो अधिकार है वह इनको मिलना चाहिए और यहाँ पर जो प्रस्ताव आया है सरकार और इस सदन के सभी सम्मानीय सदस्य इस प्रस्ताव का समर्थन करें।”

भारतीय जनता पार्टी के सदस्य आज फिर दोमुँही नीति अखिलयार करते हुए हमारे सभी सिख भाइयों की भावनाओं का अनदार करते हुए और उनके अधिकारों का हनन करते हुए एक बार फिर इस कानून का विरोध करके इस सदन से बाहर चले गये हैं। मैं लोकदल और अकाली दल के उन साथियों से चाहे वे शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष हों, चाहे पंजाब के मुख्यमंत्री हों, या फिर लोक दल के हमारे मित्र जो उनके बकील थे ही, अहं भी पूछना चाहूंगा कि क्या दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी आलग नहीं है, क्या बिहार में हमारे सिख भाइयों को गुरुदर्रों के संचालन का अलग अधिकार नहीं है और अगर क्या भारताष्ट्र में वहाँ के सिखों को गुरुद्वारों के प्रबंधन का अलग अधिकार प्राप्त नहीं है और अगर ऐसा है तो अकाली दल, लोक दल और भारतीय जनता पार्टी जो मेरी नजर में एक थीली के चहे बड़े हैं मैं उनको यह कहता हूं कि दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में उनका पूर्ण बहुमत है मैं उनको चुनौती देता हूं कि अगर वे हरियाणा के सिखों को अपना अधिकार नहीं देना चाहते तो पहला प्रस्ताव दिल्ली की एसओपीओसी में बहुमत से पास करें कि दिल्ली की एसओपीओसी खारिज कर दी जाये और उसे शिरोगणी

गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अमृतसर के साथ मिला दिया आये लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि ये ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि इनको दिल्ली के सिखों के साथ भी राजनीति करनी है और दूसरों के साथ भी राजनीति करनी है। अध्यक्ष महोदय, यहां पर बहुत से साथियों द्वारा तीन मुख्य बिन्दु उठाये गये हैं। मैं आपकी अनुमति से संक्षिप्त रूप में उनके बारे में जवाब देना चाहूँगा। अरोड़ा साहब ने यह कहा कि इस कानून के माध्यम से हरियाणा का सिख बंट जायेगा। मैं उनको यह बताना चाहूँगा कि सरदार तारा सिंह जी के साथ मैं कानून, संविधान और एतिहास के बारे में जो पण्डित जवाहर नेहरू जी ने पैकट किया था अरोड़ा साहब को उसकी समझ नहीं है या किर उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। सर, इस बारे में मैं उनको यह बताना चाहूँगा कि सेक्वेन्च 72 के अन्दर ही अलग एस०जी०पी०सी० बनाने का प्रावधान किया गया था। दुर्भाग्य से हमारे लोक दल के एक मित्र श्री राम पाल माजरा जी यहां पर बोल रहे थे तो उन्होंने इस कानून को आधा पढ़ा और बाकी का आधा पढ़े बिना ही वे यहां से चले गये। सर, मैं आपकी अनुमति से इस सदन का ध्यान सेक्वेन्च 72 (1) और 72 (3) जिससे पंजाब और हरियाणा का गठन हुआ था, की ओर आर्किव्यत करना चाहूँगा। सर 72 (1) में बड़ा ही स्पष्ट लिखा है कि:-

"Save as otherwise expressly provided by the foregoing provisions of this Part, where any body corporate constituted under a Central Act, State Act or Provincial Act for the existing State of Punjab or any part thereof services the needs of the successor State or has, by virtue of the provisions of Part II, become an inter-State body corporate, than, the body corporate shall, on and from the appointed day, continue to function and operate in those areas in respect of which it was functioning and operating immediately before that day, subject to such directions as may from time to time be issued by the Central Government, और श्री राम पाल माजरा जी इससे आगे का पढ़ना भूल गये। सर, इसी में आगे यह लिखा है कि until other provisions is made by law in respect of the said body corporate. Speaker Sir, this is the law that we are bringing. Speaker Sir, further 72 (3) further clarifies that for the removal of doubt it is hereby declared that the provisions of this section shall apply also to the Punjab University constituted under the Punjab University Act, 1947 (East Punjab Act 7 of 1947 the Punjab Agricultural University Act, 1961 (Punjab Act 32 of 1961), and Board constituted under the provisions of Part III of the Sikh Gurdwaras Act, 1925 (Punjab Act 8 of 1925)."

स्पीकर सर, जो पंजाब रि-आर्गेनाइजेशन एकट, 1966 की धारा 72 है उस धारा के अनुसार पूरा अछित्यार हरियाणा की विधान सभा को दिया कि हम जब भी चाहें अपना अलग कानून बना लें। स्पीकर सर, हमारे लोक दल और भाजपा के आदरणीय मित्रों ने आपको यह भी कहा कि जो सिख गुरुद्वारा एकट, 1925 है यह सेंट्रल एकट है। इस बारे में मैं यह कहना चाहता हूँ कि ऐसा कहते समय थे यह भूल गये कि हिन्दुस्तान धन् 1947 में आजाद हुआ था। और जो 1925 का कानून थानाथा गया था वह पंजाब सैजिस्ट्रेटिव काउंसिल के द्वारा बनाया गया था। अगर वे कानून के बारे में अपनी जानकारी को दरखस्त कर लें तो यह उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अध्यक्ष महोदय, पंजाब की विधान सभा ने इस कानून का एक बार नहीं 14 अलग-अलग बार एकट

[श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला]

26 ऑफ 1953 से लेकर एकट 10 ऑफ 1961 तक संशोधन किया है। अध्यक्ष महोदय, अगर मुझे बताइए विधान सभा का नाम बनाने का ही अधिकार नहीं तो मुझे कानून में संशोधन करने का अधिकार कैसे हो सकता है? सर, यह पंजाब सैजिस्लेटिव काउंसिल का बनाया हुआ कानून है। जब पंजाब रिऑर्गनाइजेशन एकट, 1966 का सैक्षण 72 बनाया गया तो उसमें यह सम्पूर्ण अधिकार दिया गया। अध्यक्ष महोदय, 1 नहीं 2012 तक 2-2 पुल बैचिज पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय ने इस पर अपना स्पष्ट निर्णय किया और कहा कि इसमें नया कानून बनाने और संशोधन करने का अधिकार सकैसैशर स्टेट्स को है। जब तक सैकैसैशर स्टेट्स अपना कानून नहीं बनाते तब तक पुराना कानून ही लागू रहेगा। आज भी पंजाब के अनेकों कानून हमारे ऊपर लागू हैं क्योंकि हरियाणा विधान सभा ने उस पर कोई नया कानून नहीं बनाया है। इसलिए मेरे मित्रों का इस प्रकार की बात कहने का मकसद केवल भ्रम पैदा करना, मिथ्या बोलना और लोगों को बरगलाना है। अध्यक्ष महोदय, इस सदन में एक महत्वपूर्ण विषय पर भिन्न-भिन्न साथियों द्वारा चर्चा की गई और वह थी मीरी-पीरी ट्रस्ट के बारे में उसके बारे में कहा गया कि हरियाणा सरकार ने उसको मंजूरी नहीं दी। इस बारे में चार तथ्य आपके और इस सदन के सामने रखना चाहूँगा। शाहाबाद का जो मीरी-पीरी मेडिकल कॉलेज है उसका चार बार भिन्न-भिन्न समय नीव पथर रखा गया लेकिन निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ। सरदार प्रकाश सिंह बादल और उनकी पाठी हरियाणा के सिखों को केवल बरगलाते रहे। सरदार दीदार सिंह नलवी जब हरियाणा एस०जी०पी०सी० के सदस्य थे, सरदार जगदीश सिंह झिंडा साहब और दूसरे सदस्य थे तो उन्होंने यह मुद्दा उठाया। एस०जी०पी०सी० ने कहा कि आप जमीन दे दो। शाहाबाद का गुरुद्वारा भरतगढ़ साहिब ने लगभग 24 एकड़ जमीन जिसकी कीमत चट्ठा साहब ने बताई लगभग 100 या 150 करोड़ रुपये होगी, एस०जी०पी०सी० को दे दी गई। गुरु घर में जो गुलक का पैसा आता था उससे अस्पताल का निर्माण हुआ, उसी से मेडिकल कॉलेज का निर्माण हुआ उसके बाद कुछ लोगों के मन में बेईमाना आ गया। उन्हें लगा कि अगर यह शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के नाम रहेगा तो गड़बड़ हो जायेगी। इसलिए एक ट्रस्ट का गठन किया गया। उसमें शर्त यह रखी गई कि पैसा गुरु घरों का गुलक का, जमीन गुरुद्वारे की और उसके बारे में आदरणीय चट्ठा साहब को भी मालूम है और क्योंकि वे बड़े हैं, बहुत सज्जन हैं इसलिए नहीं कहा, उस ट्रस्ट के ट्रस्टी कौन बने, सरदार प्रकाश सिंह बादल बन गये। उस ट्रस्ट का ट्रस्टी कौन बना, उनके रिश्तेदार विरक्त साहब बन गये। अध्यक्ष महोदय, इस ट्रस्ट ने व्यैर किसी कानून के गुरु घरों के गुलक का पैसा और जमीन जबरन ले लिया। क्या ऐसा करना मानवीयता है, कानूनी है, नैतिक है, सामाजिक है और क्या गुरु घरों की जमीन और गुलक का पैसा हम इस प्रकार से व्यक्तिगत मुनाफे के लिए रख सकते हैं, इसका जावाब अकाली दल के साथ-साथ हमारे इंडियन नेशनल लोकदल और भारतीय जनता पार्टी के मित्रों को भी देना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, जिस नोटिस का जिक्र किया जा रहा है ये शायद भूल रहे हैं कि वह सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर कुर्सेज के द्वारा 24 सितम्बर, 2004 को जारी किया गया था और नोटिस दे कर उसको पिलाने का कार्य किया था। उस समय चौधरी ओमप्रकाश चौटाला प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार थी। आदरणीय चट्ठा साहब और हमारे साथी अनिल धर्तीद्वारा इस बारे में अच्छी तरह से जानते होंगे। आज ये इस प्रकार की बात कर रहे हैं। छाज

तो बोले छतनी भी बोले जिसमें 70 छेद Pot calling the Kettle black. जिन्होंने खुद गुरु घरों की जमीनों पर आक्रमण किया वे आज उस नोटिस की बात करते हैं। अभय चौटाला जी केवल तारीख भूल गये, यह काम तो उनके पिता जी ने ही करवाया था। अध्यक्ष महोदय, मैंने इतनी देर में इसकी पूरी जानकारी ले ली है। स्पीकर सर, जानकारी है वह यह है कि राष्ट्रीय राजमार्ग से तीस मीटर की दूरी के अन्दर अगर कोई निर्माण होता है तो उस क्षेत्र के निर्माण की अनुमति हरियाणा सरकार की नहीं है बल्कि under the National Highway Authority Act वह अधिकार भारत सरकार को ही है परन्तु विषय की सरकार के समय भारत सरकार से वह अनुमति नहीं ली गई क्योंकि विषय के साथी तो सिख विरोधी हैं। मीरी-पीरी द्रष्ट के पूरे मामले पर मुझे लगा कि यह जरूरी है कि आपकी अनुमति से मैं एक बार इस पर प्रकाश डाल दूँ। अध्यक्ष महोदय, आज का दिन एक ऐतिहासिक है और इस ऐतिहासिक दिन के अवसर पर कई राजनीतिक दलों की कलई और पोल पूरी तरह से खुल गई हैं जो सिखों के हितों के साथ सियासी बड़यन्त्र कर रहे हैं। उनमें इण्डियन नेशनल लोकदल, शिरोमणी अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी हैं। यह बात स्पष्ट रूप से आज हरियाणा के लोगों के सामने ही नहीं बल्कि पूरे देश और दुनिया के सिखों के सामने आ गई है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने और आदरणीय चड्हा साहब ने पूरी कोशिश की है कि राजनीतिक विचारधारा के भत्तेद से ऊपर उठकर आपस का जो राजनीतिक वाक युद्ध है उसके ऊपर उठकर हम सब भाइयों की एक राय बनाएं ताकि हम सब मिलकर गुरु ग्रंथ साहब और जो गुरुओं की शिक्षा है उसकी सेवा कर सकें। परन्तु दुर्भाग्य से लोकदल और भारतीय जनता पार्टी की किसित में गुरु घरों की सेवा और गुरु ग्रंथ साहब की सेवा और जो गुरुओं की शिक्षा है उसका अनुसरण नहीं लिखा है। इसी के साथ मैं सारे सदस्यों को जिन्होंने इस वर्दा में भाग लिया और सदस्य भाग नहीं ले पाए उनका भी धन्यवाद देते हुए सदन के नेता आदरणीय मुख्यमंत्री जी की ओर से, मेरी ओर हम सब की ओर से आपसे अनुरोध करूँगा कि इस कानून को फोरी तौर से हमारे सिख भाइयों की आकौशाओं के अनुरूप पारित किया जाए। इस समय मैं थपथपाई गई।

Mr. Speaker : Question is—

That the Haryana Sikh Gurudwara (Management) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Sub-clause 2 of Clause 1

Mr. Speaker : Question is—

That Sub-clause 2 of Clause 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Sub-clause 3 of Clause 1**Mr. Speaker :** Question is—

That Sub-clause 3 of Clause 1 stands part of the Bill.

*The motion was carried.***Clauses 2 to 56****Mr. Speaker :** Question is—

That Clauses 2 to 56 stand part of the Bill.

*The motion was carried.***Schedule I, II, III and IV****Mr. Speaker :** Question is—

That Schedule I, II, III and IV be the Schedule of the Bill.

*The motion was carried.***Sub-clause 1 of Clause 1****Mr. Speaker :** Question is—

That Sub-clause 1 of Clause 1 stands part of the Bill.

*The motion was carried.***Enacting Formula****Mr. Speaker :** Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

*The motion was carried.***Title****Mr. Speaker :** Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the Parliamentary Affairs Minister will move that the Bill be passed.

उथोग मंत्री (श्री रणदीप सिंह सुरजेयाला): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ-
कि बिल पास किया जाए।

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

कार्य सूची के मद में परिवर्तन

Mr. Speaker : Hon'ble Member, the Haryana Private Universities (Second Amendment) Bill, 2014 is listed for today's agenda. I postpone it to Monday. Now, the House is adjourned till 2.00 P.M. Monday, the 14th July, 2014.

***06.59 hrs.** *(The Sabha then *adjourned till 2.00 P.M. on Monday, the 14th July, 2014)



